पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 224 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 दिनांक : 20/02/2010

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0/पिटकुल एवं पूर्ववर्ती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे हैं तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यू के उपरान्त उनके पारिवरिक पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने विषयक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 5731निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/एम–1 दिनांक 22.08.2006 के बिन्दु–3 के प्रस्तर–9 के उपप्रस्तर–9.1 में उत्तराखण्ड राज्य अथवा कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के निजि हॉस्पिटल में भर्ती हुए बिना ओ0पी0डी की सुविधा के सम्बन्ध में निम्न प्रकृति की बीमारियों को भी समाहित किया जाता है:–

1. Serious Gastrointestinal disorder.
2. Serious Respiratory disorder.
3. Serious Neurological disorder.
4. Serious Urogenital dosorder.
5. Serious Gynecological disorder.
6. Serious Muscular, Joints, Spondolytis, Arthritis pain & problems.

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 224 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0एवंअनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक पिटकुल।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
9. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाईल।

(एस0 के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिस: 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

204

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक :25.01.2009

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशनप लि0/निगम के वर्तमान प्रभावी नियमानुसार निगम के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य है। सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उक्त सुविधा उनके आश्रितों को मिलनी बन्द हो जाती है। चिकित्सा सुविधा के अभाव में सम्बन्धित की आर्थिक हानि को दृष्टिगत रखते हुये निगम द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रित पति/पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को संगत नियमों/आदेशों के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा एतद्द्वारा अनुमन्य की जाती है। आश्रित पति/पत्नी के पुनर्विवाह की दशा में यह सुविधा अनुमन्य नही होगी।

उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा उस कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ उनके पति मृत्यु/सेवानिवृत्त के समय तैनात थे।

यह आदेश दिनांक 01.12.2008 से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : 91/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, पिटकुल, 650–कांवली रोड, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल ....।
5. उपमहाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल ....।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ...।
8. प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. का0ज्ञा0पत्रावली/कट फाईल।

(एस0 के0 रथ)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक : . /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक : 23.01.2009

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में प्रवृत्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति विषयक नियमों/आदेशों के अनुसार कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिजनों के दीर्घ अवधि तक बाह्य रोगी की स्थिति में चलने वाली व्याधियों के उपचारार्थ चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति "राज्य चिकित्सा परिषद" की अनुशंसा पर अनुमन्य है। इसमें केवल औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है, किन्तु बाह्य रोगी की स्थिति में परीक्षणों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है। उक्त असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त, दीर्घ अवधि तक बाह्य रोगी की स्थिति में चलने वाली व्याधियों के उपचारार्थ औषधियों के साथ–साथ चिकित्सकीय परीक्षणों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति संगत नियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा अनुमन्य की जाती है

उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रवृत्त होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : १२ /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, सचिवालय, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, 650–कांवली रोड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 .... ।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 .... ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 .... ।
9. प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
10. अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उत्तरांचल, ऊर्जा भवन परिसर, कांवली, देहरादून।
11. का0ज्ञा0पत्रावली/कट फाईल।

22/1/09
(एस0 के0 रथ)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: /मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी०–5 दिनांक : 20/02/2010

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के सेवारत/सेवानिवृत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०/पिटकुल एवं पूर्ववर्ती उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे है तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनो/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके पारिवरिक पेंशनरों को चिकित्सालय मे भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत संगत नियमो के अन्तर्गत अनुमन्य की जा रही है। इन नियमो के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकराणो के निस्तारण मे आ रही व्यवहारिक कठनाईयों को दृष्टिगत् रखते हुए पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 2088NG/SEB(IV)29-NG11/98 दिनांक 24.05.1978 एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 5731निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/एम–1 दिनांक 22.08.2006 में सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी संगत विनियमों मे एतद्द्वारा निम्न संशोधन किये जाते है:–

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी नियमो में राज्य से बाहर चिकित्सा कराने हेतु सूचीबद्ध सात बीमारियों के अतिरिक्त केवल सर्जरी, दुर्घटना या गम्भीर बीमारी में भर्ती के लिए कारपारेशन पेनल अथवा सरकारी चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा बिना सन्दर्भित हुये भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, जिस हेतु कारपोरेशन की पूर्वानुमति आवश्यक नही है। ऐसे प्रकरणों में भर्ती की दशा मे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार से होगी:

1. कारपोरेशन पैनल के चिकित्सालय में 75% ।
2. कारपोरेशन पैनल के अतिरिक्त चिकित्सालय मे 70% ।

यह सुविधा कारपोरेशन के सेवारत कार्मिक, जो कि राज्य के बाहर सरकारी कार्य/वैध अवकाश पर हों, को ही अनुमन्य होगी तथा उन पेंशनरों एवं उनपर पूर्णतया आश्रित परिजनो एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके पारिवरिक पेंशनरों के मामलों में भी अनुमन्य होगी जो परिषद/कारपोरेशन की सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुडगॉव में सामान्य रूप से वास कर रहे हो तथा वह इस सम्बन्ध में प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयक संगत नियमों/आदेशों के अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेगें। यह आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगें।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 225 /मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी०–5 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0एवंअनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक पिटकुल।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
9. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाईल।

(एस0 के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

205

Uttranchal Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Tel: 91-0135-2763673-75

उत्तरॉचल पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून-248001
दूरभाष: 91-0135-2763672-75

पत्रांक :5731-निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/एम-1 दिनांक :22-07-2006

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0/पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0 के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उनपर पूर्णतया आश्रित उनके परिजनों को चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत संगत नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य की जा रही है। इन नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों के निस्तारण में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों की ओर विभिन्न संगठनों एवं स्रोतों ने कारपोरेशन का ध्यान आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी संगत विनियमों में एतद्द्वारा निम्न संशोधन किए जाते हैं :-

क्र.सं.	संदर्भित आदेश एवं विद्यमान प्राविधान	संशोधन
1.	2088NG/11/SEB(IV)29-NG11/98 दिनांक 24.05.1978 के प्रस्तर - (3) The medical expenses incurred by the employees on themselves and their family members in the Hospital/Medical Institute outside the State will also be re-imbursible, provided a reference for specialised treatment in such Hospital/Institute is made by an officer not below the rank of Chief Madical Officer of the State Govenment or Professor of Medical College/Institute in theState certifying that the treatment facility is not availabe in the State. Such reference will not be necessary in case of hospitalization of an employee while on official duty outside the State.	आदेश दिनांक 24.05.78 के प्रस्तर 3 के उपरान्त निम्न उपप्रस्तर 3.1 जोड़ा जाता है। 3.1 - आदेश संख्या 1241-17/पाकालि/2001-11(4) एफ/86 (टीसी) दिनांक 20.04.01 मे निहित बिमारियों - हृदय की बाई पास सर्जरी, वाल्व प्रतिस्थापित करना, पेस मेकर लगवाना, किडनी ट्रांसप्लान्टेशन, हृदय या मस्तिष्क के वृहद आपरेशन, कैंसर के बड़े आपरेशन, हैपिटाइटिस-बी तथा अन्य जिन बिमारियों का इलाज उत्तरांचल के राजकीय चिकित्सालयों अथवा कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है ऐसे रोगग्रस्त रोगी को राज्य से बाहर उपचार हेतु संदर्भित किये जाने के लिए कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के विशेषज्ञ स्तर के चिकित्सक भी सक्षम चिकित्सा अधिकारी होंगे जिसके लिए परिषद आज्ञा संख्या 773WC/SEB(AS-XIX)84-I 03(I)A/78 दिनांक 06.03.84 में निहित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त हृदय रोगों के मामलों में राज्य से बाहर बिना संदर्भित हुए उ0पा0का0लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में सीधे भर्ती होने पर भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

सत्यापित प्रतिलिपि

सत्यापित प्रतिलिपि

क्रमशः-2

10

206

2.	आदेश दिनांक 24.05.78 का प्रस्तर 5 (5) The Board's employees drawing basic salary in the pay scales, the maximum of which is Rs. 1,200/- and above will be entitled for Private Ward in the Hospital/Institutes, while the employees in lower scales of pay will be entitled for treatment in General Wards. (subsequent amendment Order No. 220–पी एण्ड एफ/रा.वि.प.उन्नीस–14 पी. एण्ड एफ.पी./88, दिनांक 21–10–1988)	आदेश दिनांक 24.05.78 का प्रस्तर 5 निम्नानु प्रस्थापित किया जात है :– (5) दिनांक 01.01.96 से प्रवृत्त किए गये पुनरीक्षित वेतनमानों के अन्तर्गत जिन कार्मिकों का मूलवेतन रू. 5000.00 एवं तदोपरि तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन (मंहगाई – राहत एवं चिकित्सा भत्तों को छोड़कर) रू. 2500.00 एवं तदोपरि हो, वे प्राईवेट वार्ड के लिए अर्ह होंगे। (5.1) मुख्य अभियन्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक अथवा इससे उच्च पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उन पर आश्रित परिजनों को चिकित्सा हेतु प्राईवेट ए.सी. वार्ड की सुविधा अनुमन्य होगी।
3.	आदेश दिनांक 24.05.78 का प्रस्तर 9 (9) The expenditure incurred on plastering and X-ray, etc in the cases of fracture of bones will be re-imburisble, even if hospitalisation is not necessary. The expenses on antirabic treatment will also be re-imbursed.	आदेश दिनांक 24.05.78 के प्रस्तर 9 के पश्चात निम्न उप प्रस्तर 9.1 जोड़ा जाता है। 9.1 – निम्न बिमारियों अथवा परिक्षणों पर चिकित्सालय में भर्ती हुए बिना बाह्य रोगी के रूप में चिकित्सा कराये जाने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी जिसके लिए परिषद आदेश सं0 247–डबलू.सी./रा.वि.प.(औ.र–उन्नीस) 92–11(4)एफ/86, दिनांक 29–07–1993 में विहित अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :– (क) आँखों का ऑपरेशन (ख) नाक, कान एवं गला (ई.एन.टी.) का आपरेशन (ग) पीलिया –परीक्षण/उपचार (घ) स्पाइनल डिफॉरमिटी परीक्षण/उपचार (ङ) दान्त रोगों का उपचार (च) हृदय रोग (एन्जियोग्राफी को सम्मिलित करते हुए), टी.बी., कैंसर, किडनी, प्रोस्टेट, लीवर फंक्शन आदि रोगों के ईलाज हेतु भर्ती होने से पूर्व परीक्षण में होने वाले व्यय।

क्रमशः

207

4.	परिषदादेश संख्या 3983–औस / राविप–17 / 96–11(4)एफ / 86 दिनांक 19.10.96 परिषदाज्ञा संख्या 2088एन0जी0 / राविप (चार)29एनजी(11) 78ए, दिनांक 24.05.1978 के प्रस्तर 2 में निहित प्राविधानों को शिथिल करते हुए गम्भीर दुर्घटना, हार्ट अटैक, रीढ़ की हड्डी की चोट, सिर की चोट आदि जैसे प्रकरणें में आकस्मिकताओं के कारण तत्काल निकटस्थ उपलब्ध चिकित्सालय / क्लीनिक / नर्सिंग होम में चिकित्सा सुविधा का उपभोग करना जीवन रक्षा हेतु परम आवश्यक होने की दशा में उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति रू. 5000 / –(रूपया पांच हजार) तक की धनराशि अनुमन्य होगी। उक्त धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को होगा।	परिषदाज्ञा संख्या 2088 एन0जी0 / राविप (चार) 29एनजी(11) 78ए, दिनांक 24.05.1978 के प्रस्तर 2 में निहित प्राविधानों को शिथिल करते हुए गम्भीर दुर्घटना, हार्ट अटैक, रीढ़ की हड्डी की चोट, सिर की चोट आदि जैसे प्रकरणें में आकस्मिकताओं के कारण तत्काल निकटस्थ उपलब्ध चिकित्सालय / क्लीनिक / नर्सिंग होम में चिकित्सा सुविधा का उपभोग करना जीवन रक्षा हेतु परम आवश्यक होने की दशा में उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति रू. 10,000 / –(रूपया दस हजार) तक की धनराशि अनुमन्य होगी। उक्त धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को होगा।
5.	परिषद आदेश सं0 2021 डब्लू0सी0 / रा0वि0प0(औ.सं.–उन्नीस)88–11(14) एफ / 86, दिनांक 07–01–1989 के पैरा 4 यदि कृत्रिम दन्तावली यंत्र राजकीय अस्पताल अथवा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल से बनवाई जाये या यह सुविधा वहां उपलब्ध न हो , तो निजी स्त्रोत से बनवाने पर वास्तविक मूल्य, परन्तु अधिकतम, जैसा कि नीचे अंकित है, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी :– आंशिक दंतावली 1 से 4 दाँतो तक– रू. 50 / – आंशिक दंतावली 5 से 10 दाँतो तक – रू. 100 / – 10 दाँतो से अधिक – रू. 200 / – आधी दंतावली – रू. 250 / – पूरी दंतावली – रू. 500 / –	यदि कृत्रिम दन्तावली / श्रवण यंत्र राजकीय अस्पताल अथवा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल से बनवाई जाये / खरीदा जाए या यह सुविधा वहां उपलब्ध न हो , तो निजी स्रोत से बनवाने पर वास्तविक मूल्य, परन्तु अधिकतम, जैसा कि नीचे अंकित है, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी :– (क) श्रवण यन्त्र – रू0 3000.00 (रू0 तीन हजार मात्र) (ख) कृत्रिम दन्तावली (1) पूर्ण दन्तावली रू0 3500.00 (2) 1/2 दन्तावली रू0 1750.00 (3) 1/4 दन्तावली रू0 825.00
6.	कारपोरेशन के आदेश सं0 695–औ.सं.–पा.का.लि. / 2002–11(43)ए.एस.2001, दिनांक 16–02–02 का प्रस्तर–2 एम.आर.आई. स्कैन के संदर्भ में मैडिकल कालेज / एस.जी.पी.जी.आई. के प्रोफैसर स्तर के, सरकारी चिकित्सा संस्थान के प्रोफैसर स्तर के विशेषज्ञ, जिले के / उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकृत चिकित्सक होंगे ।	कारपोरेशन के आदेश सं0 695–औ.सं.–पा.का.लि. / 2002–11(43)ए.एस.2001, दिनांक 16–02–02 का प्रस्तर–2 में निम्न भी जोड़ा जाता है – एम0आर0आई परीक्षण हेतु संदर्भित किये जाने के लिए कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के विशेषज्ञ स्तर के चिकित्सक भी सक्षम चिकित्सा अधिकारी होंगे।

क्रमशः–4

208

उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त वर्तमान चिकित्सा पद्धति का संज्ञान लेते हुए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निम्न व्यवस्थायें भी की जाती हैं :–

7. चिकित्सा के दौरान आवश्यक Diposables (i.e. Disposable Syringes, IV Set, Gloves, Mask etc), dressing material तथा अन्य सहायक चिकित्सा सामग्री, (food nutritive values, items of toiletory, disinfectants and prophylactic natures & diet charges को छोड़ते हुए) जो अधिकृत चिकित्सक की संस्तुति पर खरीदी गयी हो, पर किया गया व्यय भी प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य होगा ।

8. अति गम्भीर चिकित्सा प्रकरणों जैसे– हृदय घात, पक्षाघात, कोमा तथा गम्भीर प्रकार की दुर्घटना आदि, जहाँ रोगी को चिकित्सालय में भर्ती के दौरान उच्च सेण्टर के लिए संदर्भित किया जाए तथा चिकित्सक की राय में एम्बुलैंस सुविधा अनिवार्य हो तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक, चिकित्सा उपकरण एवं अटैण्डैण्ट सहित एम्बुलैंस सुविधा अनुमन्य होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कार्मिक तथा उसके सेवादार को यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयक संगत नियमों/आदेशों के अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :5731 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/एम–1 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, देहरादून ।
2– वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन आफ उत्तरांचल लि0, देहरादून ।
3– वैयक्तिक सहायक, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, देहरादून ।
4– वैयक्तिक सहायक, निदेशक (वित्त/मानव संसाधन), उ0पाका0लि0, देहरादून ।
5– वैयक्तिक सहायक, अधिशासी निदेशक, पिटकुल, देहरादून ।
6– मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्य), उ0पा0का0लि0, देहरादून ।
7– महाप्रबन्धक (वितरण/पारेषण), गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र, उ0पा0का0लि0/पिटकुल, देहरादून/हल्द्वानी ।
8– समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0पा0का0लि0/पिटकुल
9– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0पा0का0लि0/पिटकुल
10–मुख्यालय के समस्त अनुभाग/अधिकारी ।

(डा0 पी0सी0 जोशी)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी

...ower Corporation Ltd
...of Uttaranchal Undertaking)
...BHAWAN", Kanwali,
...HRADUN - 248001
Tel 91-135- 2763901/2763672-75
FAX-91-135-2763867

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
[illegible]
"ऊर्जा भवन", कांवली
देहरादून 248001
[illegible] 2763901/2763672-75
[illegible] 91-135-2768867

पत्र संख्या– निо(मा0सं0) / केबी–ओ / पी–1 दिनांक– 26/2/06

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 6265–नि0(मा0सं0) / केबी–ओ / पी–1 दिनांक 21–11–2005 के आंशिक संशोधन में आदेशित किया जाता है कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड से पेंशन आहरित करने वाले पेंशन भोगियो को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 2604 दिनांक 27–01–2004 द्वारा अनुमन्य चिकित्सा भत्ता त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित वितरण खंड (पूर्ववर्ती पेंशन यूनिट) एवं सम्बन्धित इकाई जहां से सम्बन्धित कार्मिक सेवा निवृत्त हुआ हो, द्वारा चिकित्सा भत्ते की धनराशि में से विभागीय सेवा निवृत्त कार्मिकों पर वर्तमान में लागू विद्युत दरों की कटौती करने के उपरान्त अधिशेष धनराशि का भुगतान पेंशनर के बैंक खाते में जमा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

पारिवारिक पेंशन भोगियों पर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4414 दिनांक 30–10–2004 में उल्लिखित शर्ते यथावत् लागू रहेंगी ।

निदेशक (मानव संसाधन)

संख्या– 820 – नि0(मा0सं0) / उपाकालि / तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उपाकालि,ऊर्जा भवन, देहरादून ।
2– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल–विद्युत निगम लि0, "उज्ज्वल", जी0एम0एस0 रोड, देहरादून
3– वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून ।
4– वैयक्तिक सहायक, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक / निदेशक (वित्त / मा0सं0), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून
5– अधिशासी निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन आफ उत्तरांचल लि0,देहरादून ।
6– मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्य), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून उनकी टीप दिनांक 21–11–2005 के संदर्भ में।
7– महाप्रबन्धक (वितरण),उपाकालि,गढ़वाल क्षेत्र, 120–हरिद्वार रोड, देहरादून / कुमांऊ क्षेत्र, हल्द्वानी / महाप्रबन्धक (पारेषण), देहरादून।
8– उप महाप्रबन्धक(सूचना प्रोद्योगिकी) / कम्पनी सचिव, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
9– उप महाप्रबन्धक (जानपद),विद्युत जानपद मंडल, उपाकालि, पन्नालय न्यू फारेस्ट, देहरादून ।
10– समस्त उप महाप्रबन्धक(वितरण), उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
11– समस्त उप महाप्रबन्धक(वित्त) / आंतरिक सम्प्रेक्षा, उपाकालि ।
12– उप महाप्रबन्धक, प्रणाली नियंत्रण, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन आफ उत्तरांचल लि0,देहरादून ।
13– अधिशासी अभियन्ता राज्य भार निस्तारण केन्द्र, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन आफ उत्तरांचल लि0, ऋषिकेश।
14– समस्त अधिशासी अभियन्ता(वितरण) / परीक्षण / भंडार / जानपद / पारेषण, उपाकालि / पिटकुल / ।
15– कट फाईल / कार्यालय ज्ञाप पंजिका / अनु0 का0ए0 / वैयक्तिक पंजिका ।

(हस्ताक्षर) 26/2/06
(अजित कुमार)
उप महाप्रबन्धक(मा0सं0)

210

A Compilation of Orders & Circulars
on
Medical Allowance
&
Reimbursement of Medical Expenses
issued by
UPSEB

By :
B. P. Gupta
Dy. Chief Accounts Officer

Printed at :
MUDRAN KALA BHAWAN
76, Moti Lal Bose Road
Naya Gaon, Lucknow
Tele. : 227521

Printed & Published By :
B. S. GOEL
Organsing Secretary
U.P. Rajya Vidyut Parishad
Lakha Sangh, Lucknow
Tele. : 372550

210

72

B.B. Jindal, M.Com. LL.B., F.C.A.
Formerly Member (F&A)
U.P. State Electricity Board

DHRUV APARTMENTS
16, Chandralok Colony
Aliganj, Lucknow-226 024
Tel. : 334982, 371025

INTRODUCTION

U.P. State Electricity Board is one of the giant Organisation specially in the field of man-power. UPSEB inherited its systems of its personnel management from State Government. Despite large improvement its basic HRD structure continues to be almost at par with State Government with some deviations.

Medical assistance to its working as well as its retired employees and their fully dependent family members is one of the essential social security measures. Unfortunately this is also prone to misuse. In last few decades, medical science has undergone basic changes and new treatments of old human ailments and newly discovered ailments, new brand medicines and large scale privatisation of medical facilities have brought a revolution. Any social security measure of this nature has to be dynamic and any organisation has to adopt its administration accordingly. But it also leads to confusion because orders are issued day in & day out and majority of its employees or even its field officers are never fully posted with latest orders and some time leads to frustration due to delay or rejection of their claims some time merely on small technical grounds.

UPSEB Lekha Sangh was first to realise the need of manuals of orders on various aspects of administration, say salary structures, promotions, training, procurements, pensions, etc. because it is the Accounts Department which has to implement the orders and come in contact with benefeciaries of administrative orders and they are under constant pressure from benefeciaries to interpret orders in their favour. On the other hand any wrong interpretation could lead to "audit scrutiny". They have to handle "double edged, both, equally sharp sword". Realising this need Lekha Sangh had compiled Manual on medical assistance but now due to too many changes in last few years more comprehensive "manual" is being brought out.

I am sure it will be received with same warmths by all. It is my great pleasure to write its introduction, though such "manual" does not need "introduction."

I am sure many more manuals will continue to come and this manual on medical assistance will prove to be useful.

My best wishes.

BBJ

(B. B. Jindal)

अनुक्रमणिका/CONTENTS

Compilation of Board's Orders on Admissibility of Medical Allowance

Sl. No.	Board's Order No. & date	Page No.	Sl. No.	Board's Order No. & date	Page No.
1	1856-G/SEB/77 dated 12-4-1977	1	7	1694 ए.वि.प.-बीमा/1988 दि० 11-11-93	3
2	3494 F/SEB/65 dated 19-10-1977	1	8	2465-CAO-V-G dated 16-11-1988	4
3	8480 G/SEB/78 dated 28-10-1978	1	9	5652 डब्लू.सी.-टा/86 दि० 28-2-1989	5
4	5593-WB/SEB/82 dated 18-10-1982	2	10	776-डब्लू.सी./उ.प्र.वि.प./89 दि० 18-5-89	6
5	1651 WB/SEB/82 dated 31-12-1983	2	11	1249-वेतन 31/97 दिनांक 3-9-1997	88
6	2065-WC/SEB/86 dated 9-12-1986	3			

Compilation of Board's Orders on Reimbursement of Medical Expenses

Sl. No.	Board's Orders No. & date	Page No.	Sl. No.	Board's Order No. & date	Page No.
1	2088-NG-II/SEB/78 dated 24-5-1978	07	25	945-WC/SEB/86 dated 1-9-1988	24
2	2367-NG II/SEB/78 dated 17-6-1978	11	26	230 पी एस एम सी दि० 21-10-1988	24
3	199-G/SEB/1975 dated 17-3-1979	11	27	2021-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 7-1-89	25
4	2161-सी/उ.प्र.वि.प./1978 दि० 16-5-80	11	28	5734-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 10-3-89	26
5	2230-G/SEB/78 dated 28-8-1980	12	29	305-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 31-3-89	27
6	1905-G/SEB/78 dated 13-7-1981	12	30	603-डब्लू.सी./टारिफ/89 दि० 10-5-89	27
7	750 Karmik(IX)-81 dated 22-9-1981	13	31	872-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 10-7-89	27
8	6100 WC/SEB/78 dated 15-9-1981	13	32	1070-डब्लू.सी./टारिफ/89 दि० 10-8-89	29
9	6989-WC/SEB/78 dated 26-6-1982	13	33	608-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 30-8-89	29
10	5446-WC/SEB/78 dated 10-1-1983	14	34	799-एम.सी./टारिफ/89 दि० 23-3-90	29
11	2147-सी/टारिफ/1978 दि० 3-11-83	15	35	3062-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 26-7-90	30
12	773-WC/SEB/78 dated 6-3-1984	16	36	3522-एलसी-9/टारिफ/90 दि० 31-7-90	30
13	1043-WC/SEB/78 dated 22-3-1984	17	37	2 सी.एल. 3063-डब्लू.सी./90 दि० 3-1-91	33
14	2920-WC/SEB/82 dated 12-7-1984	18	38	3 सी.एल. 3782(एक)डब्लू.सी./90 दिनांक 8-1-1991	33
15	5009-सी/टारिफ/1978 दि० 5-1-85	19	39	1900 डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 28-6-91	33
16	3647-WC/SEB/84 dated 8-11-1985	19	40	2489-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 29-8-91	33
17	4070-डब्लू.सी./टारिफ/78 दि० 10-3-86	19	41	45 डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 8-1-92	36
18	1865-डब्लू.सी./टारिफ/78 दि० 28-6-86	20	42	46-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 8-1-92	36
19	2639-डब्लू.सी./टारिफ/84 दि० 15-9-86	21	43	5290-डब्लू.सी./टारिफ/84 दि० 23-10-92	37
20	2395-WC/SEB/78 TC dated 26-11-86	22	44	247-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 29-1-93	38
21	1501-डब्लू.सी./86 दि० 27-1-1987	22	45	5566-डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 16-10-93	39
22	283 डब्लू.सी./टारिफ/86 दि० 19-3-87	22			
23	3138-WC/SEB/87 dated 19-9-1987	23			
24	480-WC/SEB/86 dated 25-2-1988	24			

For the categories of Board's employees, other than those mentioned above, the orders contained in Board's Memorandum No. 1856/G/SEB-1-1977 dated April 12, 1977 shall stand till further orders.

Grant of Medical Allowance to Employees covered under Wage Board Scales

No. 5593-WB/SEB (AS-XVIII)/82 Dated : October 18, 1982

In supersession of orders contained in O.M. No. 8480-G/SEB-I-103-A/87 dated October 28, 1978 relating to grant of Medical Allowance admissible to the Board's employees who were formerly in Wage Board pay scales and now in receipt of their corresponding revised scales of pay excluding those covered under the Employees' State Insurance Scheme and other than those stationed at Projects and places where Board are running their own dispensaries/hospitals, are revised w.e.f. 1-12-1981 as under :—

Sl. No.	Pay slabs	Rates of Medical Allowance
1.	Up to Rs. 700/-	Rs. 15/- p.m.
2.	Rs. 701—850	Rs. 20/- p.m.
3.	Rs. 851 onwards	Rs. 25/- p.m.

The fixed special allowance allowed with various scales shall not be taken into account for the purpose of determining the pay slabs as indicated above.

Rates of Medical Allowance admissible to class I & II Officers of the Board

The Board are pleased to order that the rates of Medical Allowance admissible to class I and II Officers as per para 12 of the O.M. No. 3170-G-SEB-I-147-A/1981, dated 30-12-81 and O.M. No. 123-G/SEB (K-1) 1982, dated 16-1-82 shall stand revised w.e.f. 1-1-82 as follows in their revised pay scales, introduced retrospectively w.e.f. 1-7-79.

Pay slabs	Rates of Medical Allowance
Up to Rs. 1,000	Rs. 20/- p.m.
Rs. 1,000 to 1,500	Rs. 25/- p.m.
Rs. 1,501 and above	Rs. 30/- p.m.

Other terms and conditions for determining the admissibility of and regulating the Medical Allowance, as prescribed in various Board's orders issued from time to time shall remain unchanged.

Admissibility of Medical Allowance to retired Board's Employees (Pensioners)

No. 1651/WB/SEB (AS)XVIII/85-21(14) Allow/82 Dated : December 31, 1985

The Board are hereby pleased to order that Medical Allowance admissible to the respective categories of Board's serving employees, shall continue to be paid to them after retirement along with their pension at the same rate at which it was admissible to them on the date of retirement.

2. The pensioners presently drawing their pension (superannuation, retiring or invalid pension only) from the Board shall also be allowed Medical Allowance under these orders at the same rate at which it may be admissible to them on the date of their serving counterparts.

3. These orders shall come into force with effect from October 1, 1985.

4. The above relief shall be released by the Pension Disbursing Officers on the basis of this order and no separate authority shall be issued by the Chief Accounts Officer in this regard.

5. The cost on account of the above shall be debited to Board's Budget.

Rates of Medical Allowance admissible to Pensioners who retired prior to 1-4-1977

No. 2065 WC/SEB[A-X1X] 86-4 [14] F/86 Dated : December 9, 1986

In continuation of Board's O. M. No. 1651/WB/SEB [AS-XVIII]/85-21[14] Allow./82 dated 31-12-1985 the Board are pleased to order that medical allowance at the rates given below shall also be payable to Board's pensioners who retired before 1-4-1977.

Category of pensioners	Rates of Medical Allowance per month
1. Pensioner drawing pension up to Rs. 300/- per month.	Rs. 15/-
2. Pensioner drawing pension of Rs. 301/- to Rs. 425/- per month	Rs. 20/-
3. Pensioner drawing pension of Rs. 426/- to Rs. 500/- per month.	Rs. 24/-
4. Pensioner drawing pension of more than Rs. 500/- per month.	Rs. 30/-

2. The Medical Allowance at the above rates shall be payable w.e.f. 1-10-1985.

3. The above Medical Allowance shall be released by the Pension Disbursing Officer on the basis of these orders and no separate payment authority in this regard shall be issued by the Chief Accounts Officer.

4. The cost on the above shall be debited to the Board's Budget.

चिकित्सा भत्ता की वर्तमान दरों का पुनरीक्षण

संख्या : 1694/रा.वि.प.-तीस 27 पी/1988 दिनांक : 11 नवम्बर, 1988

पूर्व निवेदन करने का निर्देश है कि परिपत्राज्ञा संख्या 5593-डब्लू-बी./एस.ई.बी. (ए. एस.-18)82, दिनांक 8 अक्टूबर, 1982 एवं परिपत्राज्ञा संख्या-882 डब्लू बी/एस.ई.बी. (ए.एस.-18)/83, दिनांक 8 मई, 1983 द्वारा पूर्वकालिक परिषदीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अनुमन्य चिकित्सा भत्ता की वर्तमान दरों को दिनांक 1 जुलाई, 1988 से निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने हेतु परिषद ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :—

212

Sl. No.	Board's Order No. & date	Page No.
46	1459-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 9-12-93	40
47	1172-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 10-12-93	41
48	2420 वेतन-31/93 दि० 25-1-1994	42
49	319-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 28-2-94	42
50	842-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 27-4-94	43
51	1898-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 7-11-94	45
52	1899-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 7-11-94	45
53	1906-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 21-11-94	45
54	1907-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 21-11-94	46
55	733-यूअडी-084/94 दि० 9-3-95	46
56	142-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 1-2-96	46
57	2277-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 11-3-96	47
58	2271-डब्लू.सी./सचिव/86 दि० 10-7-96	47
59	2272-सचिव/औस-17/86 दि० 10-7-96	47
60	3332 अराज०-9/सचिव दि० 11-9-96	48
61	3982 औस/सचिव/86 दि० 19-10-96	48
62	3983-औस/सचिव/86 दि० 19-10-96	49
63	738-औस/सचिव/86 दि० 13-2-97	49
64	2139-औस/सचिव/86 दि० 15-4-97	49
65	2367-औस/सचिव/86 दि० 13-5-97	50
66	1565-अ/स.9/सचिव/97 दि० 16-5-97	51
67	3145 औस/सचिव/86 दि० 4-6-97	51
68	3146 औस/सचिव/86 दि० 4-6-97	52
69	4596 औस/सचिव/88 दि० 28-7-97	52
70	11315-औस-17/सचिव/86 दिनांक 18-12-1997	52
71	989 औस-17/सचिव/86 दि० 2-2-98	53
72	1280-औस-17/सचिव/86 दि० 13-2-98	54
73	2042-औस-17/सचिव/86 दि० 18-3-98	54
74	2410-औस-17/सचिव/86 दि० 28-3-98	56
75	1856-औस-17/सचिव/86 दि० 17-4-98	57
76	2821-औस-17/सचिव/86 दि० 23-4-98	57
77	4102-औस-17/सचिव/86 दि० 1-6-98	58
78	4213-औस-17/सचिव/86 दि० 11-6-98	59
79	4883-औस-17/सचिव/86 दि० 6-7-98	58
80	5875-औस-17/सचिव/86 दि० 31-8-98	59
81	6438-औस-17/सचिव/86 दि० 19-9-98	59
82	8471-औस-17/सचिव/86 दि० 18-12.98	60
83	1217-औस-17/सचिव/86 दि० 11-3-98	63
84	1334-औस-17/सचिव/86 दि० 19-3-99	66
85	1378-औस-17/सचिव/86 दि० 23-3-99	66
86	1188-औस-17/सचिव/86 दि० 3-4-99	67
87	1654-औस-17/सचिव/86 दि० 22-4-99	67
88	2475-औस-17/सचिव/86 दि० 16-6-99	89
89	2474-औस-17/सचिव/86 दि० 16-6-99	90
90	2820-औस-17/सचिव/86 दि० 8-7-99	90
	List of Hospitals Recognised by UPSEB for the purpose of treatment of their Employees, Pensioners & their fully dependent family members.	68
	List of Test Laboratories Recognised by UPSEB for C.T. SCAN Tests required in connection with treatment of their Employees, Pensioners and their fully dependent family members	70
	List of In-admissible Foods, Tonics, Toilets and Allopathic Medicines/Preparations Classified as Foods	71
	List of Expensive Drugs, Tonics, Laxatives or Other Elegant and Proprietory Preparations.	74

Compilation of Board's Orders on Admissibility of Medical Allowance

Admissibility of Medical Allowance to Board's Employees

Dated : April 12, 197

No. 1856/G/SEB-1-1977

Pending final decision in the matter, the Board are pleased to sanction medical allowanc to all employees, excluding those covered under the Employees' State Insurance Scheme, an other than those stationed at Projects and Places where Board are running their own dispen saries/Hospitals, at the following rates with effect from 1st April, 1977.

Pay	Rates of Medical Allowance Admissible
Upto Rs. 200/- p.m.	Rs. 10/- p.m.
From Rs. 201 to 400/- p.m.	Rs. 15/- p.m.
From Rs. 401 to 600/- p.m.	Rs. 20/- p.m.
From Rs. 601 to 1,000/- p.m.	Rs. 25/- p.m.
Above Rs. 1,000/- p.m.	Rs. 30/- p.m.

Admissibility of Medical Allowance to State Government Employees on Deputation to the Board

Dated : October 19, 197

No. 3494 F/SEB (IRI) 206-A/65

In continuation of Board's O.M. No. 1856-G/SEB-1-1977, dated April 12, 1977 on th above subject, I am directed to say that medical allowance in the above B. O. will also b admissible to State Govt. Employees on Deputation to the Board. The employees of Centra Govt. working on deputation to the Board will not be entitled to said medical allowance.

2. I am, therefore, to request that further necessary action in the matter may please b taken accordingly.

Admissibility of Medical Allowance

Dated : October 28, 197

No. 8480/G/SEB-1-103-A/87

In partial modification of the orders contained in Board's Office Memorandum No. 1856 G/SEB-1-1977, dated April 12, 1977, the rate of Medical Allowance for the Board's employee getting pay in the Wage Board scales of pay, excluding those covered under Employees' Stat Insurance Scheme and other than those stationed at Projects and places where Board ar running their own Dispensaries/Hospitals, are revised with effect from April 1, 1977 as under

Pay	Rates of modified medical allowance admissible
Upto to Rs. 350/- p.m.	Rs. 10/- p.m.
From Rs. 351/- to Rs. 600/- p.m.	Rs. 15/- p.m.
From Rs. 601/- to Rs. 850/- p.m.	Rs. 20/- p.m.
From Rs. 851/- and above p.m.	Rs. 25/- p.m.

वेतन सीमा	दर प्रतिमाह
रु० 3,000 तक	वेतन का तीन प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु० 30 तथा अधिकतम रु० 60 प्रति माह
रु० 3,000 के उपरान्त	वेतन का दो प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु० 60 तथा अधिकतम रु० 100 प्रति माह

इस भत्ते की राशि एक रुपये तक पूर्णांकित की जायेगी व 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

2. उपर्युक्त पुनरीक्षित दरों पर चिकित्सा भत्ता की अनुमन्यता हेतु दिनांक 1-4-1984 से प्रवृत्त किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों में "वेतन" का तात्पर्य उस मूल वेतन से होगा जैसा कि वित्त संहिता खण्ड-2 के नियम 9 (2)(1) में परिभाषित है। अपुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे सेवकों का "वेतन" निम्न तत्वों को सम्मिलित करके निश्चित होगा :—

(1) विद्यमान मूल वेतन तथा गतिरोध वेतन।
(2) उस पर दिनांक 1-4-84 को अनुमन्य महंगाई तथा तदर्थ महंगाई भत्ता।
(3) प्रथम अंतरिम सहायता की धनराशि।
(4) बिन्दु (1) अर्थात मूल वेतन तथा गतिरोध वेतन की बीस प्रतिशत धनराशि।

सेवा निवृत्त परिषदीय सेवकों के विषय में आवश्यक आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

Authority for drawal of Medical Allowance at revised rates

No : 2463-CAO-V-G

Dated : November 16, 1988

Board vide B.O. No. 1694 P/RVP/thirty-27 P/1988, dated 11-11-1988 have been pleased to sanction revised rates of Medical Allowance to their whole time officer/officials w.e.f. 1-7-88 at the rates given below :—

Pay Range	Rates per month
1. Up to Rs. 3,000/- in revised scales effective from 1-4-84	3% of the pay but minimum Rs 30/- and maximum Rs. 60/- per month.
2. Above Rs. 3,000/- in revised scales effective from 1-4-84.	2% of the pay but minimum Rs. 60/- and maximum Rs. 100/- per month

Medical allowance calculated on above rates may please be rounded off nearest to Re. 1/- i. e. amount less than 50 paise be ignored.

For the purpose of calculating Medical Allowance to officers of the Board in unrevised pay scales the following will be taken into account for determining the pay range :—

1. Existing Basic Pay/Stagnation Pay.
2. D.A./Adhoc D. A. admissible as on 1-4-84 on above Basic & Stagnation pay.
3. Amount of Ist Interim Relief.
4. 20% of (1) above i.e. Basic Pay and Stagnation Pay.

For the purpose of calculating Medical Allowance at above rates the Personal Pay/(Family Planning), Special Pay, Deputation Pay/allowance, Border Pay, Non-practising Pay/allowance or any other pay except Basic Pay and Stagnation Pay will not be taken into account.

76

You are accordingly authorised to draw and disburse Medical Allowance at revised rates to all officers of the Board as per terms and conditions laid down in aforesaid B.O. and relevant O.Os issued in this regard from time to time.

No Medical Allowance is admissible at the places where Board's Hospitals/Dispensaries are available.

While drawing Medical allowance at revised rates w.e.f. 1-7-88 under this authority, Medical Allowance already drawn at old rates may please be got adjusted.

परिषदीय पेंशनरों को अनुमन्य वर्तमान चिकित्सा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण

संख्या-5652-डब्लू०सी०/रा०वि०प० (औ०सं० उन्मील) 88-14(14) एफ०/86

दिनांक : फरवरी 28, 198[illegible]

उपर्युक्त विषय में मुझे निवेदन करने का निदेश है कि परिषदाज्ञा सं० 1651-डब्लू०सी०/एल०ई०सी० (ए० एम० बजाज) 85-21 (14) अवमान्य 82 दिनांक 31-12-85 द्वारा परिषद ने अपने विभिन्न सम्वर्ग के सेवकों को उनके सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी पेन्शन के अतिरिक्त चिकित्सा भत्ता उस दर से भुगतान किये जाने के आदेश किये हैं जिस दर पर वे ठीक सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त कर रहे थे। तदनन्तर विद्युत पेन्शनर्स परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा परिषद के संज्ञान में यह बात लाते हुए कि दिनांक 1-4-1977 के पूर्व सेवानिवृत्त पेन्शनरों को कतिपय पेन्शन वितरण अधिकारियों द्वारा चिकित्सा भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है, यह अनुरोध किया गया है कि समस्त पेन्शनरों को चिकित्सा भत्ता बिना किसी भेदभाव के भुगतान किये जाने के लिये परिषद उचित स्पष्टीकरण निर्गत करें। मामले में सम्यक् विचारोपरान्त वांछित स्पष्टीकरण संख्या-2056-डब्लू सी, रा.वि.प. (औ०सं०-उन्मील) 86-14 (14) एफ०/86 दिनांक 9-12-86 द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसके अनुसार समस्त पेन्शनर चिकित्सा भत्ता उस दर से प्राप्त करने के पात्र हैं जिस दर से वे ठीक सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त कर रहे थे।

2. सम्प्रति परिषदाज्ञा संख्या-1694-पी/रा०वि०प०-तीस 27 पी/88 दिनांक नवम्बर 11, 1988 द्वारा परिषद ने अपने समस्त पूर्णकालिक सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिनांक 1-7-1988 से निम्नवत पुनरीक्षित दर से चिकित्सा भत्ता अनुमन्य किया है :—

वेतन सीमा	दर प्रतिमाह
रु० 3,000 तक	वेतन का तीन प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु० 30 तथा अधिकतम रु० 60 प्रतिमाह
रु० 3,000 से उपरान्त	वेतन का दो प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु० 60 तथा अधिकतम रु० 100 प्रतिमाह

इस भत्ते की राशि एक रुपये तक पूर्णांकित की जायेगी व 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षित दर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में अनुमन्य चिकित्सा भत्ता पुनरीक्षण के फलस्वरूप अब दो गुना हो गया है। अतः उपर्युक्त की अनुकम्पा में परिषद एतद्द्वारा सहर्ष आदेश देता है कि समस्त पेन्शनर्स, सेवारत सेवकों की भांति दिनांक 1-7-1988 से निम्नलिखित पुनरीक्षित दरों पर चिकित्सा भत्ता प्राप्त करेंगे।

214

पेन्शनरों की श्रेणी	चिकित्सा भत्ते की धनराशि
1. जो रु० 1,500 तक की मासिक पेन्शन आहरण करते हैं।	पेन्शन का 6% किन्तु न्यूनतम रु० 30 और अधिकतम रु० 60
2. जो रु० 1,501 या अथवा उससे अधिक की मासिक पेन्शन आहरण करते हैं	पेन्शन का 4% किन्तु न्यूनतम रु० 60 और अधिकतम रु० 100

4. इस परिपत्राज्ञा के अन्तर्गत अनुमन्य चिकित्सा भत्ते का वितरण समस्त पेन्शन वितरण अधिकारी इस आदेश के आधार पर ही करेंगे। इसके लिये पृथक लेखाधिकारी द्वारा अलग से कोई प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त व्यय परिषदीय बजट के चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के नाम में डाला जायेगा।

प्रतिनियुक्ति पर आये पुलिस कर्मियों को चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्या : 776-डब्लू.सी./रा.वि.प.(ओ. सं. कमेटी) 89 — दिनांक : मई 18, 1989

परिषद के संज्ञान में लाया गया है कि यद्यपि सम्प्रति परिषदीय आदेशों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति में आये कार्मिकों को चिकित्सा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधायें निषिद्ध हैं, तथापि कतिपय इकाइयों में उक्त सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। परिषद पर निरन्तर दबाव डाला जा रहा है कि प्रतिनियुक्ति पर आये सभी कर्मचारियों को विशेषतः पुलिस कार्मिकों को परिषदीय कर्मचारियों की भाँति सामान्य रूप से चिकित्सा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधायें प्रदान की जायें। यह अनुचित प्रतीत होता है।

अतः मुझे आपसे अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उन परिपत्राज्ञाओं/आदेशों की प्रतियाँ उपलब्ध करवाने का कष्ट करें जिनके अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर आये पुलिस कार्मिकों को उक्त सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

With best compliments from :

SHAKTI ELCTRICALS & TRANSFORMERS

Repairer of Distribution and Medium Power Transformers

Najibabad Road
Basi Kiratpur - 246 731
(BIJNOR)

Phone ; Factory 25377 — Residence : 25375

Courtsey : Ajeet Kumar Agarwal

77

Compilation of Board's Orders on Reimbursement of Medical Expenses

Reimbursement of Medical Expenses

No. 2098 NG/11/SEB (IV) 29-NG 11/78 — Dated : May 24, 197

The Board vide O.M. No. 1856-G/SEB-1/1977, dated 12-4-1977 have sanctioned Medic Allowance to its employees to meet the expenses of petty/simple ailments of the employees an their family members.

2. In view of the fact that the Board have since withdrawn from the medical facilities, whic were hitherto available to its employees free of charge in State Government Hospitals an Medical Colleges/Institute, similar to the State Government employees, the Board are please to order full re-imbursement of the medical expenses, which will be in addition to the monthl allowance sanctioned vide O. M. dated 12-4-77, will be governed by the followin conditions :—

(1) The re-imbursement will be admissible to all the temporary and permanent officers officials of the Board, whether on duty or on leave, but excluding those employees, who ar on part-time, leave vacancy and on daily wage basis. These orders will, however, not b applicable to the employees covered by the Employees' State Insurance Scheme and those poste at projects and places where Board's dispensaries/hospicals exist, unless the Chief Medica Officer or the Medical Officer Incharge of such dispensary/hospital certifies that the requisit medical facilities are not available at the Board's dispensary/hospital at a particular place.

(2) The re-imbursement shall be admissible for the Board's officers/officials and thei dependent family members (which includes wholly dependent wife/husband legitimat children and step-children but excludes husband/wife already in service and married daughter in cases of hospitalisation, including maternity cases, at the State Government Hospitals Medical Colleges/Institutes in U.P. and at other Medical Hospitals as may be specified by th Board from time to time, irrespective of the place of posting.

(3) The medical expenses incurred by the employees on themselves and their famil members in the Hospital/Medical Institutes outside the State will also be re-imbursible, pro vided a reference for specialised treatment in such Hospital/Institute is made by an officer no below the rank of Chief Medical Officer of the State Government or Professor of Medica College/Institute in the State certifying that the treatment facility is not available in the State Such reference will not be necessary in case of hospitalisation of an employee while on officia duty outside the State.

(4) The Authorised Medical Attendant shall be an officer not below the rank of Dy Chief Medical Officer of the State Government or Reader of a Medical College/Institute i cases of employees drawing salary in the pay scales, maximum of which is Rs. 1,290/- an above, and Sub-charge or Second Medical Officer of Hospital or Lecturer of Medical College

Institute authorised to admit indoor patients in cases of employees in lower scales of pay. On refering the case or specialised treatment, the Authorised Medical Attendant will be the Officer to whom the case is referred.

(5) The Board's employees drawing basic salary in the pay scales, the maximum of which is Rs. 1,200/- and above will be entitled for private wards in the Hospitals/Institutes, while the employees in lower scales of pay will be entitled for treatment in general wards.

(6) All the expenditure incurred during hospitalisation, excepting the cost of medicines of food/nutritive value, items of toiletery, dis-infectants and prophylactic nature and the diet charges, will be re-imbursible.

(7) The expenditure on pathological tests, X-ray, cardiogram, etc., incurred during the course of hospitalisation of the employees or their family members will be re-imbursible at the rates approved by the Authorised Medical Attendant, even if such tests have been done in private dispensary/clinic.

(8) The charges incurred on engagement of private nurse during hospital and/or after release from the hospital shall also be re-imbursible as per scheduled rate of the State Government, provided the same have been certified by the Authorised Medical Attendant. The cost of medicines for a maximum period of fifteen days after release from Hospital, as certified by the Authorised Medical Attendant, will be also re-imbursible.

(9) The expenditure incurred on plastering and X-ray, etc., in the cases of fracture of bones will be re-imbursible, even if hospitalisation is not necessary. The expenses on antirabic treatment will also be re-imbursed.

(10) The following charges will not be-reimbursible ;—

(a) cost of dentures, crown work, bridge work, filling of cavities, orthodontic preshodon tic work and scaling and cleaning of teeth.

(b) cost of glasses, frames, and contact lenses in cases of eye treatment.

(c) cost of orthopaedic appliances.

(11) The air-conditioning/heating charges will not be re-imbursed if only a portion of the accomodation is air conditioned/heated and the employee is given the choice of occupying the room, except in cas; if removal of a patient in the air-conditioned room in the same hospital for certain hours is considered absolutely necessary by the Authorised Medical Attendant. However, if air-conditioning/heating is a normal part of the hospital amenities provided to all and there is no option left to the employee, expenditure on that account will be re-imbursed.

3. One single journey return railway/bus fare of the class entitled for official journeys to an employee (excluding incidental charges or daily allowances) shall be payable to the place of medical treatment in the case of hospitalisation of the employee or his/her dependent family members. In addition, one more single journey railway/bus fare of the same class could be paid for an attendant, if the same is considered necessary looking to the ailment. The payment of these fares will, however, be subject to the condition that the employee or his/her family member has been referred for treatment to outstation Hospital/Institute by the Authorised Medical Attendant at the place of headquarters of the employee.

4. The Board are also pleased to delegate the powers to sanction re-imbursement of medical claims of the employees to various field officers as below :—

Designation of Officer	Maximum amount of re-imbursement of hospitalisation at one time	Class of employee(s)
Executive Engineer	Rs. 300/-	For class III and IV staff in his jurisdiction
Superintending Engineer/ Chief Accounts Officer	Rs. 750/-	All officers/officials (except self) within his jurisdiction
Chief Engineer/General Manager/Chief Zonal Engineer/Addl. Chief Engineer/Controller of Audit and Accounts	Rs. 1,500/-	All officers/officials (except self) in his jurisdiction.

The cases beyond the above financial limits will be referred to the Board for sanction. No advance payment will, however, be admissible.

5. The claims for medical reimbursement as above shall be submitted to the officer/official along with Essentiality Certificate on the prescribed proforma as per Annexure "A", the original vouchers of payment to the Hospitals/Institutes and the cash reciepts for the cost of medicines duly verified by the Authorised Medical Attendant. The sanction for reimbursement shall be issued by the sanctioning authority in the form as per Annexure 'B' and the original vouchers, etc., will be returned duly cancelled to the Controlling Officer for preparation and disbursement of reimbursement claims.

6. *These orders will come into force with effect from April 1, 1977.

ANNEXURE 'A'

FORM OF ESSENTIALITY CERTIFICATE

(To be completed in case of patient admitted to hospital for treatment)

1. Name of Patient :
2. Name and designation of employee on whom dependent :
3. Relationship of patient with employee :
4. Pay scale of the employee :
5. Office of posting :

I, Dr...hereby certify that :—

1. The above patient was admitted for treatment of...........(disease) at...........(Hospital/ ....(Name of place) on...........................(date) on my advice/on the advice of Dr.......................and has been discharged from the hospital on...........

* Added vide B. O. No. 2367-NG-II/SEB (IV)/29-NG-II/78, dated June 17, 1978.

78

216

2. The under-mentioned medicines prescribed by me during the period of hospitalisation and thereafter (up to a maximum of 15 days after release from the hospital) were essential for the treatment/recovery/prevention of the serious deterioration in the condition of the patient, vouchers for which have been verified. These medicines/injections do not include preparations which are of food/nutritive value and of toiletory, disinfectant and prophylactic nature ;

Sl. No.	Name of Medicine	Quantity	Cost in Rs.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.		*Total Cost : Rs.*	

3. The accomodation was provided to the patient in private/general ward of this hospital as is ordinarily provided to the in-patient of the employee's status, for which he had been charged @ Rs.........per day from.......to.......(date). This does not include/includes diet charges of the patient @ Rs.........per day.

4. The X-ray/laboratory tests, etc., on which an expenditure of Rs.........was incurred, were necessary and were undertaken on my advice. The same are at the scheduled rates of the Government hospitals/laboratories

5. The services of special nurse were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in the condition of the patient, for the period from.........to.........(dates), on which an expenditure of Rs.........was incurred.

6. The operation and/or other hospital charges totalling Rs.........have been incurred on the treatment of the patient.

7. The services of Dr.........were essential for specialised consultation, on which an amount of Rs.........has been incurred.

Signature of employee .... *Signature of Authorised Medical Attendant (with seal)*

ANNEXURE 'B'

DRAFT OF OFFICE MEMORANDUM

Sanction is accorded to the re-imbursement of medical expenses amounting to Rs......... ....(Rupees.........) incurred by Sri/Smt./Km.........(name, designation and place of posting) on his/her own treatment/on the treatment of his/her wife/husband/daughter Sri/Smt./Km.........

The cost on account of the above will be debited to the head "Establishment Contingencies" during the current financial year.

The bills and cash memos are returned herewith duly cancelled.

Name and designation of the Sanctioning Officer

Reimbursement of Medical Expenditure by the Board's Employees

No. 2367-NG-II/SEB-(IV) 29 NG-II/76 Dated : June 17, 197

ADDENDUM

The following be added as para 6 in B.O. No. 2083-NG-II/SEB-IV-29-NG-II/78, dated May 24, 1978.

"6. These orders will come into force with effect from April 1, 1977."

Reimbursement of Medical charges incurred by the Board's Employees

No. 199-G/SEB-1-103A-1978 Dated : March 17, 1979

I am directed to refer to the correspondence resting with Board's O. M. No. 2088-NG II, SEB-IV-29-NG II-78,dated May 24, 1978 on the above subject and to say that in continuation of para 2(2) of the same, it has been decided that apart from State Govt. Hospitals, Medical Colleges/Institutes in the State as specified therein, re-imbursement of medical expenses shall be admissible to the Board's employees at the hospitals specified hereunder subject to the conditions set out in the Board's O.M. ibid :

Lucknow District	1. Vivekanand Polyclinic 2. Fatima Hospital
	3. Noor Manzil Psychiatric Centre
Sitapur District	4. Eye Hospital
Jhansi District	5. Christian Hospital, Jhokan Bagh
Bareilly District	6. Clara Swain Hospital
Aligarh District	7. Mohan Lal Eye Hospital
Ghaziabad District	8. Narendra Mohan Hospital, Mohan Nagar
Varanasi District	9. Sir Sunder Lal Hospital, BHU
Gonda District	10. Eye Hospital (Sitapur Branch)
	11. Mission Hospital, Katra
Basti District	12. Eye Hospital (Sitapur Branch)

2. I am, however, to add that re-imbursement of medical expenses during hospitalisation in respect of Fatima Hospital would be admissible only in cases of treatment by full time doctors of the Hospital and not otherwise and that the orders in para 1 shall be deemed to be effective from 1-4-1977.

परिषदीय अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति

संख्या : 2161-जी/रा०वि०प०-एक-103-ए/1978 दिनांक : मई 16, 1980

उक्त विषयक परिषद के ज्ञापन संख्या 2088-एन०जी०/रा०वि०प० चार दिनांक 24 मई, 1975 के स्थायित पत्र व्यवहार के संदर्भ में मुझे यह निवेदन करने का निदेश है कि उपर्युक्त विषय पर समुचित पुनर्विचारोपरान्त परिषद ने उक्त परिपत्राज्ञा के प्रस्तर-2 मद (2) एवं (5) के आंशिक संशोधन मे अनुलिखित निर्णय लहूँ लिये हैं:—

79

217

1. चिकित्सा व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु कर्मचारी व उस पर पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्यों में पत्नी/पति व बच्चे तथा सौतेले बच्चों के साथ-साथ कर्मचारी पर आश्रित माता-पिता भी सम्मिलित समझे जायेंगे।

2. प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने की अनुमन्यता उन परिषदीय कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी जिनका प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने के दिनांक को मूल वेतन रु० 600 अथवा अधिक है। भविष्य में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली असंगति के निराकरणार्थ उपर्युक्त 600 रु० की न्यूनतम सीमा समानुपातिक रूप से बढ़ा दी जायेगी।

2. सम्प्रति परिषद में केवल सेवारत परिषदीय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधायें अनुमन्य हैं, किन्तु ये सुविधायें उनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त परिषद ने सहर्ष यह भी निर्णय लिया है कि समस्त सेवा निवृत्त परिषदीय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मात्र परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु भर्ती के समय औषधि आदि पर वहन किये गये वास्तविक व्यय की क्षतिपूर्ति उसी स्तर तथा सीमा तक कर दी जाया करे, जो उन्हें सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त थी। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को निवृत्ति उपरान्त सेवारत कर्मचारियों के अनुरूप कोई मासिक चिकित्सा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

3. सेवानिवृत्त अधिकारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रत्यावेदनों पर स्वीकृति परिषद मुख्यालय से प्रदान की जायेगी तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों पर स्वीकृति वही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता या अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रदान करेंगे जिनके अधीन सम्बन्धित कर्मचारी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व कार्यरत थे, तथापि इन चिकित्सा व्ययों के प्रत्यावेदनों का भुगतान उसी कार्यालय द्वारा किया जायेगा जहाँ से सम्बन्धित सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी पेंशन आहरित कर रहे हैं।

Recognisation of hospitals for reimbursement of medical expenses incurred by Board's employees during Hospitalisation

No. 3250-G/SEB-I-108-(I)-A/78 — Dated : August 28, 1980

I am directed to refer to the correspondence resting with Board's letter No. 199-G/SEB-I-103A/1978, dated 17 March, 1979 on above subject and to say that the Board have been pleased to recognise Christian Hospital, Herbertpur (Near Dakpathar), Dehradun for reimbursement of medical expenses incurred by Board's employees during hospitalisation on the conditions set out in Board's O.M. No. 2088-NG-II/SEB-IV-29-NG-(II)-79, dated 24 May, 1978.

Reimbursement of Medical Expenses incurred by Board's Employees during Hospitalisation

No. 1905-G/SEB-I-123(I)A/78 — Dated : July 13, 1981

I am directed to refer to the correspondence resting with Board's letter No. 3250-G/SEB-I-103(I) A/78) dated August 28, 1980 on the above subject and to say that the Board have been further pleased to recognize, **Ram Krishna Mission Hospital, Kankhal, Hardwar and Bharat Heavy Electricals Ltd., Central Hospital, Ranipur, Hardwar** for reimbursement of medical expenses incurred by Board's employees during hospitalisation on the express conditions set out in Board's Office Memorandum No. 2088-NG-II/SEB-IV-29-NG/79, dated May 24, 1978.

Reimbursement of Medical Expenses to Board's employees

Dated : 22-9-1981

50-Karmik-(IX)-(R)/SEB-81

I am directed to say that of late it has been observed that reimbursement claims o employees, requiring sanction of the Board, are being forwarded to the Board invariably as a routine without scrutiny and examination, in terms of existing orders of the Board at Zonal Project level. Apart from other difficulties the Board is saddled with the examination of each and every voucher submitted by the concerned employee. More often it is found that had the claim been scrutized at your end it could be dispoped off within your powers and the same is not required to be forwarded to the Board for sanction.

I am, accordingly, desired to request that before the reimbursement claims are forwarded to the Board for sanction the same be examined and scrutinized at your end and a certificate on the lines below be invariably given—

"Certified that the reimbursement claims of Sri............has been thoroughly examined and each voucher checked in terms of existing orders of the Board and it is recommended that an amount of Rs..........................(Rs.................................) has been found admissible which may be sanctioned for reimbursement."

The above instructions may please be followed rigidly.

Reimbursement of medical expenses incurred by Board's employees during hospitalisation

No. 6100-WC/SEB (A-XIX) 81-103 (I) A/78 — Dated : 15-9-8

I am directed to refer to the correspondence resting with Board's letter No. 1905-G/SEB-103(I)/78, dated July 13, 1981 on the above subject and to say that the Board have been further pleased to recognize Mariampur Hospital, Kanpur, for reimbursement of medical expenses incurred by Board's employees during hospitalisation on the express conditions set out in Board's Office Memorandum No. 2088-NG-II/SEB-IV-29-NG-II/78, dated May 24, 1978.

I am also to clarify that since U.H M. Hospital, Kanpur is Government Hospital, it is already covered by para 2(2) of B.O. No. 2088-NG-II/SEB-IV-29-NG-II/78, dated 24/5/78 for purposes of medical re-imburcement.

Reimbursement of medical expenses incurred by Board's employees during hospitalisation

No. 6989-WC/SEB(AS-IXX)-81-103(I)A/73 — Dated : June 26, 198

In continuation of Board's Order No. 6100-WC/SEB (AS XIX) 81-103(I)A/78, dated September 15, 1981 on the above subject, the Board have further been pleased to recognise Kanpur Eye Hospital (now known as Dr. Jawahar Lal Rohatgi Memorial Eye Hospital), Kanpur, for the purpose of reimbursement of medical expenses incurred by Board's employees during hospitalisation on the express conditions set out in Board's Office Memorandum No. 2088-II/SEB-IV-29-NG-II/78, dated May 24, 1978.

Partial reimbursement of medical expenses incurred by Board's employees during hospitalisation

No. 5444-WG/SEB-(AS-XIX)82-103(I)A/78 Dated : Jan. 10, 1983

In partial modification of the orders issued vide O. M. No. 2088-NG-II/SEB(IV) 29-VG-II/78, dated May 24, 1978, the Board are pleased to order that in cases where hospitalisation of an employee or dependent is likely to be prolonged and expensive, the Chief Engineer/General Manager/Chief Zonal Engineer/Addl. Chief Engineer/Chief Controller of Audit & Accounts may allow partial reimbursement of expenses incurred during a week or a fortnight of hospitalisation, as considered necessary according to the circumstances of each case while the treatment is continuing, provided that the total amount of reimbursement so sanctioned during the entire period of hospitalisation, i.e., from the date of admission to the hospital and the date of discharge therefrom, does not exceed the limit of Rs. 1,500/- as prescribed vide para 4 of the O.M. referred to above. This power of sanctioning partial reimbursement shall be exercised by the above named authorities in respect of members of staff of all units (Circles, Divisions, etc.) under their administrative control. The form of Essentiality Certificate for claiming/sanctioning such partial reimbursement shall be as given at Annexure to this O.M.

2. Other terms and conditions regarding admissibility of partial reimbursement as above shall be the same as in the case of full re-imbursement as contained in O. M. No 2088-NG-II/SEB(IV)-29-NG-II/78, dated May 24, 1978.

3. In case where the anticipated amount of expenses on hospitalisation is likely to exceed the limit of Rs. 1,500/- the Chief Engineer/General Manager/Chief Zonal Engineer/Addl. Chief Engineer/Chief Controller of Audit & Accounts may refer the case to the Board giving the anticipated period and amount of expenses likely to be involved in the treatment along with their recommendation with regard to periodicity and the amount of each instalment of partial re-imbursement to be sanctioned by the Board.

ANNEXURE 'A'

FORM OF ESSENTIALITY CERTIFICATE FOR PARTIAL REIMBURSEMENT OF MEDICAL EXPENSES DURING PROLONGED AND/OR EXPENSIVE HOSPITALISATION

(To be completed in case of patient admitted to hospital for treatment)

1. Name of Patient :
2. Name and designation of employee on whom dependent :
3. Relationship of patient with employee :
4. Pay scale of the employee :
5. Office of posting :

I, Dr...hereby certify that :—

1. The above patient was admitted for treatment of.........(disease) at..........**(Hospital)** ....(Name of place) on.................................(date) on my advice/on the advice of Dr.......................His treatment is still continuing and he/she is likely to remain hospitalised for another.........................(weeks/months).

2. The undermentioned medicines prescribed by me during the period of hospitalisation ....(date) to..............................(date) were essential for the recovery/prevention of the serious deterioration in the condition of the patient, for which have been verified. These medicines/injections do not include preparations which are of food/nutritive value and toiletory, disinfectant and prophylactic nature :—

S. No.	Name of Medicine	Quantity	Cost in Rs.

Total Cost of : Rs.

3. The accommodation was provided to the patient in private/general ward of this hospital as is ordinarily provided to the in-patient of the employee's status, for which he had been charged @ Rs.............per day from..............to..............(date). This does not include/includes diet charges of the patient @ Rs.........per day.

4. The X-ray (laboratory tests, etc., on which an expenditure of Rs.........was incurred, were necessary and were undertaken on my advice. The same are at the scheduled rates of the Government hospitals/laboratories.

5. The services of special nurse were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in the condition of the patient, for the period from............to............(dates), on which an expenditure of Rs..............was incurred.

6. The operation and/or other hospital charges totalling Rs..............have been incurred on the treatment of the patient.

7. The services of Dr.............were essential for specialised consultation, on which amount of Rs..............has been incurred.

Signature of employee

Signature of Autorised Medical Attendant with Seal)

हृदय रोग से पीड़ित परिषदीय सेवकों को "पेसमेकर" लगवाने पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य

दिनांक : नवम्बर 3, 1983

संख्या 2147-डी/रा०वि०प०-का-1 1036/1978

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति विषयक परिषदीय ज्ञापन सं० 2088-एन०जी०/रा०वि०प०-चार, दिनांक 24 मई 1978 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यद्यपि चिकित्सालय में भर्ती होकर चिकित्सा कराने की दशा में परिषदीय सेवकों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के आदेश विद्यमान हैं तथापि कुछ ऐसी मदें हैं जिन पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार की मदों में "पेसमेकर" भी है जो कि एक प्रकार का यन्त्र है, किन्तु उसका उपयोग अब एक जीवनदायिनी औषधि के रूप में किया जाने लगा है।

2. अतएव उक्त मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् परिषद ने सहर्ष निर्णय लिया है कि यदि कोई परिषदीय सेवक हृदय रोग से पीड़ित है और उसे सक्षम चिकित्साधिकारी के मतानुसार "पेसमेकर" लगवाने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में पेसमेकर लगवाने की सुविधा जिसमें पेसमेकर का मूल्य भी सम्मिलित है, सरकारी चिकित्सालयों अथवा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में भर्ती होकर पेसमेकर लगवाने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भी उक्त परिषदादेश में वर्णित विभिन्न प्राविधानों एवं औपचारिकताओं की पूर्ति के प्रतिबन्ध के सहित अनुमन्य होगी।

3. उक्त चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मात्र परिषदीय सेवकों के लिये ही अनुमन्य होगी न कि उनके आश्रित कुटुम्बियों की और इस व्यय की स्वीकृति परिषद द्वारा ही प्रदान की जायेगी। ये आदेश [illegible] प्रभाव से लागू होंगे।

219

18

Reimbursement of expenses incurred in treatment in hospitals outside the State

No. 273 WC/SEB(AS-XIX) 84-103(1)A/78 Dated : 6-3-1984

I am directed to invite your attention to clause 3 of para 2 of Board's O.M.No. 2088 NG 11/SEB(IV)-29-NG-11/78, dated 24-5-78 which provides that expenses incurred in treatment of employees and their family members, in hospitals/medical institutes located outside the State will be re-imbursible provided a reference for specialised medical treatment in such hospital/institute is made by an officer not below the rank of Chief Medical Officer of the State Government or Professor of Medical College/Institute in the State certifying that the treatment facility is not available in the State. Instances have come to notice where the employees have claimed re-imbursement for expenses incurred on treatment in hospitals outside the State to which they had gone for treatment simply on a bare reference being made by the medical authority concerned without the medical authority also clearly certifying that the treatment facility for that particular ailment is not available in the State.

I am to state that in accordance with the orders referred to above re-imbursement of expenses incurred on treatment in hospitals outside the State is not admissible unless and until the prescribed medical authority not below the rank of Chief Medical Officer of State Government or Professor of Medical College/Institute refering the case to a particular hospital/institute outside the State also clearly certify that facility for the treatment of the ailment in question is not available in the State.

It is, therefore, emphasized that in cases where employees and their family members are referred to Hospitals/Institutes located outside the State for treatment, the concerned employee should obtain a certificate from the medical authority in the form annexed herewith and the same should be submitted by the employee along with the claim for re-imbursement of medical expenses incurred in treatment in the said hospitals/institutes outside the State. No claim for reimbursement of expenses in hospitals/institutes outside the State should be entertained unless it is accompanied by the certificate referred to above.

These orders may kindly be brought to the notice of all employees in the organisation under you.

CERTIFICATE

I..................(Name and Designation of Medical authority) hereby certify that I have examined Sri/Smt./Km..............(name of patient) wife/husband/son/daughter/father/mother of.......................(name of employee) and am of the opinion that he/she is suffering from...................(name of disease in capital letters).

I also certify that facility for treatment of the above ailment is not available within the State of Uttar Pradesh. I, therefore, refer him/her for treatment at.........(name of Hospital/Institute..............(name of City and State) where treatment facilities exist.

Signature of Medical Authority
Name :
Designation :
Seal :

Date..............

Certificate of dependency required for claiming re-imbursement of medical expenses

No. WC/SEB (AS-XIX)84-103(1)A/78 Dated : March 22, 1984

I am directed to say that orders granting facility of reimbursement of expenses incurred on hospitalisation of Board's employees and their wholly dependent family members which includes their wife/husband, legitimate and step children but excludes husband/wife ... in service and married daughters, were issued vide O. M. No. 2088-WC-IV-SEB(IV) ... NG-11/78 dated 24-5-78. Subsequently, vide Board's letter No. 2161-G-/SEB-1-105-A/78, dated 16-5-80 this facility was extended to the retired Board's employees and their wholly dependent family members also, and the definition of family in the case of both serving and retired Board's employees was extended to include their dependent father/mother in addition to wife/husband, legitimate and step children.

2. In terms of the above mentioned orders dated 24-5-78 and 16-5-80 re-imbursement of expenses incurred on hospitalisation is admissible in respect of only those family members who are "wholly dependent" on the Board's employee, i.e. those family members who do not have any independent source of income or any independent means to support themselves in life, and at the same time they are not entitled to free medical treatment facility or facility of reimbursement of medical expenses from any source. The term income, in this context would include pension from Govt., income from property, patents, interest on fixed deposits, income from investments, etc.

3. Instances, however, are coming to notice, where claims for reimbursement of medical expenses have been submitted by Board's employees in respect of their family members without clearly specifying that the concerned family member was wholly dependent on him.

4. In order to ensure proper implementation of the orders referred to in para 1 above it has been decided that in all cases where claims for reimbursement in respect of dependent family members are submitted by Board's employees (including retired Board's employees), such claims should also be accompanied by a certificate in the form as at annexure, without which the claim will not be entertained.

CERTIFICATE

Certified that Sri/Smt./Km... ... aged--- --years is/was my father/mother/son/daughter and he/she is/was wholly dependent on me, i.e., he/she has/had no independent source of income or any independent means to support himself/herself in life.

2. I also certify that the above named is/was not entitled to free medical treatment facility or reimbursement of medical expenses from any source.

(Signature of Board's Servant)
Name..............(Block letters)
Designation
Place of posting :

Place..........

Date..........

Facility of X-Ray and Pathological tests at Govt. hospital or hospitals/clinics recognised by the Board in Kanpur district extended to Board's employees posted at Panki Thermal Power Station

No. 2928-WC/SEB (AS-XIX) 84-7F/82 Dated : July 12, 1984

The Board are pleased to order that, pending setting up of permanent facility for X-Ray and Pathological tests at the Panki Thermal Power Station, the actual expenditure incurred by officers and employees posted at the Panki Thermal Power Station on X-Ray and pathological tests got done in respect of their self and wholly dependent family members (wife/husband/father/mother/son/daughter) at the Govt. hospital or hospitals/clinics recognized by the Board for purposes of medical reimbursement in Kanpur district shall be reimbursed to them provided the same is prescribed by the Board's doctor posted at the Power Station.

2. The doctor's certificate and the claim for reimbursement shall be in the proforma at Annexure I & II.

3. The above facility will not be admissible to employees covered by E.S.I. Scheme.
4. The cost on account of the above shall be debited to the Board's budget.
5. These orders shall come into force with immediate effect.

ANNEXURE-I

Form of Doctor's Certificate for prescribing X-Ray/Pathological Test

Certified that I have examined Sri/Smt./Km————son/wife/daughter/father/mother of Sri/Smt./Km.——.———(name) ————— (designation) posted at Panki Thermal Power Station.

In my opinion the following test (s)/X-Ray is/are necessary for diagnostic purpose, facilities for which are not available in the Panki Project Hospital.

Dated——.——

Signature of Doctor
(Name and Seal)

ANNEXURE-II

Form for claiming reimbursement for X-Ray/Pathological Tests at Panki Thermal Power Station

1. Name of Board's employee claiming re-imbursement————
2. Name of patient————
3. Relationship with Board's employee— ———
4. Tests prescribed by Doctor (Attach Doctor's Certificate)————
5. Name of Hospital where X-Ray/Pathological test got done————
6. Date of test————
7. Charges paid (Attach receipt)————

Certified that the above named person is wholly dependent on me as per B.O. No. 1045-WC/SEB (AS-XIX) 84-103(I) A/78 dated March 22, 1984.

Date————

(Signature of Employee)
Designation & Unit of Posting

"[illegible] स्कैन टेस्ट" पर होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु "उत्तर प्रदेश मेडिकल सेन्टर, लखनऊ" को मान्यता प्रदान

दिनांक : जनवरी 5, 1985

[illegible]/रा०वि०प०-का-एक-102-ए/1978

[illegible] परिषदीय आदेश संख्या 199-डी-/[illegible]-एक-103ए/1979 दिनांक 17 मार्च, [illegible] मस्तिष्क की विकृति आदि के परीक्षणार्थ की जाने वाली जाँच "कैट स्कैन [illegible]" के लिये है कि यह सुविधा प्रदेश में सम्प्रति मात्र लखनऊ स्थित "उत्तर प्रदेश मेडिकल सेन्टर" में ही उपलब्ध है और यह [illegible] कठिन एवं व्ययसाध्य होने के कारण परिषद के मान्यता प्राप्त किसी चिकित्सालय में अभी [illegible] उपलब्ध नहीं है। अतः परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परिपत्रांक संख्या 2088-एस-डी/[illegible] [illegible]/29 एसबी-2-78, दिनांक 24 मई, 1978 के प्रस्तर-2 में निहित प्राविधानों को शिथिल करते हुए "उत्तर प्रदेश मेडिकल सेन्टर, लखनऊ" को भी इस आशय की मान्यता प्रदान की जाती है कि यदि कोई परिषदीय सेवक [illegible] प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों [illegible] किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से सन्दर्भित किये जाने पर उक्त सेन्टर पर "कैट स्कैन टेस्ट" (बिना चिकित्सालय में भर्ती हुए भी) कराता है तो उसे उक्त परीक्षण पर हुए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेन्ट) परिषद मुख्यालय द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।

2. मुझे यह भी कहना है कि यद्यपि यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे, अभी तक "कैट स्कैन टेस्ट" की व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी जो मामले अनिस्तारित/लम्बित पड़े हों, उन्हें भी इन आदेशों के अनुसार निस्तारित किया जा सकेगा। कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को इस निर्णय से अवगत करा दें।

Re-imbursement of expenses incurred by Board's employees on treatment during hospitalisation in Ayurvedic, Homeopathic and Unani Hospitals of the Govt.

No. 3647-WC/SEB (AS-XIX) 85-14 (21) F/84 Dated : Nov. 8, 198

I am directed to say that a clarification has been sought whether expenses incurred o[n] treatment during hospitalisation in Govt. Ayurvedic/Homeopathic/Unani Hospital is reim[bursible] or not in terms of Board's G. M. No. 2088-WC-II/SEB (IV)-IV-29-II/78, date[d] 24-5-1978. In this connection, I am to clarify that as per clause 2 of the second para of t[he] said B.O. dated 24-5-78 expenses incurred on treatment during hospitalisation in State Gov[t.] Hospitals, Medical Colleges/Institutes are re-imbursible. The said provision does not disti[n]guish between the various school of medical treatment and, therefore, expenditure incurr[ed] during hospitalisation in the Ayurvedic/Homeopathic/Unani Hospitals of the State Govt. sh[all] also be admissible in terms of the provisions contained in the said B.O. dated 24-5-78.

परिषदीय सेवकों की चिकित्सा हेतु प्राइवेट वार्ड की अनुमन्यता

दिनांक : मार्च 10, 19[illegible]

संख्या : 4070-कम्यू सी./रा.वि.प.(ओल-उन्नीस) 85-103 (एक) ए/78

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या-2161-रा.वि.प.-एक 103ए/78, दिनांक 16-5-80 द्वारा आदेश जा[री] किए गये थे कि प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने की अनुमन्यता उन परिषदीय कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी जिन[का] प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने के दिनांक को मूल वेतन रु० 600/- अथवा उससे अधिक है। भविष्य में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली असंगति के निवारणार्थ उपर्युक्त 600/- रु० की न्यूनतम सीमा समानुपातिक रूप से बढ़ा दी जायेगी।

जिस समय उपर्युक्त आदेश जारी किए गये थे उस समय केन्द्रीय वेतन मंडल की अनुशंसाओं से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 1-7-79 से पुनरीक्षित वेतनमान तथा केन्द्रीय वेतन मण्डल की अनुशंसाओं से अनाच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 1-8-72 से अथवा 1-10-72 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू थे। अतः उपर्युक्त रू० 600/- मूल वेतन की न्यूनतम सीमा का तात्पर्य उसी मूल वेतन से था जो उक्त तिथियों से पुनरीक्षित वेतनमानों में मिल रहा था।

तत्पश्चात परिषद् ने केन्द्रीय वेतन मण्डल की अनुशंसाओं से आच्छादित कर्मचारियों के वेतनमानों को दिनांक 1-4-79 से पुनरीक्षित किया है तथा केन्द्रीय वेतन मण्डल की अनुशंसाओं से अनाच्छादित कर्मचारियों के वेतनमानों को दिनांक 1-4-74 तथा 1-4-79 से एक साथ तथा एक ही समय में पुनरीक्षित किया है। इस परिस्थिति में परिषद् ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने की अनुमन्यता केवल उन्हीं कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जिनका मूल वेतन दिनांक 1-4-79 से पुनरीक्षित वेतनमानों में रू० 750/- अथवा तदोपरि है। इस प्रयोजन हेतु विशेष वेतन भत्ता को मूल वेतन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, अर्थात् उन कर्मचारियों को जिनके वेतनमानों में मूल वेतन के साथ विशेष वेतन भत्ता भी स्वीकृत है, उन्हें प्राइवेट वार्ड की सुविधा तभी उपलब्ध होगी यदि विशेष वेतन भत्ता को छोड़कर उनका मूल वेतन रू० 750/- अथवा तदोपरि है।

ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जिन्हें उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित परिषदादेश दिनांक 16-5-80 के अन्तर्गत प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने की सुविधा अनुमन्य थी परन्तु दिनांक 1-4-79 से पुनरीक्षित वेतनमानों में उनका मूल वेतन रू० 750/- से कम निर्धारित हुआ है तो ऐसे मामलों में प्राइवेट वार्ड की सुविधा उन्हें यथावत मिलती रहेगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पूर्व निर्णित मामलों को इस आदेश के अन्तर्गत पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

कैट स्कैन टेस्ट पर होने वाले चैकित्सिक व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्या 1865 डब्लू.सी./रा.वि.प (औन-उत्थान) 86-103 (एक) ग/78 दिनांक : जून 28, 1986

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या-5007 सी/रा.वि.प.का-एक 102ए/78, दिनांक 5-1-85 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परिषदादेश द्वारा मस्तिष्क आदि के परीक्षणार्थ की जाने वाली जांच "कैट-स्कैन टेस्ट" की सुविधा प्राप्त करने के लिये "उत्तर प्रदेश मेडिकल सेन्टर, लखनऊ" को, मान्यता इस प्रतिबन्ध के सहित प्रदान की गई थी कि यदि कोई परिषदीय सेवक किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के प्राधिकृत चिकित्साधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से सन्दर्भित किये जाने पर उक्त सेन्टर में कैट-स्कैन टेस्ट (बिना चिकित्सालय में भर्ती हुए भी) कराते हैं तो उन्हें उक्त परीक्षण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद् द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी। कतिपय क्षेत्रों से परिषद् के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन में निम्न बिन्दुओं के स्पष्ट न होने पर कुछ भ्रांति हो रही है :—

1. उक्त "कैट-स्कैन टेस्ट" की उक्त सुविधा मात्र परिषदीय सेवक हेतु है अथवा परिषदीय सेवक के साथ-साथ उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों को भी अनुमन्य करायी जा सकती है ?

2. परिषदादेश संख्या-2088-एल.ओ-सी/रा.वि.प. (4) -भार-29-एल.सी.सी/78, दिनांक 24-5-78 द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों को रू० 1,500/- तक हुए चैकित्सिक व्यय की प्रतिपूर्ति अपने स्तर से कराने का अधिकार विद्यमान रहने पर भी क्या कैट-स्कैन टेस्ट पर हुए चैकित्सिक व्यय जिसकी धनराशि की मात्रा चाहे कम हो, की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति परिषद् मुख्यालय से ही दी जायेगी।

इस सम्बन्ध में उक्त बिन्दु निम्नवत स्पष्ट किये जाते हैं :—

1. कैट-स्कैन टेस्ट की सुविधा परिषदीय सेवकों के साथ-साथ उन पर पूर्णतः आश्रित उन परिजनों तथा ... सौतेले बच्चों तथा आश्रित माता-पिता को भी अनुमन्य होगी जिनको परिषदादेश सं० 2088 एल- ... रा.वि.प., दिनांक 24-5-78 सपठित संख्या 2161-सी/रा.वि.प., दिनांक 16-5-80 द्वारा परिभाषित ... किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त परिषदीय सेवक द्वारा उन पर पूर्णतः आश्रित उपर्युक्त परिजनों के चिकित्सा ... की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन करते समय परिषदादेश संख्या 1043-डब्लू.सी-/रा.वि.प. (औन-उत्थान) 84 दिनांक 22-3-84 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. कैट-स्कैन परीक्षण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति मात्र परिषद् मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभाग से ही दी जायेगी। दूसरे शब्दों में इस परीक्षण के व्यय की प्रतिपूर्ति किसी भी स्तर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/प्रधिकारियों को उपर्युक्त स्पष्टीकरण से भली प्रकार अवगत करा दें ताकि प्रश्नगत प्रकार के विषयों के निस्तारण में कोई भ्रान्ति न पड़े।

चिकित्सा हेतु भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिल्ली स्थित निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान

संख्या 2639-डब्लू.सी./रा.वि.प (औन उत्थान) 76-68-एक/84 दिनांक : सितम्बर 15, 1986

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या 5009-सी/रा.वि.प.-का-एक 102ए/78, दिनांक 5-1-85 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली स्थित राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों की अत्यधिक भीड़ होती है तथा उनमें विशेष प्रकार के टेस्ट कराने एवं भर्ती होने के लिये लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिसके कारण वहाँ से तत्काल समुचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिषद् ने सम्यक विचारोपरान्त दिल्ली स्थित निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है :—

1. होली फैमिली हास्पिटल
2. मूल चन्द खैराती राम हास्पिटल
3. सेंट स्टीफेंस हास्पिटल, तथा
4. सर गंगा राम हास्पिटल

2. उपर्युक्त चिकित्सालयों में चिकित्सार्थ भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के मामलों में अनुमन्य होगी जो परिषद् के दिल्ली स्थित कार्यालय में तैनात हों। इसके अतिरिक्त यह सुविधा परिषद् के उन पेंशनरों (एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों) के मामलों में भी अनुमन्य होगी जो परिषद् की सेवा से निवृत्ति के पश्चात दिल्ली में सामान्य रूप से वास कर रहे हैं।

3. उपर्युक्त चिकित्सालयों में उपचार के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद् के सामान्य नियम तथा आदेशों के अनुसार ही की जायेगी।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

84

22

Recognition of hospitals, X-Ray Centres and reimbursement of medical expenses incurred by Board's employees posted at Panki Project

No. 2399-WC (AS-XIX) 86-103 (I) A/78 TC Dated : November 26, 1986

In continuation of Board's O.M. No. 2920-WC/SEB (AS-XIX) 84-7F/82 dated 12-7-84 and with reference to your note No. G-57/PTPS/GM dated 26-4-86 and No. 1648/PTPS/GM/PA/SE-III/D-2 dated 19-5-86, I am directed to say that Board are pleased to recognise the following institutions for purposes of re-imbursement of medical expenses incurred by employees posted at Panki Project on themselves and their dependent family members :—

(a) Lakhanpur Hospital, Lakhanpur, Kanpur.
(b) Brij X-Ray Centre, Panki, Kanpur.

2. The re-imbursement of expenses incurred on X-Ray and pathological tests in cases not requiring hospitalisation shall be done in accordance with the provisions and procedure contained in the O.M. dated 12-7-84 referred to above.

3. Re-imbursement of expenses incurred on treatment during hospitalisation at the Lakhanpur Hospital shall be done in accordance with the provisions and procedure laid down in Board's O.M. No. 2088-NG-II/SEB IV (IV)-IV-29-NG-II/78 dated 24-5-78 read with B.O. No. 2161-G/RVP-I-103-A78 dated 16-5-80, No. 5444-WC/SEB (AS-XIX) 82-103 (IA/78 dated 10-1-83, No. 1045-WC/SEB (AS-XIX) 84-103(I)A/78 dated 22-3-84 and No. 4070 WC/RVP (A.S.-19) 85-103(I)A/78 dated 10-3-86.

ऐच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसूति के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता

संख्या : 1501-डब्लू.सी./रा.वि.प. (ओस-उन्नीस) 86-9-एम/86 दिनांक : जनवरी 27, 1987

3. परिषद् ने यह भी निर्णय लिया है कि अब दो बच्चों के बाद परिषदीय महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रसूति के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल दो बच्चों तक ही सीमित रखी जायेगी, अर्थात तीसरे बच्चे के डिलीवरी-व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

4. अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णयों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि उनका सुचारु रूप से कार्यान्वयन सम्भव हो सके।

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्या : 285-डब्लू. सी./रा.वि.प. (ओस-उन्नीस) 87-(1) एफ/86 दिनांक : मार्च 19, 1987

परिषदाज्ञा संख्या 2088-एन. जी.-दो/रा.वि.प. (चार)-29 एन.जी.-दो/78, दिनांक 24-5-78, संख्या 2161-जी/रा.वि.प. का-एक-103ए/78, दिनांक 16-5-80 तथा संख्या 2147 जी/रा.वि.प.-का 1-103ए/78 दिनांक 3-11-83 के अनुक्रम में मुझे निवेदन करने का निदेश है कि परिषद् ने कर्मचारियों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं।

1. सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित उनके परिवार के सदस्यों को पेसमेकर लगवाने पर हुए सम्पूर्ण व्यय, जिसमें पेसमेकर का मूल्य भी सम्मिलित होगा, की प्रतिपूर्ति उपर्युक्त परिषदादेश संख्या 2088 एन.जी.-दो/रा.वि.प. (चार)-चार-29 एन.जी.-दो/78, दिनांक 24-5-78 में वर्णित विभिन्न प्राविधानों एवं औपचारिकताओं की पूर्ति के प्रतिबन्ध के सहित की जायेगी।

सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित उनके परिवार के ... कृत्रिम अंग एवं शरीर में अपरिहार्य रूप से लगाये जाने वाले उपकरणों पर हुए सम्पूर्ण व्यय, कृत्रिम ... उपकरण के मूल्य को सम्मिलित करते हुए, की प्रतिपूर्ति उपर्युक्त परिषदादेश सं० 2088-एन.जी. (चार)-चार 29-एन.जी.-दो/78, दिनांक 24-5-78 में वर्णित विभिन्न प्राविधानों एवं औपचारिकताओं की पूर्ति के प्रतिबन्ध सहित की जायेगी।

यदि किसी सेवारत कर्मचारी/अधिकारी तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित उनके परिवार के सदस्यों ... आदेशों के अनुसार निर्धारित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर किन्तु भारतवर्ष के ... किसी चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु संदर्भित किया जायेगा तो कर्मचारी/अधिकारी के तैनाती स्थान से ... नगर तक जिसमें सम्बन्धित उपचार का संस्थान स्थित है, रोगी के लिये एवं एक अटेन्डेन्ट के लिये एक बार आने-जाने का रेल/बस का किराया जो कर्मचारी/अधिकारी की श्रेणी के अनुसार अनुमन्य हो, दिया जायेगा, चाहे ... संस्थान में रोगी को उपचार के लिये भर्ती किया जाय अथवा नहीं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उन पर पूर्ण रूप से आश्रित उनके परिवार के सदस्यों के मामलों में यह सुविधा उनके निवास के नगर से उपचार संस्थान के नगर तक के लिये अनुमन्य होगी और एक बार आने-जाने के लिये रेल/बस का किराया उसी श्रेणी का अनुमन्य होगा, जो कर्मचारी/अधिकारी को सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अनुमन्य था।

4. प्रदेश के समस्त राजकीय/परिषदीय अस्पतालों, परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों के मेडिकल आफिसर एवं उनके, प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों के लेक्चरर एवं उनके, जो उपचार हेतु रोगी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिये प्राधिकृत हैं, परिषद् के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों (एवं उनके परिवार के सदस्यों) चाहे वे कितना भी वेतन आहरित करते हों, के लिये प्रथम श्रेणी मेडिकल अटेन्डेन्ट होंगे। परिषदाज्ञा संख्या-2088-एन.जी.-दो/रा.वि.प. (चार)-चार-29 एन.जी.-दो/78, दिनांक 24-5-78 का मद-2 (4) इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त मद-2(4) के अन्य उपबन्ध यथावत लागू होंगे।

5. प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में स्थित कार्यालय में तैनात परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उक्त जनपद में निवास कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी, तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्यों को भी दिल्ली स्थित होली फैमिली हास्पिटल, मूल चन्द खैराती राम हास्पिटल, सेंट स्टीफेंस हास्पिटल, तथा गंगा राम हास्पिटल में उपचारार्थ भर्ती होने की दशा में परिषदीय नियम एवं आदेशानुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझे जायेंगे।

District Eye Hospital, Moradabad recognised for reimbursement of medical expenses incurred by the Board's employees

No. 3130-WC/SEB (AS-XIX)87-11 (II) F/87 Dated : Sept. 10, 1987

In continuation of Board's letter No. 2399-WC/SEB (AS-XIX) 87-103 (I) A/78 dated 26-11-86 on the subject cited above, I am directed to say that the Board are further pleased to recognise the District Eye Hospital, Civil Lines, Moradabad for re-imbursement of medical expenses incurred by Board's serving and retired employees on treatment of eye ailment of their own and their wholly dependent family members during hospitalisation in the afore-mentioned hospital, on the express conditions set out in Board's O.M. No. 2088 NG-II SEB (IV)-IV-29-NG II 78 dated May 24, 1978.

85

22

Reimbursement of medical expenses for treatment of Cancerous diseases at Tata Memorial Hospital, Bombay admissible even in case of outdoor treatment

No. 480-WC/SEB (AS-XIX) 88-11(4) F/86 Dated : February 26, 1988

In continuation of Board's O.M. No. 2088-NG-II/SEB-(IV)-IV-29-NG-II/78 dated May 24, 1978 read with B.O. No. 285-WC/SEB (AS-XIX)87-11-(2)F/86 dated 19-3-87 Board is further pleased to order that the medical expenses incurred by the employees on out door treatment of Cancerous diseases of themselves and their wholly dependent family member at the Tata Memorial Hospital, Bombay shall also be re-imbursible provided such cases have been referred to the said Hospital by the Authorised Medical Attendant.

Recognition of few more hospitals for re-imbursement of medical expenses incurred by Board's employees during hospitalisation

No. 949-WC/SEB (AS-XIX) 88-11 (II) F/86 Dated : Sept. 1, 1988

In continuation of Board's letter No. 6100-WC/SEB (AS-XIX) 81-103(I) A/78 dated 15-9-81 on the subject noted above, I am directed to say that the Board have been further pleased to recognise the following hospitals for re-imbursement of medical expenses incurred by Boards' employees on treatment of themselves and their wholly dependent family members during hospitalisation in terms of Board's O. M. No. 2088-NG-II/SEB (IV)-IV-29 NG-II/78 dated 24-5-78 read with B.O. No. 1043-WC-SEB (AS-XIX) 84-103(I) A/78 dated 22-3-84 and para-4 of B.O. No. 285-WC/SEB (AS-XIX)87-11 (2) F/86 dated 19-3-87.

1. Ram Krishna Mission Hospital, Luxa, Varanasi.
2. Nazareth Hospital, Allahabad.
3. Lakhanpur Hospital, Lakhanpur, Kanpur.

The Board are also pleased to recognise M/s. Usha Pathology & X-Ray, Opposite L.L.R. Hospital, Swaroop Nagar, Kanpur for purposes of re-imbursement of medical expenses incurred by employees posted at Panki Project, on themselves and their dependent family members. The re-imbursement of expenses incurred on X-Ray and pathological tests at M/s. Usha Pathology & X-Ray shall be done in accordance with the provisions and procedure contained in Board's O.M. No. 2920 WC/SEB (AS-XIX) 84-7-F/82 dated 12-7-84.

दिनांक 1-4-1984 से पुनरीक्षित वेतनमानों के अन्तर्गत रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा एवं चिकित्सालयों में प्राइवेट वार्ड की अर्हता हेतु वेतन सीमा का निर्धारण

संख्या : 220-वी एण्ड एफ. पी./रा.वि.प./प्राजी-14वी- एण्ड एफ. पी./88 दिनांक : अक्टूबर 21, 1988

परिषदादेश संख्या 1066-वी/रा.वि.प.-30-वी/67, दिनांक 28 दिसम्बर, 1967 के तारतम्य में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1-4-84 से प्रभावी किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों के अन्तर्गत निम्नानुसार रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा की अनुमन्यता हेतु ऐसे परिषदीय सेवक अर्ह होंगे जिनका वित्त संहिता खण्ड-2 भाग-2 के मूल नियम-9 (21) के अधीन वेतन रु० 1650 एवं ऊपर होगा। इसी प्रकार चिकित्सा सुविधा विषयक आदेशों के अन्तर्गत उपचार हेतु प्राइवेट वार्ड में भर्ती के लिए अर्हता की सीमा भी रु० 1650/- ही होगी।

2. मुझे यह भी कहना है कि यदि कोई सेवक अपुनरीक्षित वेतनमान में उपर्युक्त सुविधाओं के लिये अर्ह थे किन्तु पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त वेतन की सीमा से आच्छादित नहीं होते हैं तो भी वे उक्त सुविधाओं के लिये अर्ह बने रहेंगे।

ये आदेश तत्काल प्रभावी माने जायेंगे किन्तु निर्णीत मामले पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

परिषद् के सेवानिवृत्त सेवकों तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्यों को श्रवण यन्त्र (Hearing Aid) तथा कृत्रिम दन्तावली (Artificial Denture) की सुविधा प्रदान

संख्या : 80-डब्लू० सी०/रा.वि.प.(ए०एस०-उन्नीस)88-11(14)एफ/86 दिनांक : जनवरी 7, 1989

परिषदादेश संख्या-285-डब्लू.सी./रा.वि.प. (ए०एस०-उन्नीस) 87-11(2)एफ/86, दिनांक 19-3-87 के क्रम में मुझे निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि परिषद् ने अपने सेवानिवृत्त सेवकों तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्यों को श्रवण यन्त्र (Hearing Aid) तथा कृत्रिम दन्तावली (Artificial Denture) लगवाने पर होने वाले वास्तविक व्यय को पूर्ति किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की है। इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

1. उपर्युक्त सुविधा को प्राप्त करने के लिये सर्व प्रथम यह आवश्यक है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति राजकीय चिकित्सालय अथवा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्साधिकारी, जैसा कि सम्बन्धित परिषदादेश दिनांक 19-3-87 के प्रस्तर-(4) में परिभाषित है तथा जिसका प्रारूप सुगम सन्दर्भ हेतु नीचे दिया जा रहा है, से संलग्न प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा तथा उसको संलग्न करते हुए अपना आवेदन पत्र सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, शक्ति भवन, लखनऊ को पूर्वानुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त यदि सेवा निवृत्त व्यक्ति पर पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्य हेतु उक्त सुविधा की आवश्यकता है तो उस आवेदन पत्र के साथ परिषदादेश संख्या-1043-डब्लू.सी./रा.वि.प. (ए०एस०-उन्नीस) 84-103(1)ए/78 दिनांक 22-3-84 में निर्धारित प्रमाण-पत्र को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात श्रवण यन्त्र (Hearing Aid) तथा कृत्रिम दन्तावली (Artificial Denture) लगवाये जाने पर होने वाले वास्तविक व्यय को वाउचर तथा रसीद के सम्बन्धित प्राधिकृत चिकित्साधिकारी से सत्यापित कराकर उसे आवेदन पत्र (साथ संलग्न) के साथ संलग्न करते हुए प्रतिपूर्ति स्वीकृतार्थ उस मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अधि.यन्ता/मुख्य परियोजना प्रबन्धक को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके अधीनस्थ रहकर सम्बन्धित व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ है। ऐसे दावों की प्राप्ति पर उक्त अधिकारी दावे की आवश्यक जाँचोपरान्त प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 के आवेदन पत्र में सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा उस वितरण केन्द्र का नाम व पूरे पते का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य है जहाँ से वह अपनी पेन्शन आहरित करता है, ताकि उसे प्रश्नगत मदों पर हुये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति उस केन्द्र के माध्यम से की जा सके।

4. यदि कृत्रिम दन्तावली राजकीय अस्पताल अथवा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल से बनवाई जाये या वह सुविधा वहाँ उपलब्ध न हो तो किसी स्रोत से बनवाने पर वास्तविक मूल्य परन्तु अधिकतम जैसा कि नीचे अंकित है, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी :—

आंशिक दन्तावली 1 से 4 दाँतों तक	रु० 50/-	आंशिक दन्तावली 5 से 10 दाँतों तक	रु० 100/-
10 दाँतों से अधिक	रु० 200/-	आधी दन्तावली	रु० 250/-
पूरी दन्तावली	रु० 500/-		

86

224

CERTIFICATE

I have examined Sri/Smt./Km. ....
Son/Wife/Daughter/Husband of Sri/Smt. ....
(name of retired Board's Servant) and in my opinion he/she is in need of a hearing aid/denture of the description given below the fitting of which I recommended :—

Description..

....

Approximate Cost..

Signature of Retired Board's servant, with full name and address.

Signature of Authorised Medical Attendant with Seal

प्रमाण-पत्र

मैंने श्री/श्रीमती/कु० ....की कि श्री/श्रीमती ....(सेवानिवृत्त व्यक्ति का नाम) के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति हैं, का परीक्षण किया तथा यह उस पाया कि इन्हें श्रवण यंत्र/कृत्रिम दन्तावली, जिसका विवरण निम्नवत् है, लगवाया जाना आवश्यक है, जिसकी मैं संस्तुति करता हूं :—

विवरण ....

अनुमानित मूल्य ....

....

पूरे नाम व पते सहित सेवानिवृत्त परिषदीय सेवक का हस्ताक्षर

प्राधिकृत चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर, मोहर सहित

कैट स्कैन टेस्ट पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ काशी मेडिकल सेन्टर, वाराणसी को मान्यता प्रदत्त

संख्या-5734-अनु.सी./रा.वि.प.(औ०सं०-उन्नीस)88-11(11)एफ/86 दिनांक : 10-3-1989

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं०-2639-अनु०सी०/रा०वि०प० (औ०सं०-उन्नीस) 86-68-एफ/84, दिनांक 15-9-86 के अनुक्रम में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि परिषद् ने अपने आदेश सं०-5009 सी०/रा०वि०प० का-एफ-102ए/78, दिनांक 5-1-85 द्वारा कैट स्कैन टेस्ट करवाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मेडिकल सेन्टर, लखनऊ को मान्यता प्रदान किया था, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में केवल उक्त सेन्टर पर ही उक्त सुविधा उपलब्ध थी। परन्तु अब यह सुविधा अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध हो चुकी है। परिषदीय सेवकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों को उक्त सुविधा जिससे सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त काशी मेडिकल सेन्टर, वाराणसी को सहर्ष मान्यता प्रदान की है।

[illegible] पर कैट स्कैन करवाने पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति परिषदादेश सं०-5009 [illegible]-का-एफ-102ए/78, दिनांक 5-1-85 सपठित संख्या 1865-अनु०सी०/रा०वि०प० (औ०सं०-[illegible]103(एफ)ए/78, दिनांक 28-6-86 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित शासन परिषद (मुख्यालय) [illegible] की जायेगी।

चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ एवं पीलीभीत मिशन हास्पिटल, मझोला को मान्यता प्रदत्त

[illegible]303-अनु.सी./रा.वि.प.(औ.सं.-उन्नीस)89-11(31)एफ/86 दिनांक : मार्च 31, 1989

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं० 6100-अनु.सी./रा.वि.प.(औ.सं.-उन्नीस) 81-103(1)एफ/78 दिनांक 13-5-81 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ [illegible] उपकरणों से युक्त है तथा वहां विभिन्न बीमारियों के उपचार की अति विशिष्ट सुविधा भी विद्यमान [illegible] परिषदीय कार्यालयों में तैनात परिषदीय [illegible] इसके अतिरिक्त मझोला विद्युत गृह एवं [illegible] परिषदीय [illegible] का अनुरोध परिषद में प्राप्त हुआ है। [illegible] को उत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने [illegible] के परिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित चिकित्सालयों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है :—

1. संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ
2. पोलीगंज मिशन हास्पिटल, मझोला, जनपद पीलीभीत

2—उपर्युक्त चिकित्सालयों में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों को परिषदादेश संख्या 2088-एसबी-2/रा.वि.प.(भाग)-29-एस.बी.-2/78 दिनांक 24-5-78 में निहित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

लम्बी बीमारी की स्थिति में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति बिना चिकित्सालय में भर्ती हुए स्टेट मेडिकल बोर्ड की संस्तुतियों पर अनुमन्य

संख्या : 603-अनु.सी./रा.वि.प.(औ.सं.-उन्नीस)89-11(3)एफ/88 दिनांक : मई 10, 1989

परिषदीय सेवकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अब तक अस्पताल/चिकित्सा केन्द्र/मेडिकल कालेज में उपचारार्थ भर्ती होने की दशा में ही की जाती है। प्रायः यह देखा गया है कि तब लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी की स्थिति में उपचार किया जाता है तो परिषदादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होता, जिसके कारण प्रभावित सेवकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 2088-एस.बी.-2/एस.ई.बी.(4)-29 एस.बी.-2/78 दिनांक 24-5-78 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए परिषद ने सहर्ष निर्णय लिया है कि परिषद के सेवारत [illegible] सेवकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी की स्थिति में चलने वाली बीमारियों के उपचारार्थ चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केवल "स्टेट मेडिकल बोर्ड" की संस्तुतियों पर ही की जायेगी। यह आदेश दिनांक 1-11-88 से प्रभावी होंगे।

परिषदीय सेवकों द्वारा चिकित्सा पर व्यय किये गये दावों की प्रतिपूर्ति स्वीकृति हेतु पुनर्गठित अधिकारों का केन्द्रीय अधिकारी में प्रतिनिधायन

संख्या 672-अनु.सी./सचिव(औ.सं.-उन्नीस)89-11(11)एफ/86 दिनांक : जुलाई 10, 1989

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि परिषदीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-2088-एस.बी.-2/सचिव(भाग)-29-एस.बी.-2/78, दिनांक 24-5-78 के प्रस्तर-4 द्वारा परिषद ने अपने

87

सेवकों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति हेतु विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों में निम्नलिखित अधिकारों का प्रतिनिधायन किया था :—

अधिकारी का पदनाम	चिकित्सालय में एक बार की भर्ती पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि	सेवकों का वर्ग
अधिशासी अभियन्ता	रु० 200/-	उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवकों हेतु
अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी	रु० 750/-	स्वयं को छोड़कर अधीनस्थ समस्त अधिकारी/अधिकारिगण
मुख्य अभियन्ता/महा प्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/अपर मुख्य अभियन्ता/वित्त नियंत्रक एवं लेखा नियंत्रक	रु० 1500/-	स्वयं को छोड़कर अधीनस्थ समस्त अधिकारी/अधिकारिगण

2. उपर्युक्त क्षेत्रीय अधिकारियों में अधिकारों के प्रतिनिधायन किये जाने का मूलभूत उद्देश्य यह था कि चिकित्सकीय व्ययों की प्रतिपूर्ति के उन मामलों का निस्तारण त्वरता के आधार पर क्षेत्रीय स्तर से ही सके, जिनमें दावे की धनराशि उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-2 में दर्शायी गयी धनराशि तक सीमित हो, तथा अधिक वित्तीय भारयुक्त दावों का निस्तारण परिषद मुख्यालय स्तर से किया जाए। इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं था कि परिषद मुख्यालय में अपरिहार्य रूप से तालिका की सीमा से बाहर के तथा अधिक धनराशि के दावों, जिनकी संख्या कम से कम हो, का ही निस्तारण करना पड़े। परिषदीय सेवकों के वेतनमानों में समय-समय पर पुनरीक्षण के फलस्वरूप एवं वर्तमान समय में औषधियों एवं चिकित्सीय शुल्कों में हुई अत्यधिक वृद्धि आदि के दृष्टिकोण से उपर्युक्त निहित उद्देश्य की समीक्षा करने पर यह दृष्टिगोचर होता कि सम्प्रति यह विफल हुआ जा रहा है। अतः परिषद ने मामले में सम्यक विचारोपरान्त परिषदीय आदेश दिनांक 24-5-78 के प्रस्तर-4 को निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने का सहर्ष आदेश दिया है :—

अधिकारी का पदनाम	चिकित्सालय में एक बार की भर्ती पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि	सेवकों का वर्ग
अधिशासी अभियन्ता	रु० 500	उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवकों हेतु
अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी	रु० 1000	स्वयं को छोड़कर समस्त अधीनस्थ अधिकारी/अधिकारिगण
मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/अपर मुख्य अभियन्ता/वित्त नियंत्रक एवं लेखा नियन्त्रक	रु० 2000	स्वयं को छोड़कर समस्त अधीनस्थ अधिकारी/अधिकारिगण
एरिया चीफ	रु० 3000	—तदैव—

89

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आप से अनुरोध है कि उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उपर्युक्त तालिका में अनुमन्य सीमा से अधिक के दावों को ही परिषद मुख्यालय में निस्तारणार्थ प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

नेत्र उपचार पर चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एल०वी० प्रसाद आई इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद को मान्यता प्रदान

संख्या : 1070-डब्लू.सी./रा.वि.प. (औ.सं.-19)89 — दिनांक : अगस्त 10, 1989

एतद् द्वारा परिषद अपने कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की उत्तम नेत्र उपचार उपलब्ध कराने तथा उस पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सम्यक विचारोपरान्त एल.वी. प्रसाद आई इन्स्टीट्यूट, रोड नं० 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) को सहर्ष मान्यता प्रदान करता है।

यह आदेश दिनांक 1-7-89 से लागू होंगे।

चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लक्ष्मी देवी किशन चन्द मेमोरियल अस्पताल, कानपुर, एन०टी०पी०सी० अस्पताल, शक्तिनगर/विन्ध्याचल एन०सी०एल० अस्पताल, सिंगरौली को मान्यता प्रदान

सं० 608-डब्लू०सी०/राविप(औ०सं०-उन्नीस)89-11(11)एफ/86 — दिनांक : अगस्त 30, 1989

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या-303-डब्लू०सी०/राविप(औ०सं०-उन्नीस)89-11(11) एफ/86 दिनांक 31-3-89 के अनुक्रम में परिषद ने निम्नलिखित अस्पतालों को चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की है :—

1. लक्ष्मी देवी किशन चन्द मेमोरियल अस्पताल, 150, रतनलाल नगर, कानपुर।
2. एन०टी०पी०सी० अस्पताल, शक्ति नगर/विन्ध्याचल।
3. एन०सी०एल० अस्पताल, सिंगरौली।

2. उपर्युक्त चिकित्सालयों में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए वास्तविक चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति परिषदीय सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों को परिषदादेश संख्या-2088-एन०जी० 2 राविप(भार)-29-एन०जी०-2/78 दिनांक 24-5-78 में निहित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने स्तर पर चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार नहीं

संख्या : 799-एस.डी.-09/रा०वि०प०/90-14(108)एन.डी./89 — दिनांक : मार्च 23, 1990

परिषद अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को कुछ शर्तों के अधीन अपनी/अपने पूर्णतः आश्रित परिवारजनों की चिकित्सा पर होने वाले वास्तविक व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराती है। सामान्यतः कर्मचारी/अधिकारी द्वारा चिकित्सा कराने के उपरान्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त / परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित सक्षम क्षेत्रीय अधिकारी/परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। किन्तु कुछ शारीरिक व्याधियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी चिकित्सा अति व्ययशील होती है और कर्मचारी/अधिकारी के अपने सीमित वित्तीय स्रोतों से चिकित्सा कराना

226

सम्भव नहीं होता । इस स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा परिषद से चिकित्सा अग्रिम प्रदान किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर आवश्यक विचारोपरान्त परिषद द्वारा विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी/अधिकारी को चिकित्सा अग्रिम भी प्रदान किया जाता है, जो बाद में कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले चिकित्सा के दावे से समायोजित कर लिया जाता है।

कर्मचारी/अधिकारी को चिकित्सा अग्रिम प्रदान करने का अधिकार मात्र परिषद में ही निहित है, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में परिषद के संज्ञान में यह बात आयी है कि कर्मचारी/अधिकारी द्वारा चिकित्सा अग्रिम प्रदान किये जाने की प्रार्थना किये जाने के उपरान्त मामला परिषद को संदर्भित किये बिना सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से कर्मचारी/अधिकारी को चिकित्सा अग्रिम प्रदान कर दिया जाता है। उनकी कार्यवाही उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर और पूर्ण रूप से अनियमित होती है।

अतः सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कर्मचारी/अधिकारी को अपने स्तर से चिकित्सा अग्रिम प्रदान किये जाने की कार्यवाही पर परिषद अपना रोष प्रकट करते हुए यह आदेश देते हैं कि चिकित्सा अग्रिम प्रदान करने का अधिकार मात्र परिषद में ही निहित होने के कारण सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से कर्मचारी/अधिकारी को किसी भी स्थिति में चिकित्सा अग्रिम प्रदान न किया जाये। यदि किसी मामले में चिकित्सा अग्रिम प्रदान करना अति आवश्यक हो तो उस स्थिति में "आवश्यकता दर्शाते हुए" विशेष वाहक द्वारा प्रस्ताव परिषद को भेजकर स्वीकृति प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ एस्कोर्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली एवं सेंट ल्यूक्स हास्पिटल, साकेत, मेरठ को मान्यता प्रदान

संख्या : 3062(एक)डब्लू.सी./राविप(औ.सं. उन्नीस)90-11(11)एम/86 दिनांक : जुलाई 26, 1990

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या-608 डब्लू.सी./राविप (औ.सं.-उन्नीस) 89-11)11) एम/86 दिनांक 30-8-89 के अनुक्रम में परिषद् ने निम्नांकित अस्पतालों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की है :—

1. एस्कोर्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली (हृदय की अन्य चिकित्सा के निमित्त)
2. सेंट ल्यूक्स हास्पिटल, साकेत, मेरठ।

उपर्युक्त चिकित्सालयों में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सेवारत एवं सेवानिवृत्त सेवकों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिवारों को परिषदादेश संख्या2088 एम.सी.2/राविप (चार)-29 एम.सी./2/77, दिनांक 24-5-78 में निहित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

चिकित्सा व्यय के दावों की प्रतिपूर्ति

संख्या : 3322-एम.सी.-09(अ)/रा०वि०प०/90-14(67)एम०सी०/90 दिनांक : 31 जुलाई, 1990

परिषद अपने कर्मचारियों/उन पर पूर्णतया आश्रित परिवारजनों को केन्द्र/राज्य सरकार के चिकित्सालय/परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में तथा राज्य के सक्षम चिकित्साधिकारियों द्वारा संदर्भित किये जाने पर राज्य के बाहर के चिकित्सालयों में भी भर्ती होकर चिकित्सा कराने एवं स्टेट मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर चिकित्सालय में बिना भर्ती हुए भी चिकित्सा कराने पर होने वाले चिकित्सा व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। एक निश्चित धनराशि तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को प्राप्त है और उससे अधिक धनराशि के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों पर परिषद स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

[illegible] को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों से अपेक्षा [illegible] विषय पर उपलब्ध परिषदादेशों के अन्तर्गत दावों का अपने स्तर से परीक्षण कराकर ही [illegible] हेतु अपनी संस्तुति के साथ परिषद को उपलब्ध करायेंगे। इस सम्बन्ध में परिषदादेश सं० 75 [illegible])/एमसी-81 दिनांक 22-9-81 द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को समुचित निर्देश [illegible] चुके हैं, किन्तु विगत समय में प्रायः यह देखने में आया है कि परिषद को दावे प्रेषित करते समय [illegible] 750 कार्मिक दिनांक 22-9-81 के अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमा[illegible] के साथ संलग्न कर दिया जाता है कि "दावे का उनके स्तर पर परीक्षण कराया गया और [illegible] धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति की जाती है", लेकिन वास्तव में दावे का कोई परीक्षण [illegible]। दावों का परीक्षण न किये जाने के कारण दावों में कभी-कभी कुछ ऐसी त्रुटियाँ रह जाती हैं, [illegible] निराकरण क्षेत्रीय स्तर पर ही हो गया होता यदि उन्हें परीक्षित करा लिया गया होता। इन त्रुटियों [illegible] हेतु दावों को वापस कर दिया जाता है जिससे इनके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

[illegible] दावों का परीक्षण कराये बिना उन पर "प्रमाण पत्र" प्रदान कर दिये जाने की औपचारिकता निभा दे[illegible] के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति [illegible] दावे स्वीकृति हेतु परिषद को प्रेषित करने से पूर्व इन्हें अपने स्तर से भली भाँति परीक्षित कराना कृपया सुनिश्चित करें। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित प्रारूप पर दिया गया प्रमाण पत्र दावे के साथ संलग्न किया जा[illegible] चाहिये :—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.................. पदनाम.................. तैनाती स्थान..................
के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का भली भाँति परीक्षण किया गया। विषय पर उपलब्ध परिषदादेशों के अन्तर्गत दावे के प्रत्येक वाउचर/पर्चों की जाँच परखा गया। जाँचोपरान्त श्री..................
..................को धनराशि का दावा सही पाया गया और इस धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु परिषदीय का रु०..................
स्वीकृति प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।

अधिकारी का नाम..................

पदनाम..................

दिनांक..................

यदि उपर्युक्त प्रमाण पत्र दे देने के बाद दावे में कोई कमी पायी जाती है तो इस त्रुटि के लिए सम्बन्धित अधिकारी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त परिषदादेश संख्या 1043 डब्लू सी/एमसी (औ०सं०-उन्नीस) 84-103 (1)(ए[illegible] 78 दिनांक 22-3-84 के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों में "आय" की परिभाषा कोई बहुत स्पष्ट न[illegible] दिखती। अतः इस परिषदादेश की एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि [illegible] परिषदादेश के प्राविधानों से सभी अधीनस्थों को अवगत करा दें एवं यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों द्वारा दि[illegible] जाने वाले "आश्रित प्रमाण पत्र" को कम से कम कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित [illegible] किया जाये।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

89

227

प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कु०........................आयु..................वर्ष मेरी/मेरे पिता/पुत्र/पुत्री हैं/थे और वह मुझ पर आश्रित हैं/थे, अर्थात उनका आय का कोई स्वतन्त्र स्रोत नहीं है/था और न ही जीवन निर्वाह का कोई स्वतन्त्र साधन है/था ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त नामित व्यक्ति को किसी भी स्रोत से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अथवा चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है/थी ।

स्थान..............................

(परिषदीय सेवक के हस्ताक्षर)

दिनांक

नाम..............................

तैनाती का स्थान..............................

पदनाम..............................

चिकित्सा सुविधा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की मद में चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति

संख्या-2 पी.एल./3063-डब्लू.सी./रा.बि.प. (औ. स.-उर्जीय)-90-11 (11)-एफ/7 दिनांक जनवरी 3, 91

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदादेश सं०-2088-एफजी-2/रा.बि.प.(भार)-29 एफ-जी-2/78 दिनांक 24-5-78 द्वारा परिषदीय सेवकों को चिकित्सालय में उनके अथवा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों के उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समस्त चिकित्सा व्यय प्रथमतः परिषदीय सेवकों को ही वहन करना पड़ता है, जिसकी प्रतिपूर्ति अस्पताल से छुट्टी पाने पर कतिपय निहित औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् ही सम्भव होती है । इस व्यवस्था के कारण दुस्साध्य एवं व्यय-साध्य रोगों के उपचार में हताशा के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ प्रकाश में आयी हैं, जिनके निराकरण के लिये चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने की व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया है ।

2— अतः उक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त परिषद ने संदर्भित परिषदादेश दिनांक 24-5-78 में निहित प्रस्तर-4 के अन्तिम वाक्य को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय को मात्र निम्नलिखित रोग-विशेषों से आक्रान्त रोगियों के मामलों में चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने का विशेष अधिकार प्रदत्त किया है :—

1. हृदय की बाई-पास सर्जरी
2. वाल्व प्रतिस्थापित करना
3. पेस मेकर लगवाना
4. किडनी ट्रान्सप्लांटेशन
5. मस्तिष्क के वृहद आपरेशन, तथा
6. कैंसर के बड़े आपरेशन

इस प्रकार के चिकित्सा अग्रिम की धनराशि को सम्बन्धित परिषदीय सेवक के नाम परिषद द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, परन्तु स्वीकृत अग्रिम की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी (ड्राइंग एवं डिस्बर्सिंग आफिसर) द्वारा उस चिकित्सालय को सीधे किया जायेगा जहाँ रोगी की चिकित्सा चल रही है, अथवा होनी है । परन्तु इस राशि को परिषदीय सेवक के नाम "अग्रिम भुगतान" के रूप में दिखाया जायेगा ।

3— उपर्युक्त परिषदादेश में निहित व्यवस्थाओं के क्षेत्रीय स्तर पर त्वरित एवं सही क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित आहरण अधिकारी (ड्राइंग एवं डिस्बर्सिंग आफिसर) का यह उत्तरदायित्व होगा कि वांछित चिकित्सा अग्रिम की धनराशि सम्बन्धित चिकित्सालय को भुगतान किये जाने के पूर्व सम्बन्धित परिषदीय सेवक से लिखित प्रदान की गे प्रारूप पर सहमति/घोषणा पत्र प्राप्त कर लेंगे ।

[illegible] उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित रोगों के उपचार हेतु स्वीकृत की गई अग्रिम की धनराशि के [illegible]-प्रस्त है इन रोगों के चिकित्सालय से अवमुक्त (डिस्चार्ज) होने के बाद दो माह के अन्दर [illegible] के नाम अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई है, वह उक्त चिकित्सा पर हुए खर्चे का विवरण [illegible]) के साथ तथा परिषद द्वारा निर्धारित "एसेन्सियेलिटी फार्म," आदि सभी, चिकित्सा के [illegible] द्वारा प्रमाणित कराकर अपने सम्बन्धित कार्यालय को, जहाँ से चिकित्सा अग्रिम का भुगतान [illegible] किया गया है, को प्रस्तुत करेगा । सम्बन्धित कार्यालय समस्त अभिलेखों का परीक्षण करके परिषदीय [illegible] आवश्यक प्रपत्रों के साथ चिकित्सा अग्रिम को समायोजित करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की [illegible] हेतु दावा (क्लेम) उचित माध्यम द्वारा परिषद को प्रेषित करेगा । यदि दावे (क्लेम) की कुल [illegible] चिकित्सा अग्रिम की धनराशि से अधिक है, तो चिकित्सा अग्रिम की धनराशि को दावे की कुल [illegible] बढ़ाने पर आने वाला अवशिष्ट धनराशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के आदेश क्षेत्रीय कार्यालयों से [illegible] होने पर परिषद द्वारा किया जायेगा, किन्तु यदि दावे की कुल राशि स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की [illegible] से कम है तो ऐसी दशा में दोनों धनराशियों के अन्तर की धनराशि को परिषदीय सेवक द्वारा जिस [illegible] से चिकित्सा अग्रिम की धनराशि का भुगतान चिकित्सालय को किया गया है उस कार्यालय में जमा [illegible] करवाकर उसकी रसीद को दावे के साथ प्रस्तुत करने पर ही प्रस्तुत दावे का निस्तारण किया जायेगा ।

संलग्नक

सहमति/घोषणा-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु०..............................(परिषदीय सेवक का नाम)..............................(पदनाम) लिखित घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा मांगी गई चिकित्सा अग्रिम की धनराशि को, सम्बन्धित परिषदादेश के प्राविधानानुसार..............................(चिकित्सालय का नाम), जहाँ मैं/मुझ पर पूर्णतः आश्रित परिजन उपचारार्थ भर्ती हुँ/है अथवा भर्ती होऊँगा/होऊँगी/होगा, सीधे उपर्युक्त चिकित्सालय को भुगतान किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऐसी दशा में मैं समस्त स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की धनराशि को समायोजित किये जाने/लौटाये जाने (जैसी भी स्थिति होगी) के लिए स्वयं उत्तरदायी हूंगा/हूंगी । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि चिकित्सालय से अवमुक्त (डिस्चार्ज) होने पर दो माह के अन्दर मैं उक्त चिकित्सा पर हुए खर्चे का विवरण जैसा कि परिषदीय आदेश संख्या-3063-डब्लू०-सी०/रा०वि०प० (औ.स.-उर्जीय) 90-11(11)एफ/86 दिनांक 3 जनवरी, 1991 में निहित है, नहीं प्रस्तुत करता/करती हूँ तो परिषद मेरे द्वारा देय धनराशि की कटौती मेरे वेतन एवं मेरे अन्य अवशेषों से वसूल कर सकती है ।

परिषदीय सेवक का हस्ताक्षर, दिनांक सहित

प्रतिहस्ताक्षरित

आहरण एवं वितरण अधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक एवं रबड़ मोहर सहित

परिषदीय सेवकों द्वारा चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु पुनरीक्षित अधिकारी का क्षेत्रीय अधिकारियों में प्रतिनिधायन

सं० 3 पी० एल०-3782 (एक) डब्लू० सी०/रा०वि०प (औ० सं०-उर्जीय) 90 दिनांक : जनवरी 8, 1991
11 (11) एफ/86

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या 872 डब्लू०सी०/रा०वि०प (औ० सं०-उर्जीय) 89-11 (11) एफ/86 दिनांक 10-7-89 द्वारा परिषद ने अपने सेवारत एवं सेवानिवृत्त सेवकों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृतार्थ विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों में निम्नलिखित अधिकारों का सहर्ष प्रतिनिधायन किया था :—

अधिकारी का पदनाम	चिकित्सालय में एक बार भर्ती पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि	सेवकों का वर्ग
अधिशासी अभियन्ता	रु० 500/-	उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवकों हेतु
अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी	रु० 1,000/-	स्वयं को छोड़कर समस्त अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारीगण
मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/अपर मुख्य अभियन्ता/सम्परीक्षा एवं लेखा नियंत्रक	रु० 2,000/-	स्वयं को छोड़कर समस्त अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारीगण
एरिया चीफ	रु० 3,000/-	—तदैव—

2. उपर्युक्त प्रतिनिधायन का मूलभूत उद्देश्य यह था कि उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-2 में दर्शायी गयी धनराशि की सीमा तक के दावों का निस्तारण त्वरता के आधार पर क्षेत्रीय स्तर से ही हो सके तथा अधिक वित्तीय भारयुक्त दावे ही परिषद (मुख्यालय) स्तर पर परीक्षणोपरान्त स्वीकृतार्थ वहाँ से निस्तारित हों। परिषदीय सेवकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण एवं चिकित्सालयीय सेवाओं की दरों में हुई वर्तमान वृद्धि की दृष्टि से उपर्युक्त सीमा अब अपर्याप्त हो चुकी है।

3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे निवेदन करने का निदेश हुआ है कि परिषद मामले में सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त-तालिका में निहित धनराशि की सीमा को निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने का सहर्ष आदेश देता है :—

क्र० सं०	अधिकारी का पदनाम	चिकित्सालय में एक बार भर्ती होने पर प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि	अधिकारियों/कर्मचारियों का वर्गीकरण
1	2	3	4
1.	अधिशासी अभियन्ता	रु० 1,000/-	उसके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवकों हेतु
2.	अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी	रु० 2,000/-	स्वयं को छोड़कर अधीनस्थ समस्त सेवकों हेतु
3.	मुख्य अभियन्ता (स्तर-दो)/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/नियंत्रक (लेखा/सम्परीक्षा)	रु० 3,000/-	—तदैव—
4.	मुख्य अभियन्ता (स्तर एक)	रु० 5,000/-	—तदैव—

[illegible] भी निर्देशित किया गया कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकारिक विषय परिषद [मुख्यालय] [illegible] प्रेषित किए जाएँ।

[illegible] उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित [illegible] साथ उपर्युक्त तालिका में अनुमन्य सीमा से अधिक के दावों को ही परिषद् मुख्यालय से निस्तारणार्थ [illegible] जाना सुनिश्चित करें।

एन. जी. प्रसाद आई इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद की परिषदीय कर्मचारियों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रदान की गयी मान्यता समाप्त

दिनांक : जून 28, 1991

[illegible] 1900-मनु. सी./राविप./(बी.सं.-अनुमोदन/89-11 (11) एफ/86

[illegible] 10-8-89 द्वारा एल. [illegible] परिषदीय कार्यालय ज्ञाप सं०-1070 अनु.सी./रा.वि.प./बी०सं०-अनुमोदन/89, दिनांक [illegible] प्रसाद आई इन्स्टीट्यूट, नं०-2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश को दी गई मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

प्रदेश से बाहर चिकित्सा कराने हेतु संदर्भ केवल उन्हीं बीमारियों हेतु जिनका उपचार प्रदेश में उपलब्ध नहीं

दिनांक : 29-8-1991

संख्या 2489 अनु. सी./रा.वि.प. (बी.सं.-19) 19/11 (4)/एफ-86

परिषद के संज्ञान में आई है। जिन बीमारियों की चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित बहुत सी अनियमिततायें परिषद के संज्ञान में आई हैं। जिन बीमारियों के उपचार हेतु भी का उपचार प्रदेश के चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में उपलब्ध है, उन बीमारियों के उपचार हेतु भी कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत सुविधा एवं इच्छा अनुरूप देश के अन्य नगरों, जैसे दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, मद्रास, आदि स्थानों पर चिकित्सा कराने का संदर्भ संघ के शासकीय अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अथवा मेडिकल कालेजों के प्रोफेसर से करा लेते हैं, और इस प्रकार परिषद पर भारी वित्तीय भार पड़ता है।

2. प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। परन्तु फिर भी परिषदीय कर्मचारियों की जानकारी हेतु यह अवगत कराया जाता है कि संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (S. G. P. G. I.), लखनऊ में अन्य उपचारों के अतिरिक्त निम्नलिखित बीमारियों का उपचार भी उपलब्ध है :—

1. हृदय की बाइपास सर्जरी
2. हृदय वाल्व का पुनरारोपण
2. पेसमेकर लगाना
3. किडनी की पुनर्स्थापना/बदलना
5. वृहद मस्तिष्क शल्य क्रिया (Major Brain Surgery)
6. वृहद कैंसर शल्य क्रिया (Major Cancer Surgery)

3. उक्त परिस्थिति में प्रदेश से बाहर चिकित्सा हेतु संदर्भ किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतएव परिषद तत्काल प्रभाव से यह आदेश निर्गत करता है कि भविष्य में चिकित्सा कराने हेतु कोई भी संदर्भ प्रदेश के बाहर नहीं किया जायेगा और यदि कोई ऐसी बीमारी है जिसका उपचार प्रदेश में उपलब्ध नहीं है तो उसकी चिकित्सा प्रदेश से बाहर कराने हेतु परिषद की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। परिषद की पूर्व अनुमति के बिना प्रदेश के बाहर की गई किसी भी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा नहीं की जायेगी।

4. यदि कोई अधिकारी अपने स्तर से बाहर चिकित्सा कराने की आज्ञा किसी कर्मचारी को देता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त चिकित्सा पर हुए आर्थिक क्षतिपूर्ति का भी जिम्मेदार होगा।

परिषद् के सेवारत सेवकों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों को श्रवण यंत्र (Hearing Aid) की सुविधा अनुमन्य

संख्या : 45-कम्यू. सी./रा.वि.प. (औद्यो.सं.-उन्नीस) 92-11 (4) एम/86 दिनांक : जनवरी 8, 1992

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या 2021-कम्यू. सी./रा.वि.प.(औ.सं.-उन्नीस) 88-11 (4) एम/86, दिनांक 7-1-89 के प्रस्तर 2 में निहित शर्तों के परिप्रेक्ष्य में मुझे निवेदन करने का निदेश हुआ है कि परिषद ने वर्तमान मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए तत्विषयक दर सीमा को निरस्त कर अब इस परिषदाज्ञा की तिथि से सहर्ष यह निर्णय लिया है कि परिषदादेश संख्या 285 कम्यू.सी./रा.वि.प. (औ सं.-उन्नीस) 87-11 (2) एम/86 दिनांक 19-3-87 के प्रस्तर (4) में निहित अधारादक्ष मेडिकल अटेन्डेन्ट द्वारा उक्त मद के प्रयोजनार्थ जो भी वास्तविक व्यय होगा की प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमन्य होगी।

2. संदर्भित परिषदादेश दिनांक 7-1-89 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3. राज्य सरकार शासनादेश संख्या 3203/5-7-1035-87, दिनांक 24-6-87 द्वारा अपने सेवारत तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों को श्रवण-यंत्र (Hearing Aid) की सुविधा अनुमन्य की है। अतैव परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश की अनुरूपता में सहर्ष यह निर्णय लिया है कि उन मामलों में जिनमें सेवारत तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्य हेतु श्रवण यंत्र (Hearing Aid) की आवश्यकता राज्य सरकार/परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय अथवा परिषदीय चिकित्सालय के अधोहस्ताक्षरी मेडिकल अटेन्डेन्ट द्वारा संस्तुति किये जाने पर उक्त मद पर आने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमन्य होगी, बशर्ते इसके निमित्त सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की पूर्वानुमति प्राप्त की गयी हो। यह सुविधा इस परिषदाज्ञा की निर्गमन तिथि से उपलब्ध होगी।

4. जिस प्रकार सेवानिवृत्त सेवकों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों हेतु परिषदाज्ञा दिनांक 7-1-89 के साथ प्रमाण पत्रों का प्रारूप संलग्न करते हुए यह अनिवार्य किया गया था कि उन्हीं दावों की प्रतिपूर्ति स्वीकृत की जायेगी जिनके साथ निर्धारित प्रमाण-पत्र लगाये जायेंगे। उसी की अनुरूपता में जिन सेवारत सेवक तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्य को श्रवण यंत्र की आवश्यकता होगी के लिए भी उक्त प्रमाणपत्रों को दावे के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

विशिष्ट चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की मद में शत प्रतिशत चिकित्सा अग्रिम के स्थान पर सत्तर प्रतिशत की स्वीकृति

संख्या : 46 कम्यू सी./रा.वि.प. (औ.स. उन्नीस) 92-11 (4) एम/86 दिनांक : जनवरी 8, 1992

परिषदादेश संख्या-2 पी. एल./3063-कम्यू. सी/रा.वि.प. (औ. सं. उन्नीस) 90-11 (11) एम/86 दिनांक 5-1-91 जिसके माध्यम से निम्नलिखित विशिष्ट रोग विशेषों में अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार प्रदत्त किया गया था कि वे ऐसे मामलों में शत प्रतिशत चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करें—

1. हृदय की बाई-पास सर्जरी
2. वाल्व प्रतिस्थापित करना
3. पेसमेकर लगवाना
4. किडनी ट्रान्सप्लान्टेशन
5. मस्तिष्क के वृहद आपरेशन, तथा
6. कैंसर के बड़े आपरेशन

के अनुक्रम में मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि परिषद ने अपनी वर्तमान विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए एवं स्वीकृत अग्रिम धनराशि के समायोजन एवं उचित समायोजन हेतु सहर्ष निर्णय लिया है कि शत प्रति-

चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने की परिपाटी को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सम्पूर्ण अनुमानित चिकित्सा व्यय की धनराशि का सामान्यतः 70 (सत्तर) प्रतिशत ही स्वीकृत किया जाये तथा सम्बन्धित चिकित्सा व्यय के बाउचर की प्रस्तुति पर ही अवशेष 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जाय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त परिषद एतद्द्वारा यह भी आदेश करता है कि उपर्युक्त प्रस्तर-1 में सम्मिलित रोगों में किसी भी रोग के उपचारार्थ "पैकेज डील" नहीं किया जायेगा। बीजक में भोजन एवं खर्चीला आवास, प्रयोगशालिकल परीक्षण, क्रय किया एवं औषधि व्यय पृथक्कपृथक दर्शाया जाना अनिवार्य होगा तथा सम्बन्धित चिकित्सालय से निर्गत अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ऐसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा।

संदर्भित परिषदादेश दिनांक 5-1-91 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

चिकित्सा पर किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रदत्त अधिकारों का पुनरीक्षण

संख्या.5290-कम्यू.सी./राविप (औ. सं. उन्नीस) 92-(1)1(4) एम/86 दिनांक : 23-10-1992

परिषदीय सेवकों द्वारा चिकित्सा पर किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति स्वीकृति हेतु पुनरीक्षित अधिकारों का क्षेत्रीय अधिकारियों में प्रतिनिधायन सम्बन्धी परिषदादेश संख्या-3 पी. एल./3782-कम्यू.सी./राविप (औ. सं. उन्नीस) 91-(11) एम/86, दिनांक 8-1-91 द्वारा परिषद ने अपने सेवारत एवं सेवा निवृत्त सेवकों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृतार्थ विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों में निम्नलिखित अधिकारों का प्रतिनिधायन किया था—

क्रम सं०	अधिकारी का पद नाम	चिकित्सालय में एक बार भर्ती पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि	सेवकों का वर्ग
1.	अधिशासी अभियन्ता	रू० 1,000	उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवकों हेतु
2.	अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी	रू० 2,000	स्वयं को छोड़कर अधीनस्थ समस्त सेवकों हेतु
3.	मुख्य अभियन्ता (स्तर-दो)/ मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता नियन्त्रक (लेखा)/(सम्परीक्षा)	रू० 3,000	स्वयं को छोड़कर अधीनस्थ समस्त सेवकों हेतु
4.	मुख्य अभियन्ता (स्तर-एक)	रू० 5,000	तदैव

2. उपर्युक्त आदेश दिनांक 8-1-91 के प्रस्तर-2 में अधिकारों के पुनरीक्षण उद्देश्य के बारे में भी स्पष्ट इंगित किया जा चुका है जो अब वर्तमान मंहगाई की पृष्ठभूमि में अव्यवहारिक एवं अकार्यकारी प्रतीत होने लगा है।

3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा परिषद् उक्त व्यवस्था पर सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त तालिका में निहित धनराशि की सीमा को निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाने का सहर्ष आदेश देता है।

1. अधिशासी अभियन्ता रू० 1,000/- उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवकों हेतु।
2. अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी रू० 3,000/- स्वयं को छोड़कर समस्त अधीनस्थ सेवकों हेतु।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर-दो)/मुख्य अभियन्ता/नियन्त्रक, लेखा/सम्परीक्षा रू० 5,000/- तदैव।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-एक)/महाप्रबन्धक रू० 10,000/- तदैव।

टिप्पणी :—प्रदेश के बाहर चिकित्सा के समस्त मामले परिषद (मुख्यालय) को स्वीकृतार्थ भेजे जायेंगे चाहे वे कितनी ही धनराशि के हों।

230

उपर्युक्त के तारतम्य में यह भी निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु केवल आय-बाधित मामले ही परिषद (मुख्यालय) को संदर्भित किए जायें एवं उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मात्र उपर्युक्त तालिका में अनुमन्य सीमा से अधिक धनराशि के दावों को ही परिषद (मुख्यालय) अधिकारानार्थ में भेजा किया जाना सुनिश्चित करें।

बाह्य रोगी के उपचार के फलस्वरूप चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट) के प्रारूप का निर्धारण

संख्या : 247-डब्लू. सी./रा.चि.व. (औ.सं.-अनीस) 92-11 (4) एन/86   दिनांक : जनवरी 29, 1993

परिषदादेश संख्या-2088-एन. जी.-2 रा.चि.व. चार-29-एन.जी.-11/78 दिनांक-24-5-78 द्वारा परिषद् के सर्वप्रथम चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती के दौरान होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का प्राविधान किया था तथा उसके साथ अनिवार्यता प्रमाण पत्र (ऐसेन्शियलिटी सार्टिफिकेट का प्रारूप भी निर्धारित कर संलग्न किया गया था। उक्त परिषदादेश के प्रस्तर-2 (9) के अनुसार हड्डी के टूटने पर होने वाले प्लास्टरिंग और एक्स-रे आदि का उपचार तथा कुत्ते के काटे का उपचार बिना चिकित्सालय में भर्ती हुए भी अनुमन्य किये किन्तु इसके लिये अलग से कोई अनिवार्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया। तदनन्तर परिषद के परिषदादेश संख्या-5009-बी/रा.चि.व.-का-एन-103-ए/78 दिनांक 5-1-86 संशोधित परिषदादेश संख्या 1865 डब्लू.सी./राचिव (औ.सं.-19)86-103/ एन/78 दिनांक 28-6-86 एवं संख्या-5734-डब्लू.सी./रा.चि.व. (औ. सं.-19)88-11(11) एन/86। दिनांक 10-3-89 द्वारा बिना चिकित्सालय में भर्ती हुए "डॉट-मॉनीटर-टेस्ट" पर होने वाले चिकित्सा व्यय को प्रतिपूर्ति तथा दीर्घ अवधि तक बाह्य रोगी की हैसियत से चलने वाली बीमारियों के मामलों में मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के प्रतिबन्ध सहित परिषदादेश संख्या 603 डब्लू. सी./राचिव (औ.सं. 19)89-11(3) एन/88, दिनांक 10-5-89 द्वारा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का प्राविधान किया है, किन्तु उक्त परिषदादेशों में कोई अनिवार्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया।

तत्पश्चात परिषद के संज्ञान में यह बात लायी गई है कि परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के कतिपय चिकित्सकों द्वारा उक्त प्रकार के मामलों में अनिवार्यता-प्रमाण-पत्र के सत्यापन को यह कह कर अस्वीकृत कर दिया गया है कि परिषदादेश दिनांक 24-5-78 द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र मात्र भर्ती हुए मरीजों के उपचार के लिए है न कि बाह्य रोगी के लिए। इसी आधार पर उनका सुझाव है कि बाह्य रोगी के उपचार की प्रतिपूर्ति हेतु पृथक से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र निर्धारित किया जाय।

अतः परिषद दीर्घकाल की बीमारियों, जिनका उपचार बाह्य रोगी के रूप में अधिक समय तक चलता है, की प्रतिपूर्ति हेतु संलग्न अनिवार्यता प्रमाण-पत्र निर्धारित करता है।

संलग्नक

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (ऐसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट) का प्रपत्र

(बाह्य रोगी की हैसियत से उपचार के मामलों में भरा जाय)

1. रोगी का नाम :
2. परिषदीय सेवक का नाम व पदनाम :
(जिस पर रोगी पूर्णतः आश्रित है)

परिषदीय सेवक से रोगी का सम्बन्ध :

परिषदीय सेवक का वेतनमान तथा चिकित्सा के समय कुल वेतन

तैनाती कार्यालय का पूरा नाम व पता :

प्रमा०……………………………यह प्रमाणित करता हूँ :—

1. उपर्युक्त रोगी, श्री……………………(बीमारी का नाम) से ग्रसित था, मैं मुझसे रोग के निदान हेतु……………………की सम्मति स्थापित किया।

2. मैंने उनका गहन परीक्षण किया तथा……………………(परीक्षण का नाम) हेतु उन्हें……………………(चिकित्सालय का नाम पता) से उक्त परीक्षण सम्पादित किया।

3. प्रश्नगत परीक्षण के लिए चिकित्सालय में भर्ती होना अनिवार्य नहीं होता, किन्तु निम्नलिखित औषधियों की रोग से छुटकारा पाने के लिए अत्यन्त आवश्यकता होती है जिनमें कि टानिक, पौष्टिक आहार एवं प्रसाधन सामग्री सम्मिलित नहीं है :—

क्र०सं०	औषधि का नाम	मात्रा	मूल्य (रुपयों में)
		कुल योग	

4. प्रश्नगत परीक्षण जिसका मान……………………है मेरे परामर्शानुसार ही कराया गया, जिस पर कुल रु०……………………(शब्दों में)……………………मात्र व्यय हुआ जो राजकीय दर सूची के अनुकूल है।

परिषदीय सेवक का हस्ताक्षर

अधिकृत चिकित्सक
(अथॉराइज्ड मेडिकल अटेन्डेन्ट) का
रबर स्टैम्प सहित हस्ताक्षर

सीतापुर आई हॉस्पिटल की अवशिष्ट शाखाओं तथा गाँधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ एवं इसकी अन्य नगरों में स्थित शाखाओं को व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदत्त

संख्या 5566-डब्लू०सी०/राचिव/औ.सं.-अनीस-92-11(11)एन/86   दिनांक : अक्टूबर 16, 1993

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि परिषदादेश संख्या 2088-एन०जी० 2/एस०ई०बी०/चार-29 एन०जी०-2/78, दिनांक 24-5-78 द्वारा परिषद ने अपने सेवकों को तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार, जिसे राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा कालेजों/संस्थाओं अथवा परिषद द्वारा समय-समय पर मान्यता प्रदत्त निजी चिकित्सालयों में भर्ती रह कर करवाया गया हो, पर होने वाले चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किए हैं। इसी अनुक्रम में परिषदादेश संख्या 199-बी०/एस०ई०बी०-एक-103ए/78 दिनांक 17-3-79 द्वारा ट्रस्ट/मिशन संचालित निजी चिकित्सालयों की प्रथम श्रंखला में कतिपय चिकित्सालयों को प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान की गयी जिसमें नेत्र रोगों के उपचारार्थ सीतापुर आई हॉस्पिटल तथा इसके लखनऊ एवं बाकी नगर में स्थित शाखाओं को भी सम्मिलित किया गया था। विगत कई वर्षों से परिषद् के कई धार्मिक संगठन/इत्यादि हमने चिकित्सालयों को अन्य नगरों में स्थित शाखाओं तथा गाँधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ एवं इसके अन्य नगरों स्थित शाखाओं को भी प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान किये जाने की मांग कर रहे हैं।

2. उपर्युक्त मांगों पर सम्यक् विचारोपरान्त परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित सीतापुर आई हास्पिटल की अवस्थित नगर स्थित शाखाओं तथा गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ और इसकी अन्य नगर स्थित शाखाओं को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ सहर्ष मान्यता प्रदान करता है :—

गांधी नेत्र चिकित्सालय की अवस्थित शाखाएं :—

1. गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़
2. गांधी नेत्र चिकित्सालय, रामपुर
3. गांधी नेत्र चिकित्सालय, मुरादाबाद
4. गांधी नेत्र चिकित्सालय, बदायूं
5. गांधी नेत्र चिकित्सालय, बुलन्दशहर
6. गांधी नेत्र चिकित्सालय, एटा
7. गांधी नेत्र चिकित्सालय, मथुरा
8. गांधी नेत्र चिकित्सालय, इटावा
9. गांधी नेत्र चिकित्सालय, झांसी
10. गांधी नेत्र चिकित्सालय, जालौन
11. गांधी नेत्र चिकित्सालय, बांदा
12. गांधी नेत्र चिकित्सालय, हमीरपुर
13. गांधी नेत्र चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर
14. गांधी नेत्र चिकित्सालय, देहरादून

सीतापुर आई हास्पिटल की अवस्थित शाखाएं

1. बी.एस. मेहता आई हास्पिटल, इलाहाबाद
2. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, अल्मोड़ा
3. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, आजमगढ़
4. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, रानीखेत
5. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा नैनीताल
6. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, काशीपुर
7. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, हल्द्वानी
8. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, पिथौरागढ़ धनौली
9. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, (बागेश्वर),
10. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, श्रीनगर
11. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, कोटद्वार
12. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, पौड़ी
13. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, बलिया
14. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, बरेली
15. मोहन सिंह स्मारक नेत्र चिकित्सालय, रायबरेली
16. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, बहराइच
17. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, देवरिया
18. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, फैजाबाद
19. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, गाजीपुर
20. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, जामपुर
21. गांधी शताब्दी महावीर प्रसाद आई हास्पिटल, मिर्जापुर
22. केन आई हास्पिटल, हरदोई
23. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, पीलीभीत
24. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, शाहजहाँपुर
25. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, गोला गोकरननाथ
26. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, जौनपुर
27. सुन्दर देवी नेत्र चिकित्सालय, सुल्तानपुर
28. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय शाखा, प्रतापगढ़
29. इन्दिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय, लखनऊ

3. इस परिषदादेश का क्रियान्वयन परिषदादेश संख्या 2088-एन०बी०-2/एस०ई०बी० चार-29 बी-2/78 दिनांक 24-5-70 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुशीलन में किया जायेगा तथा यह आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

चिकित्सा पर किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रदत्त अधिकारों का पुनरीक्षण

दिनांक : 9-12-93

सं० 1459-डब्लू.बी./राचिप (औ०सं०-उचोस)93-11(4)एम/85

परिषदीय सेवकों द्वारा चिकित्सा पर किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु पुनरीक्षित अधिकारों का क्षेत्रीय अधिकारियों में प्रतिनिधायन सम्बन्धी परिषदादेश संख्या 5290-डब्लू.बी./राचिप (औ.सं.-उचोस)92-11 (4)एम/80 दिनांक 23-10-92 द्वारा परिषद् ने अपने सेवारत एवं सेवानिवृत्त सेवकों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृतार्थ विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों में निम्नलिखित अधिकारों का प्रतिनिधायन किया था :—

	अधिकारी का पदनाम	चिकित्सालय में एक बार भर्ती पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि	सेवकों का वर्ग
	2	3	4
	अधिशासी अभियंता	रु० 1,000/-	उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवकों हेतु
	अधीक्षण अभियंता/मुख्य लेखाधिकारी	रु० 3,000/-	स्वयं को छोड़कर समस्त अधीनस्थ सेवकों हेतु
	मुख्य अभियंता (स्तर-दो)/ मुख्य क्षेत्रीय अभियंता/ निदेशक (लेखा)/निदेशक (समपरीक्षा)	रु० 5,000/-	— तदैव —
	मुख्य अभियंता (स्तर-एक)/	रु० 10,000	— तदैव —

टिप्पणी :—प्रदेश के बाहर हुए चिकित्सा के समस्त मामले परिषद् (मुख्यालय) को स्वीकृतार्थ भेजे जायेंगे चाहे वे कितनी ही धनराशि के हों।

2. परिषद् संदर्भित परिषदादेश दिनांक 23-10-92 में निहित विज्ञप्ति को दूर करने तथा वर्तमान महंगाई को ध्यानान्तर्गत रखते हुए उपर्युक्त तालिका में निहित धनराशि की सीमा को निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाने का सहर्ष आदेश देता है :—

1	2	3	4
1.	अधिशासी अभियन्ता	रु० 2,000/-	उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवकों हेतु
2.	अधीक्षण अभियंता/मुख्य लेखाधिकारी	रु० 5,000/-	स्वयं को छोड़कर समस्त अधीनस्थ सेवकों हेतु
3.	मुख्य अभियंता/महा प्रबंधक/ मुख्य परियोजना प्रबंधक/ निदेशक (लेखा)/(समपरीक्षा)	रु० 10,000/-	— तदैव —

3. उपर्युक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अतएव अनुरोध है कि मात्र उपर्युक्त तालिका में अनुमन्य सीमा से अधिक धनराशि के दावों को ही परिषद् (मुख्यालय) में निस्तारणार्थ प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रदेश के बाहर स्थित चिकित्सालयों में उपचारार्थ भर्ती होने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उसी उपचार पर देय धनराशि के समतुल्य अनुमन्य

दिनांक : 10-12-1

सं० 1172-डब्लू.बी./राचिप/औ.सं.-19/93-114एम/86

परिषदादेश संख्या-2489-डब्लू.बी./राचिप औ.सं.-19/19-114एम/86, दिनांक 29-8-91 के अति में चूंकि मरीज हृदय की बाई-पास सर्जरी, बाल्व पुनःस्थापन, पेसमेकर लगवाना, किडनी पुनःस्थापन, वृहद मस्तिष्क शल्यक्रिया तथा वृहद कैंसर शल्यक्रियादि जैसी बीमारियों में कोई खतरा नहीं उठाना चाहता इसीलिए वह

बीमारियों के उपचारार्थ देश में उसी चिकित्सालय में जाना चाहता है जहाँ-सबसे अच्छी सुविधा एवं रोग के ठीक होने की सम्भावना का प्रतिशत सबसे अधिक हो। इस सम्बन्ध पर सम्यक् विचारोपरान्त परिषद् सहर्ष आदेश देता है कि प्रदेश के बाहर उपर्युक्त बीमारियों के उपचारार्थ यदि मरीज स्वेच्छानुसार जाना चाहे तो उस उपचार पर होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में भर्ती होकर उपचार कराने आदि पर उनके यहाँ वसूल (Charge) किये जाने वाली धनराशि के समकक्ष या वास्तविक व्यय, दोनों में से जो कम हो, अनुमन्य होगा।

2. उक्त सुविधा परिषदादेश संख्या 2088-एम.सी.-2/रा.वि.प. चार-29/एम.सी./78, दिनांक 24-5-78 सपठित परिषदादेश संख्या 2161-सी/राविप-एक-103ए/78, दिनांक 16-5-80 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित प्रदत्त सेवारत/सेवानिवृत्त सेवकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजन को अनुमन्य है।

यह आदेश दिनांक 3 सितम्बर 1993 से प्रभावी होंगे।

सेवा निवृत्त परिषदीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा चिकित्सा पर-किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण

संख्या : 2420-पेन्शन-31/रा.वि.प./94/73/पी/93 दिनांक : जनवरी 25, 1994

परिषद् आदेश संख्या 2161-सी/रा.वि.प./एक/103ए-1978, दिनांक 16-5-1980 के प्रस्तर-3 में यह प्राविधान है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के देयों की प्रतिपूर्ति परिषद् के सम्बन्धित अधिकारी अधिशासी अभियंता या अधीक्षण अभियंता या क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रदान करेंगे, जिनके अधीन सम्बन्धित कर्मचारी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व कार्यरत था तथा इस चिकित्सा व्यय का भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाना था जहाँ से सम्बन्धित सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी पेन्शन आहरित कर रहे हैं।

विद्युत पेन्शनर्स परिषद् द्वारा समय-समय पर सेवा निवृत्त परिषदीय अधिकारी/कर्मचारियों के दावों की स्वीकृति तथा भुगतान अलग-अलग कार्यालयों द्वारा किये जाने पर उत्पन्न कठिनाइयों की ओर परिषद् का ध्यान आकर्षित किया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को चिकित्सा पर किये गये देयों की प्रतिपूर्ति तथा भुगतान उसी कार्यालय द्वारा किया जायेगा जहाँ से वह अपनी पेन्शन आहरित कर रहे हैं। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति को परिषद् द्वारा समय-समय पर किये गये प्रतिनिधायन के अन्तर्गत किया जायेगा।

प्रदेश के बाहर स्वेच्छा से उपचार कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिशा निर्देश.

सं० : 519 जन्सू.सी./राविप-सी.सं.-19/94-11(4)एफ/86 दिनांक : फरवरी 28, 1994

परिषदाज्ञा सं०1172-जन्सू.सी./राविप-सी.सं.-19/93-11(4)एफ/86, दिनांक 10-12-93 के संशोधन में एतद्द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परिषद् ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि [1] हृदय की बाईपास सर्जरी, [2] वाल्व पुनर्स्थापना, [3] पेस मेकर लगवाने, [4] किडनी (गुर्दे) की पुनर्स्थापना, [5] हृदय व मस्तिष्क की शल्य क्रिया, आदि जैसी व्याधियों/रोगों के प्रदेश से बाहर स्वेच्छा से उपचार कराने पर आये व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित की जाये :—

क. उपर्युक्त रोगों के उपचार के लिए संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में प्रचलित व्यय के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

ख. उपर्युक्त (क) में उल्लिखित धनराशि एवं चिकित्सा में हुए वास्तविक व्यय के अन्तर की 75 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति परिषद् द्वारा की जायेगी एवं शेष 25 प्रतिशत धनराशि को सम्बन्धित कार्मिक द्वारा वहन किया जायेगा।

95

2. कैंसर रोग की चिकित्सा हेतु टाटा मेमोरियल हास्पिटल, बम्बई को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के पुनः परिषद् का अधिकृत चिकित्सालय माना जायेगा।

3. उक्त सुविधा परिषदादेश सं० 2088-एम०सी०-2/एस०बी०(4)एम०सी-2/78, दिनांक 24-5-78, सपठित परिषदादेश सं० 2161-सी/राविप.1-3ए/78, दिनांक 16-5-80 में निहित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों सहित सेवारत/सेवानिवृत्त सेवकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों को अनुमन्य है।

यह आदेश दिनांक 3-1-94 से प्रभावी होंगे।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में आश्रित परिवारजनों की घोषणा का प्राविधान

865/जन्सू.सी./राविप/औद-19/94-11(4)एफ/86 दिनांक : अप्रैल 27, 1994

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोगों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के निस्तारण में आने वाली कठिनाइयों के कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनके सम्बन्ध में निम्नवत् आदेश निर्गत किये जा रहे हैं :—

1. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों की आयु सीमा :— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु आश्रित पुत्र/पुत्री की आयु सीमा वह होगी जो पारिवारिक पेन्शन की पात्रता हेतु परिषदाज्ञा संख्या-318 पेन्शन-65पी/रा०वि०प०-90, दिनांक 19-6-1990 में निर्धारित की गई है। संक्षेप में जो निम्नवत् है :

क. पुत्र की निर्धारित आयु सीमा 25 वर्ष अथवा जब से वह जीविकोपार्जन करने लगे, जो भी पहले हो तक, तथा

ख. पुत्री के मामले में जो 25 वर्ष अथवा उसका विवाह अथवा जीविकोपार्जन करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक

2. आश्रितों की घोषणा:— प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपनी नियुक्ति पर निर्धारित संलग्न प्रपत्र "क" पर अपने पूर्णतः आश्रित अपने परिवार के सदस्यों की घोषणा करेंगे।

वर्तमान कर्मचारी/अधिकारी इन आदेशों के निर्गमन की तिथि से तीन माह के अन्दर संलग्न प्रपत्र "क" में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

क. ऐसे परिषदीय अधिकारी/कर्मचारी ही चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे जो परिषदाज्ञा सं० 2088 एम०सी०2/रा.वि.प. 4-29-एम०सी०-11/78, दिनांक 24-5-1978 के प्रस्तर-1 से आवरित हैं। ऐसे सभी कर्मचारियों द्वारा संलग्न प्रपत्र "क" जिसमें उनके ऊपर पूर्णतया अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम, आयु (प्रमाण सहित), शैक्षिक योग्यता, कर्मचारी से सम्बन्ध आदि के सम्बन्धित विवरण पूर्ण करके उपर्युक्त निर्धारित 3 माह की अवधि में अपने नियंत्रक अधिकारी/वेतन वितरण अधिकारी (जैसी स्थिति हो) को प्रस्तुत करना होगा।

ख. नियंत्रक अधिकारी अपने अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों से घोषणा पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें परीक्षण कर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में तथा अधिकारियों की वैयक्तिक पत्रावलियों एवं सेवा लेखा के अभिलेखों में रखाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयक आवेदनों (क्लेम्स) की समीक्षा की जा सके एवं तदुपरान्त ही विषय पर समुचित निर्णय लिया जाय। यदि परिषद आदेशों के अनुसार कोई आश्रित पात्रता की परिभाषा में नहीं आता है तो उसकी सूचना सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

233

ग. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस घोषणा में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो समय-समय पर अद्यावधिक (अपडेट) भी किया जायेगा तथा नियंत्रक अधिकारी-अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त नवीन घोषणाओं को भी उपर्युक्त प्रपत्र-2-क में दी गई व्यवस्थानुसार रखाना सुनिश्चित करेंगे।

घ. पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्यों में पति/पत्नी, वैध बच्चे तथा सौतेले बच्चों के साथ कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित माता/पिता भी सम्मिलित समझे जायेंगे, जैसा कि निम्नलिखित परिपत्रांकों में स्पष्ट किया जा चुका है :

1. परिपत्रांक सं० 2088 एन०बी०/11/राविप-(+)29 एन०बी०/78 दिनांक 24-5-78 का प्रस्तर-2।
2. परिपत्रांक सं० 2161बी/राविप एल/103ए/1978, दिनांक 16-5-1980, तथा
3. परिपत्रांक सं० 1043-डब्लू०सी०/राविप/ए०एल०-19/84-103(1)ए/78, दिनांक 22-1-84 का प्रस्तर-2

जब तक अधिकारी/कर्मचारी से उपर्युक्त प्रपत्र में पूरा विवरण प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति न की जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा कर्मचारियों/अधिकारियों को इस सम्बन्ध में अवश्य अवगत कराना भी सुनिश्चित करायें।

संलग्नक

प्रपत्र "क"

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों की घोषणा का निर्धारित प्रपत्र

इकाई/संगठन का नाम
कर्मचारी/अधिकारी का नाम
(अधिकारी अथवा अधिष्ठान सं० एवं समेकित सं० भी इंगित करें)
पद नाम—

कार्यालय/इकाई का नाम—

परिवार के सदस्यों का ब्यौरा

क्रम सं०	नाम	जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित)	शैक्षिक योग्यता	वैवाहिक स्थिति	कर्मचारी से सम्बन्ध	क्या पूर्णतया आश्रित है या नहीं, यदि नहीं तो नौकरी/व्यवसाय/पेंशन आदि से होने वाली आय का विवरण दिया जाय।
1.						
2.						
3.						

मैं प्रमाणित करता हूं :—

मेरे माता/पिता जिनका नाम ऊपर दिया गया है वे मुझ पर आश्रित हैं।

मेरे पुत्र/पुत्री/अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं वे पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं। उपर्युक्त आश्रित/आश्रितों की कोई स्वतन्त्र आय (नौकरी, व्यवसाय, खेती, पेंशन, सम्पत्ति, पेंशन, ब्याज,

96

किराया व अन्य विनियोग) आदि से नहीं है तथा उन्हें किसी प्रकार का चिकित्सा सुविधा व चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ अनुमन्य नहीं है।

कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर

उपचारार्थ भर्ती के समय हुए चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ "यशोदा अस्पताल, नेहरू नगर, गाजियाबाद" को मान्यता

दिनांक : 7-11-94

1898-डब्लू०सी०/ओ०सं०-19/94-11(11)एम/86 :

उपर्युक्त विषयक परिपत्रादेश संख्या-3366-डब्लू०सी०/राविप (औ०सं०-उन्नीस)93-11(11)एम/86, दिनांक 16-10-93 के अनुक्रम में परिषद ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ "यशोदा अस्पताल, नेहरू नगर, गाजियाबाद" को मान्यता प्रदान किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की है।

2. उक्त चिकित्सालय में परिषदीय सेवारत/सेवानिवृत्त सेवकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए वास्तविक चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति परिपत्रादेश संख्या-2088-एन०बी०-2/राविप (चार)-29-एन०बी०-2/78, दिनांक 24-5-78 में विहित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु समिति गठित

दिनांक : 7-11-94

संख्या : 1899-डब्लू०सी०/राविप (औ०सं०-उन्नीस) 94-11(11)एम/86

परिषद की प्रबन्ध समिति ने अपनी बैठक दिनांक 21-9-94 में यह निर्णय लिये हैं कि किसी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव तभी विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये जब इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा चिकित्सालय का निरीक्षण किया जा चुका हो तथा उसके सम्बन्धित निरीक्षण आख्या एवं समिति की स्पष्ट संस्तुति प्राप्त हो गई हो।

2. प्रबन्ध समिति के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा परिषद नये चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों की समिति गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. सम्बन्धित अंचल के मुख्य अभियन्ता : समन्वयक
2. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा नामित एक मुख्य चिकित्साधिकारी या उप-मुख्य चिकित्साधिकारी : सदस्य
3. निदेशक (कार्मिक) : सदस्य

भविष्य में चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के प्रकरण उक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर परिषद द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

बिना चिकित्सालय में भर्ती हुए "लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेन्ट" से किये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति

दिनांक : 21-11-94

संख्या : 1906-डब्लू.सी./राविप (औ०-19)93-11(4)एम/86

परिपत्रादेश संख्या : 2088-एनबी-2/राविप (चार) 29-एनबी-2/78 दिनांक 24-5-78, कार्यालय परिपत्रादेश संख्या : 5290-डब्लू.सी. राविप (औ०-उन्नीस) 92 दिनांक 23-10-1992 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यतः शरीर के किसी भी अंग में अवस्थित पथरी को निकालने हेतु "लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेन्ट"

234

पद्धति द्वारा पथरी के उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता के आदेश परिषद इस प्रतिबन्ध सहित सहर्ष देता है कि उक्त सुविधा का उपयोग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में ही किया गया हो।

उक्त सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

कैट स्कैन टेस्ट व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बंध में आदेश

संख्या : 1907/राविप/कल्यू.सी.(कौस-19)/11(4)एफ/86 दिनांक : 21-11-94

परिषद् ने अपने आदेश संख्या : 5009-सी/राविप/का-एक/102ए/78 दिनांक 8-1-1985 द्वारा उ.प्र. मेडिकल सेन्टर, लखनऊ तथा आदेश संख्या : 5734-कल्यू.सी./राविप/कौस-19(88)(11)/एफ/86 दिनांक 10-3-1989 द्वारा काशी मेडिकल सेन्टर, वाराणसी को कैट स्केन टेस्ट पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान की थी।

2. क्षेत्रों द्वारा इस आशय के सन्दर्भ प्राप्त हो रहे थे कि अब यह सुविधा राजकीय चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों/संस्थान एवं परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में भी उपलब्ध हो गई है एवं ऐसे चिकित्सालयों को भी कैट स्केन टेस्ट पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान कर दी जाय। परिषद ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि कैट स्केन टेस्ट हेतु उपर्युक्त दोनों केन्द्रों के अतिरिक्त परिपत्राक संख्या : 2088 एनजी/एसईबी(चार) 29-एनजी/2-78ए दिनांक 24-5-78 के प्रस्तर-2 में निहित प्राविधानों को शिथिल करते हुए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की संस्तुतियों पर प्रदेश के अन्दर तथा दिल्ली में कैट स्केन टेस्ट कराये जाने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3. यह प्रतिपूर्ति परिषद मुख्यालय द्वारा ही की जायेगी। उक्त प्रतिपूर्ति की शर्तें परिपत्राक संख्या : 1865-कल्यू.सी./राविप/कौस-19/86-103(1)ए-78 दिनांक 28-6-1986 के प्रतिबन्धाधीन होगी।

चिकित्सक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

सं० 733-एनजी-09ए/राविप/95-14(8) एनजी/94 दिनांक : मार्च 9, 1995

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रायः यह देखा गया है कि अवर अभियन्ता एवम् अन्य कर्मचारियों के आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रकरण परिषद को अग्रसारित करते समय वांछित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित नहीं किया जाता है, जिसे परिषद द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

अतएव चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रकरण परिषद् को अग्रसारित करते समय यह अवश्य सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि परिषदीय आदेशानुसार अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने के साथ-साथ परिषदादेश सं० 885-कल्यू०सी०/राविप कौ०सं०-19/94-11(4)एफ/86, दिनांक 27-4-1994 द्वारा निर्धारित नवीन प्रपत्रानुसार वांछित प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न किये जायें; अन्यथा सम्बन्धित प्रकरणों पर परिषद् स्तर पर विचार किया जाना सम्भव न होगा।

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेन्ट व मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की संस्तुतियों पर कैट-स्कैन-टेस्ट पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य

संख्या : 147-कल्यू० सी०–राविप/कौस-19/96-11(4)एफ/86 दिनांक 1-2-1996

विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उ० प्र० परिषद से यह मांग की जाती रही है कि लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेन्ट एवं कैट-स्केन-टेस्ट पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित

[illegible] को अनुमन्य की जाय। परिषद ने समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों/[illegible]रियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रितजनों को 'लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेन्ट' पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति तथा [illegible] द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की संस्तुतियों पर कैट-स्केन-टेस्ट कराये जाने पर वास्तविक व्यय की [illegible] जिस प्रकार सेवारत परिषदीय अधिकारियों/कर्मियों को परिपत्राक सं० 1906-कल्यू०सी०/कौस-19/93 [illegible] एफ/86 दिनांक 21-11-94 एवं सं० 1907-कल्यू० सी०/राविप/कौस-19/93-11 (4) एफ/86 [illegible] 21-11-94 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य की गयी है, उन्हें भी इन आदेशों के निर्गमन की तिथि से अनुमन्य होगी।

[illegible] को चिकित्सा कराये जाने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अपोलो अस्पताल, मद्रास व देहली को मान्यता

संख्या-2277-कल्यू०सी०/रा०वि०प०(कौ०सं०-19)/96-91/एफ/86 दिनांक : मार्च 11, 1996

परिषदादेश संख्या 480-कल्यू०सी०/एसईबी(ए०एस०-19)88-11(4)एफ/86, दिनांक 26-2-1988 के [illegible] अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त परिषदीय अधिकारियों व कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के कैंसर के उपचार कराने पर हुये वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है :—

(क) अपोलो अस्पताल, मद्रास

(ख) अपोलो अस्पताल, देहली

2. उपर्युक्त चिकित्सालयों में कैंसर के उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुये वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषदादेश सं० 2088-एनजी-2/रा०वि०प० (चार)29 एन०जी०-2/78 दिनांक 24-3-78 एवं समय-समय पर निर्गत परिषदादेशों में निहित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

एम०आर०आई० टेस्ट कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

संख्या : 2271-राविप/कौस-17/96-11(4) एफ/86 दिनांक : जुलाई 10, 1996

परिपत्राक सं०-1907-राविप (कल्यू. सी./कौस-19-11(4)एफ/86 दिनांक 21-11-94 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद् द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों द्वारा कराए गए एम.आर.आई. टेस्ट पर करने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद् द्वारा पूर्व में अनुमन्य किए गए कैट स्केन टेस्ट पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता की पुनरावृत्ति तथा आधार पर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जाती है कि इन टेस्ट के लिये रोगी को मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान के प्रोफेसर स्तर के रोग विशेषज्ञ द्वारा विधिवत संदर्भित किया गया हो।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सेवा अस्पताल एवम् अनुसंधान केन्द्र तथा के०जी० अस्पताल, लखनऊ को मान्यता प्रदान

संख्या-2272-रा०वि०प०/कौस-17/96-11(11)एफ/86 दिनांक : जुलाई 10, 1996

परिषद ने अपने सेवारत एवम् सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्न अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :—

235

97

1. सेवा अस्पताल एवम् अनुसंधान केन्द्र, सेवा नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ।
2. के० के० अस्पताल, नबीउल्ला रोड, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ।

उपर्युक्त चिकित्सालयों में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषदादेश संख्या 2088-एल-बी-2/एलबी(चार) 29-एल-बी-2/8 दिनांक 24-5-78 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

चैकित्सिक व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में परिषदीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना

सं० 3532-अ०स०09/राविप/96-14 [425] एलबी/96 दिनांक : सितम्बर 11, 96

परिषदादेश सं० 885-कल्यु०नी०/राविप/कौ०स० 19/94-11 [4] एल/86, दिनांक 27-4-94 के प्रस्तर 2[ख] में निहित प्राविधानानुसार कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आश्रितों के सम्बन्ध में दिया गया विवरण सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त उनकी सेवा-पुस्तिका में रखा जाना आवश्यक है तथा चैकित्सिक व्यय की प्रतिपूर्ति की संस्तुति से पूर्व उक्त तथ्य की पुष्टि भी उसी आधार पर आवश्यक है।

परिषद के संज्ञान में आया है कि परिषद को सन्दर्भित किये जाने वाले चैकित्सिक व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में सन्दर्भित तथ्य की स्पष्ट पुष्टि नहीं की जाती है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि परिषद को सन्दर्भित किये जाने वाले समस्त चैकित्सिक प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में परिषदादेश सं० 885 कल्यु-नी. दिनांक 27-4-96 के प्रस्तर 2 [ख] की पुष्टि आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रकरणों पर परिषद द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। कृपया यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आप द्वारा परिषद को पूर्व में भेजे गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों में उक्त वांछित पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से कर दी गई है अथवा नहीं।

चिकित्सा/उपचार पर किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वित्तीय अधिकारी का प्रतिनिधायन

संख्या : 3982-औस/राविप-17/96-11 [4] एल/86 दिनांक : अक्टूबर 19, 1996

अराजपत्रित कर्मचारियों के सेवा शर्तों एवं वेतनमानों सम्बन्धी नीति निर्धारण के मामलों को छोड़कर समस्त प्रकरणों को परिषद मुख्यालय से परिषदाज्ञा संख्या 259-सम/राविप-11/96-50 सम/92 दिनांक 10-1-1996 द्वारा मुख्य अभियन्ता [जल विद्युत], उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ को स्थानान्तरित कर दिये जाने के फलस्वरूप सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा उपचार पर किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित आदेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु निम्नवत वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाता है।

[1] मुख्य अभियन्ता [जल विद्युत] उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ, 10,000/-[रुपया दस हजार मात्र] के स्थान पर रु० 50,000/- [रुपया पचास हजार मात्र] तक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे तथा पचास हजार से ऊपर के मामले परिषद को संदर्भित किये जायेंगे। सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद रु० 50,000/- से रु० 1,00,000/- [रुपया पचास हजार से एक लाख मात्र] तक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम होंगे एवं इससे ऊपर के मामले सदस्य (वित्त एवं लेखा) की सहमति से निस्तारित किये जायेंगे।

90

परिषदाज्ञा संख्या 46-कल्यु०नी०/राविप/औष-19/92-11[4]एल/86 दिनांक 8-1-92 में इंगित विशिष्ट बीमारियों में चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति परिषद स्तर से की जाती थी। उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए केवल उपर्युक्त इंगित बीमारियों हेतु चिकित्सा अग्रिम अधिकतम रु० 50,000/-[रुपया पचास हजार] तक की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल सेवारत परिषदीय कर्मियों को ही मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) में निहित होगा। रुपया पचास हजार से ऊपर के मामले परिषद की स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किये जायेंगे तथा परिषद स्तर से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण परिषदाज्ञा संख्या 6438 सम/राविप-11/95-49-सम/92 दिनांक 14-12-1995 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।

[3] बैट स्केन, श्रवण यंत्र [हियरिंग एड] व कृत्रिम दन्तावली [आर्टीफीशियल डेन्चर] पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति केवल परिषद मुख्यालय के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त की जाती थी। उक्त विषयक परिषदीय आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए परिषद मुख्यालय के स्थान पर बैट स्केन, श्रवण यंत्र एवं कृत्रिम दन्तावली पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मुख्य अभियन्ता [जल-विद्युत] सक्षम होंगे।

[4] परिषदाज्ञा संख्या 1459-कल्यु०नी०/राविप/औष-19/93-11 (4) एल/86 दिनांक 7-12-1993 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/नियन्त्रक (लेखा)/(एल०डी०) को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु प्राप्त अधिकार यथावत रहेंगे।

आकस्मिकता के समय कराये गये चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति

संख्या : 3983-औस/राविप-17/96-11 (4) एल/86 दिनांक : अक्टूबर 19, 1996

परिषदाज्ञा संख्या 2088 एल बी/राविप (चार) 29 एलबी (11) 78ह, दिनांक 24-5-1978 के प्रस्तर 2 में निहित प्राविधानों को शिथिल करते हुए गम्भीर दुर्घटना, हार्ट अटैक, रीढ़ की हड्डी की चोट, सिर की चोट, आदि जैसे प्रकरणों में आकस्मिकताओं के कारण तत्काल निकटस्थ उपलब्ध चिकित्सालय/क्लीनिक/नर्सिंग होम में चिकित्सा सुविधा का उपभोग करना जीवन रक्षा हेतु परम आवश्यक होने की दशा में उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति रु० 5,000 (रुपया पांच हजार) तक की धनराशि अनुमन्य होगी। उक्त धनराशि की स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद को होगा।

सेवा सम्वर्ग के कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निस्तारण परिषद मुख्यालय से ही

संख्या : 738-औस/राविप-17/97-11(4)एल/86 दिनांक : फरवरी 13, 1997

परिषदादेश संख्या : 3982-औस/राविप-17/96-11(4)एल/86, दिनांक 19-10-96 के सन्दर्भ एवम् उसमें आंशिक संशोधन करते हुए तात्कालिक प्रभाव से आदेश दिये जाते हैं कि भविष्य में सेवा शाखा के कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त प्रकरण पूर्व की भांति परिषद मुख्यालय के अराजपत्रित अनुभाग द्वारा ही निस्तारित किये जायेंगे।

चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लखनऊ स्थित तुरो मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट एवम् अवध हास्पिटल एण्ड हार्ट सेंटर तथा कानपुर स्थित कृष्ण मेडिकल सेंटर एवम् राजा राम अस्पताल को मान्यता

संख्या : 2159-औस/राविप-17/97-11(11)एल/86 दिनांक : अप्रैल 15, 1997

परिषद ने अपने सेवारत एवम् सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों

291

के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा निर्धारित संलग्न दरों पर किये जाने हेतु निम्नलिखित अस्पतालों को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :—

1. सूरी मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट, लखनऊ
2. अवध हास्पिटल एंड हार्ट सेन्टर, लखनऊ
3. बृज मेडिकल सेंटर, कानपुर
4. राजा राम अस्पताल, कानपुर

~~उपर्युक्त चिकित्सालयों में उपचारार्थ भर्ती के दौरान~~ हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषदादेश सं० 2084-एम.ओ.-2/एस.ई.बी.(चार)-29-एमबी-2/78, दिनांक 24-5-1978 में विहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन निर्धारित संलग्न दरों पर अनुमन्य होगी।

प्रस्तुत आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

संलग्नक

For Suri Medical Foundation Trust and Awadh Hospital and Heart Centre situated at Lucknow

Description	Approved Rates
1. Gen. Ward	Rs. 80/-
2. Private Room	Rs. 300/-
3. Minor Surgery (Approximate different rates of various operations)	Rs. 1,200/-
4. Major Surgery (This includes range of rates of different operations)	Rs. 3,500/- General Ward Rs. 5,000/- Private Ward

For Brij Medical Centre and Raja Ram Hospital situated at Kanpur

Description	Approved Rates
1. General Ward	Rs. 25/-
2. Semi Private	Rs. 50/-
3. Private Room	Rs. 150/-
4. Operation Charges:	
(i) Major	Rs. 4,000/- Private Ward Rs. 3,000/- General Ward
(ii) Minor	Rs. 350/-

चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा निर्धारित दरों पर किये जाने का निर्णय

संख्या : 2567-औद/राविप-17/97-11(11)एफ/86 दिनांक : मई 13, 1997

परिषद ने परिषदाज्ञा संख्या 2272-राविप/औद-17/96-11(11)एफ/86, दिनांक 10 जुलाई, 1996 द्वारा अपने सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णत: आश्रित परिजनों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आपके अस्पताल को मान्यता प्रदान की है।

लखनऊ स्थित परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में भिन्न-भिन्न दरों के प्रचलित होने से कठिनाई अनुभव हो रही थी तथा इसके समाधान के लिए दिनांक 13-3-97 को बैठक आहूत की गयी थी जिसमें आपके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में निर्धारित की गई दरें नीचे दर्शाई गई हैं। अत: आपके चिकित्सालय में भर्ती की अवधि में हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा उक्त निर्धारित दरों पर की जायेगी।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करें।

99

For K.K. Hospital and Sewa Hospital situated at Lucknow

1.	2.
General Ward	Rs. 80/-
Semi Private	—
Private Room	Rs. 300/-
Minor Surgery Approximate in different rates of various operations	Rs. 1,200/-
Major Surgery This includes range of rates of different operations.	Rs. 3,500/- Gen. Ward Rs. 5,000/- Pvt. Ward

प्रदेश से बाहर करायी जाने वाली चिकित्सा हेतु चिकित्सा अग्रिम एवम् चिकित्सा-व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

सं० 1565-आर०-09/राविप/97-14(29)एमबी/97 दिनांक : मई 16, 1997

परिषदादेश सं० 46 डब्लू.सी./राविप/औ०सं०-19/92-11(14)एफ/86, दिनांक 18-12-92 द्वारा कुछ विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा में होने वाले व्यय हेतु परिषदीय कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम अनुमन्य किया गया है। बहुधा देखा गया है कि प्रदेश से बाहर करायी जाने वाली विशिष्ट बीमारियों में चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने हेतु जो संस्तुति परिषद को प्रेषित की जाती है उसके साथ संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत उसी व्याधि में होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण, जो आवश्यक है, प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके कारण प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतएव मुझे आपसे यह कहने का निदेश है कि भविष्य में परिषद को अग्रसारित किये जाने वाले समस्त चिकित्सा अग्रिम प्रकरणों में वैकल्पिक रूप से पी०जी०आई०, लखनऊ में सम्बन्धित रोग के उपचार में होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण भी अवश्य प्रेषित करें।

परिषदादेश सं० 519-डब्लू०सी०/राविप-औ.सं.-19/94-11(14)एफ/86, दिनांक 28-2-94 में विहित प्राविधानानुसार स्वेच्छा से (6 विशिष्ट बीमारियों में) प्रदेश से बाहर करायी गयी चिकित्सा के व्यय की प्रतिपूर्ति प्रकरणों में भी कृपया पी०जी०आई०, लखनऊ का उक्त इंगित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रदेश से बाहर स्थित चिकित्सालयों में उपचारार्थ भर्ती होने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पुनरीक्षित व्यवस्था

संख्या : 3143-औद/रा०वि०प०-17/97-11(4)एफ/86 दिनांक : जून 4, 1997

परिषदाज्ञा संख्या 1172-डब्लू.सी./रा.वि.प.(औ०सं०-15)93-11(3)एफ/86, दिनांक 10-12-93 तथा परिषदाज्ञा संख्या 519-डब्लू.सी./राविप(औद-19)/94-11(4)एफ/86, दिनांक 28 फरवरी, 1994 का अतिक्रमण करते हुए परिषद् के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके पूर्णत: आश्रितों के भर्ती की

237

अवधि में स्वेच्छा से प्रदेश से बाहर सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा संदर्भ कराये जाने के फलस्वरूप (1) हृदय की बाईपास सर्जरी, (2) वाल्व पुनर्स्थापन, (3) पेस मेकर लगवाने, (4) किडनी का पुनर्स्थापन, (5) हृदय व मस्तिष्क की शल्य क्रिया तथा (6) कैंसर शल्य क्रियादि जैसी व्याधियों/रोगों के उपचार कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित की जायेगी :—

[क] उपर्युक्त रोगों के उपचार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अनुमानित व्यय के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

[ख] उपर्युक्त [क] में उल्लिखित धनराशि एवं चिकित्सा में हुए वास्तविक व्यय के अन्तर को 75% धनराशि की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा की जायेगी एवं शेष 25% धनराशि को सम्बन्धित कार्मिक द्वारा वहन किया जायेगा।

उपर्युक्त इंगित छः रोगों की शल्य क्रिया तथा उपचार दोनों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति [क] एवं [ख] के अनुसार अनुमन्य होगी।

कैंसर रोग की चिकित्सा हेतु टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए यथावत परिषद का अधिकृत चिकित्सालय माना जायेगा।

यह आदेश दिनांक 23-5-1997 से प्रभावी होंगे।

विशिष्ट चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के मद में शतप्रतिशत चिकित्सा अग्रिम के स्थान पर सादर प्रतिशत की स्वीकृति

संख्या 3146-औद्यो/रा०वि०प०-17/97-11(4)एच/86 — दिनांक : जून 4, 1997

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या 46-डब्लू.सी./रा.वि.प.(औद्यो-19)-11(4)एच/86, दिनांक 8-1-82 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए परिषद ने "कैंसर में बड़े आपरेशन" के स्थान पर "कैंसर के बड़े आपरेशन तथा उपचार" हेतु चिकित्सा अग्रिम अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया है।

यह आदेश दिनांक 23-5-97 से प्रभावी होंगे।

लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Board) की अनुसंशाओं पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति एक वर्ष तक की अवधि तक अनुमन्य

संख्या: 4596-औद्यो/राविप-17/97-11(3)एच/88 — दिनांक : जुलाई 28, 1997

परिषदाज्ञा संख्या 603-डब्लू.सी./राविप(औ.स.-19)89-11(3)एच/88, दिनांक 10-5-89 के अनुक्रम में परिषद ने यह निर्णय लिया है कि राज्य चिकित्सा परिषद की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त एक वर्ष तक लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारी पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। परिषदाज्ञा संख्या 603-डब्लू.सी./राविप(औ.स. 19)89-11(3)एच/88, दिनांक 10-5-89 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

यह आदेश दिनांक 27-6-97 से प्रभावी होंगे।

सी.टी. स्कैन टेस्ट पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत आदेशों का पुनरीक्षण तथा दरों का निर्धारण

संख्या : 11215-औद्यो-17/राविप/97-11(4)एच/86(टी.सी.) — दिनांक : दिसम्बर 18, 1997

पूर्व में सी.टी. स्कैन टेस्ट से सम्बन्धित निर्गत समस्त परिषदीय आदेशों का अतिक्रमण करते हुए परिषद अपने समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित सदस्यों हेतु पृष्ठ भाग पर उल्लिखित सी.टी. स्कैन केन्द्रों तथा परिषद द्वारा अनुमोदित दरों पर सी.टी. स्कैन टेस्ट, कराये जाने की सुविधा प्रदान करती है। परिषद के प्रभावी नियमों के अन्तर्गत अधिकृत चिकित्सक ही सन्दर्भ हेतु सक्षम अधिकारी

जिन शहरों में परिषद द्वारा किसी भी सी.टी. स्कैन केन्द्र को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है उन शहरों के प्राइवेट सी.टी. स्कैन केन्द्र पर टेस्ट कराये जाने की दशा में वास्तविक व्यय अथवा परिषद द्वारा अनुमोदित दरें, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

परिषद द्वारा अनुमोदित सी.टी. स्कैन केन्द्रों के अतिरिक्त मेडिकल कालेज/एस.जी.पी.जी.आई./जिला चिकित्सालय से सी.टी. स्कैन टेस्ट कराने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

सी.टी. स्कैन टेस्ट कराये जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अन्य चिकित्सा दावों की भांति सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ही की जायेगी।

LIST OF RECOGNISED C.T. SCAN CENTRES

LUCKNOW :
1. Kunal C.T. Scan Centre, Chowk,
2. Uttar Pradesh Medical Centre, Rana Pratap Marg,
3. Sarkar Diagnostics, Mahanagar,
4. Gomti Medical & Diagnostic Centre, Sapru Marg,
5. Raj Scanning Ltd, Manas Nagar, Jiamau.

MORADABAD :
Vivekanand Hospital & Research Centre.

VARANASI :
(1) Arihant Diagnostic Centre, Mahmoorganj,
(2) Dr. Anita's Diagnostic Realm, Sigra,
(3) Gomti Medical & Diagnostic Centre, Ceandrika Colony.

FAIZABAD :
Bhuvan Diagnostic Centre, Rakabganj.

DEHRADUN :
Trinity Medicare Ltd., Rajpur Road.

KANPUR :
Prayag Medical Diagnostic Services Ltd., Tilak Nagar.

ALLAHABAD :
Kirti Scanning Centre(P) Ltd., Lowther Road.

GORAKHPUR :
Gomti Medical & Diagnostic Centre, Pathar Kothi, Betia Hata.

C.T. SCAN RATES APPROVED BY THE BOARD :

Sl. No.	PARTS	APPROVED RATES
1.	Head (Plain)	850/-
2.	Head (Contrast)	1150/-
3.	C.T. (Chest)	1900/-
4.	C.T. (Spine-3 Levels)	1900/-
5.	C.T. Scan (½ Abdomen)	2000/-
6.	C.T. Scan (Whole Abdomen)	3600/-
7.	C.T. Scan (Whole body)	5500/-
8.	C.T. Scan (SPNS)	1250/-
9.	C.T. Scan (LIMBS)	1300/-

अपोलो अस्पताल, दिल्ली एवम् मद्रास को कैंसर उपचार के साथ-साथ हृदय रोग से सम्बन्धित उपचार व शल्य क्रिया पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान

संख्या : 589/औद्यो-17/रा०वि०प०-11/7 एच/86 — दिनांक : फरवरी 2, 1998

परिषदाज्ञा संख्या 2277-डब्लू.सी./रा.वि.प. [औद्यो-19]/96-11/7/96, दिनांक 11-5-1996 द्वारा

230

100

अपोलो अस्पताल, दिल्ली एवम् मद्रास को कैंसर उपचार हेतु कतिपय शर्तों के साथ मान्यता प्रदान की गयी थी। इन चिकित्सालयों में हृदय रोग से सम्बन्धित उपचार व अन्य चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध है। अतः कैंसर उपचार के साथ-साथ हृदय रोग से सम्बन्धित उपचार व अन्य क्रिया हेतु उक्त चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार कराने की स्थिति में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति कैंसर हेतु मान्यता प्रदान किये जाने की तिथि (दिनांक 11-3-1998) से अनुमन्य होगी।

चिकित्सा अग्रिम/चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय इकाइयों के स्तर पर पंजिका के रख-रखाव हेतु आवश्यक निर्देश पारित

संख्या 1280-औस-17/रा.वि.प./98-11(4)एफ/86 दिनांक : 13-2-98

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध किये जाने का निर्देश हुआ है कि चिकित्सा अग्रिम/चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले, जो क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा परिषदादेश संख्या 1458-जन.सी./सचिव (औस-19-)93-11(4)एफ/86 दि० 9-12-93 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाते हैं, के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया इन प्रकरणों को निस्तारित करने के सम्बन्ध में अपनाई जाए :—

1. प्रत्येक परियोजना/क्षेत्र/मण्डल/खण्ड कार्यालयों में चिकित्सा अग्रिम/चिकित्सा प्रतिपूर्ति का रजिस्टर रखा जाय।
2. इस रजिस्टर में दिनांक वार निम्नलिखित सूचना अंकित की जाय :—
   (1) कर्मचारी का नाम व पदनाम
   (2) अग्रसारित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम
   (3) चिकित्सा अग्रिम/चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि
   (4) नियमानुसार अनुमन्य चिकित्सा अग्रिम प्रतिपूर्ति की धनराशि
   (5) अस्पताल का नाम जहाँ पर चिकित्सा कराई गई है।
   (6) परिषदादेश जिसके द्वारा सम्बन्धित चिकित्सालय/नर्सिंग होम को इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।
   (7) अभ्युक्ति

उक्त रजिस्टर में उपर्युक्त सूचना दिनांक वार व माहवार रखी जाए और प्रत्येक दावा प्रस्तुत करते समय उक्त रजिस्टर पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया जाय जिससे यह पता लग सके कि एक महीने के अन्दर कितनी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य की गई तथा माहवार चिकित्सा विवरण ज्ञात हो सके। क्षेत्र स्तर से त्रैमास में निस्तारित कुल दावे तथा उनमें स्वीकृति की गई धनराशि का विवरण परिषद को क्रमशः अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जाए।

कानपुर स्थित सुलक्ष्मी नर्सिंग हास्पिटल, आजाद नगर एवम् चांदनी हास्पिटल, आर्य नगर, कानपुर को वहां उपचार कराये जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता

संख्या 2042-औस-17/सचिव/98-11(11) एफ/86 दिनांक : मार्च 18, 1998

परिषद द्वारा अपने सेवारत एवम् सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा निर्धारित संलग्न दरों पर किये जाने हेतु निम्नलिखित अस्पतालों को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. सुलक्ष्मी नर्सिंग हास्पिटल, आजाद नगर, कानपुर।

161

2. चांदनी हास्पिटल, आर्यनगर, धर्मशाला रोड, कानपुर।

उपर्युक्त अस्पतालों में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषदाज्ञा संख्या-2088 एस.बी. 2/एस०ई०बी०-(चार)-29एस०बी०-2/78, दिनांक 24-5-1978 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन निर्धारित संलग्न दरों पर अनुमन्य होगी।

परिषद द्वारा उक्त दोनों अस्पतालों को मान्यता एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. अस्पतालों को संलग्नक में दर्शाये गये दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क (कन्सल्टेशन फीस) देय न होगा।
2. मान्यता प्राप्त चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साईन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा—"राज्य विद्युत परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन पर आश्रित सदस्यों के लिए अधिकृत चिकित्सालय।"
3. मान्यता प्राप्त अस्पताल को राज्य विद्युत परिषद का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल द्वारा निम्नलिखित सूचना परिषद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित करनी होगी :—
   (क) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग।
   (ख) रोगी का परिषदीय कर्मचारी से सम्बन्ध (पूर्णतः आश्रित होने की दशा में)।
   (ग) अस्पताल में भर्ती तथा डिस्चार्ज की तिथि।
   (घ) कर्मचारी का वेतनमान।
   (ङ) डाईग्नोसिस [मर्ज का नाम]।
   (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।
4. मान्यता प्राप्त चिकित्सालय को यह वचन-पत्र (अन्डरटेकिंग) देना होगा कि वे परिषद द्वारा दर्शायी गयी दरों तथा शर्तों पर उपचार करने हेतु सहमत हैं।

संलग्नक

Rates prescribed by U.P.S.E.B. for Sulaxmi Nursing Hospital, Kanpur and Chandini Hospital, Kanpur

Item	Rates Approved
I. **Accomodation** (Including Nursing Charges, Injections, etc.)	
General Bed	Rs. 60/- per day
Private Room (Non-A.C.)	Rs. 250/- per day
II. **Operation Charges** (Including O.T. Charges, Gases, Technician, etc.)	
MAJOR (1) General Ward	Rs. 3,000/-
(2) Private ward	Rs. 4,000/-
MINOR General/Private	Rs. 1,000/-
III. **Anaesthesia Charges** 15% of Operation Charges.	
IV. **Medicines and Consumables**—	to be charged as per actuals.

239

मेरठ स्थित लोकप्रिय अस्पताल, मेरठ, कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लि०, नोएडा, नोएडा मेडिकेयर सेन्टर लि०, नोएडा, (गौतम बुद्ध नगर) को परिषद के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार कराये जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु परिषद की मान्यता

संख्या : 2410-औद्यो-17/रा०वि०प०/98-11(11)एफ/86 दिनांक : मार्च 28, 1998

परिषद ने अपने सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा निर्धारित संलग्न दरों पर किये जाने हेतु निम्नलिखित अस्पतालों को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :—

1. लोकप्रिय अस्पताल, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ।
2. कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लि०, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।
3. नोएडा मेडिकेयर सेन्टर लि०, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।

उपर्युक्त अस्पतालों में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिपत्राज्ञा संख्या 2088-एलजी-2/एस.ई.बी. (आर)-29 एल.जी.-2/78, दिनांक 24-5-1978 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन निर्धारित संलग्न दरों पर अनुमन्य होगी।

परिषद द्वारा उक्त तीनों अस्पतालों को मान्यता एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. अस्पतालों को संलग्नक में दर्शाये गये दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क (कन्सल्टेशन फीस) देय न होगा।
2. मान्यता प्राप्त चिकित्सालय को अपने परिसर में एक स्थाई बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा-"राज्य विद्युत परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन पर आश्रित सदस्यों के लिए अधिकृत चिकित्सालय"।
3. मान्यता प्राप्त अस्पताल को राज्य विद्युत परिषद का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिन में अस्पताल द्वारा निम्नलिखित सूचना परिषद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित करनी होगी :—
   - [क] रोगी का नाम, आयु एवं लिंग।
   - [ख] रोगी का परिषदीय कर्मचारी से सम्बन्ध (पूर्णतः आश्रित होने की दशा में)।
   - [ग] अस्पताल में भर्ती तथा डिस्चार्ज की तिथि।
   - [घ] कर्मचारी का वेतनमान।
   - [ङ] डाइग्नासिस (मर्ज का नाम)।
   - [च] कुल चार्ज की गयी धनराशि।
4. मान्यता प्राप्त चिकित्सालय को यह वचन पत्र (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि वे परिषद द्वारा दर्शायी गयी दरों तथा शर्तों पर उपचार करने हेतु सहमत हैं।

Rates approved by U.P.S.E.B. for Lokpriya Hospital, Meerut

	Item	Rates Approved	Remarks
I.	Accomodation		
	Generarl Bed	Rs. 75/- per day	No Nursing or Injection Charges to be paid. No other charges to be paid.
	Priavte Room	Rs. 225/- per day	
	I.C.U.	Rs. 500/- per day	

	Item	Rates Approved	Remarks
II.	Operation Charges :		No O.T. Charges to be paid. No Gase Charges to be paid.
	Minor	Rs. 1,000/-	
	Major Speciality	Rs. 4,250/-	
	Super Speciality	Rs. 6,000/-	
III.	Anesthesia Charges	15% of Operation Charges.	
IV.	Non-Surgical Charges	Rs. 100/- per day	—
V.	Medicines and Consumables	As per actuals.	

Rates approved by U.P.S.E.B. for Kailash Hospital, Noida & Noida Medicare Centre, Noida

	Item	Rates Approved	Remarks
I.	Accommodation :		No other charges to be paid
	General Bed	Rs. 100/- per day	
	Private Room	Rs. 300/- per day	
	I.C.U.	Rs. 600/- per day	
II.	Operation Charges :		No other charges to be paid.
	Minor	Rs. 1,200/-	
	Major	Rs. 5,000/-	
	Super Speciality	Rs. 6,500/-	
III.	Anesthesia Charges :	15% of operation charges.	—
IV.	Non-Surgical Professional Charges	Rs. 150/- per day	
V.	Medicines and Consumables	As per actuals.	

चिकित्सा हेतु अस्पतालों में भर्ती होने पर एयर कण्डीशन्ड/डीलक्स, आदि कक्षों के प्राइवेट वार्ड की अनुमन्यता के सम्बंध में स्पष्टीकरण

संख्या : 1856-औद्यो-17/राविप/98-11(11)एफ/86 दिनांक : अप्रैल 17, 1998

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं० 1295/मु.अ.मे.डी.-मे./औद्यो, दिनांक 22-10-96 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि परिषदीय आदेश सं० 2088-एलजी-II/एस.ई.बी.(4)-29एलजी-2/78, दिनांक 24-5-78 के पैरा-11 में स्पष्ट उल्लेख है कि परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों को केवल प्राइवेट वार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उसके साथ एयर कन्डीशन्ड, डीलक्स, आदि वार्ड की सुविधा दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः इस पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमन्य नहीं है।

एम० आर० आई० टेस्ट कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बंध में निदेश पारित

संख्या : 2821-औद्यो-17/राविप/98-11 (11) एफ/86 दिनांक : 23-4-98

परिषद आदेश संख्या 2271-राविप/औद्यो-17/96-11 (4) एफ/86 दिनांक 10-7-96 के अतिक्रमण में एम. आर. आई. टेस्ट कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्न प्रतिबन्धों के साथ परिषद सहर्ष स्वीकृत करती है :-

* ये आजकल मुख्य अभियंता, मेरठ क्षेत्र, मेरठ के हैं।

246

102

1. पूर्व की भाँति एम. आर. आई. स्कैन परिषद में सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णरूप से आश्रित परिजनों के लिए अनुमन्य होगा।

2. एम. आर. आई. स्कैन के लिए प्रदेश में लखनऊ स्थित शीला मेमोरियल हास्पीटल ही अधिकृत प्राइवेट संस्थान होगा जिसकी संलग्न दरें परिषद द्वारा मान्य की गई हैं।

3. एस. जी. पी. जी. आई. या किसी अन्य सरकारी संस्थान से एम. आर. आई. स्कैन कराने पर वास्तविक दर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

4. किसी अन्य संस्थान/प्रदेश से बाहर से एम. आर. आई. स्कैन कराने पर परिषद द्वारा अनुमोदित दर पर ही प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5. एम. आर. आई. स्कैन की प्रतिपूर्ति के आदेश पूर्व की भाँति परिषद मुख्यालय से ही किये जायेंगे।

6. अधिकृत चिकित्सक—एम. आर. ई. स्कैन के संदर्भ हेतु अधिकृत चिकित्सक निम्न स्तर के होंगे :—

मेडिकल कालेज/एस. जी. पी. जी. आई. के प्रोफेसर स्तर के, सरकारी चिकित्सा संस्थान के प्रोफेसर स्तर के विशेषज्ञ, जिले के राज्य विद्युत परिषद के मुख्य चिकित्साधिकारी।

7. ये रेट केवल एक वर्ष के लिए प्रभावी होंगे।

संलग्नक

शीला मेमोरियल हास्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर लि०, कुर्सी रोड, लखनऊ

क्रमांक	इन्वेस्टीगेशन का नाम	मूल्य (रुपये में)
1	एम. आर. आई. हेड/सी. वी. जे.	3,800.00
2	एम. आर. आई. डोरे बर्क्स/डी. स्पाइन	3,800.00
3	एम. आर. आई. नेक/सी. स्पाइन	3,800.00
4	एम. आर. आई. लुम्बोसैक्रल/एल. एस. एवं डी. एल. स्पाइन	3,800.00
5	एम. आर. आई. पेलविस	3,800.00
6	एम. आर. आई. मस्कुलो-स्केलिटल	3,800.00
7	एम. आर. आई. एन्जियो	3,800.00
8	एनस्थीसिया (अतिरिक्त)	2,000.00
9	कन्ट्रास्ट इन्जेक्शन (10 एम. एल.)	2,000.00
10	कन्ट्रास्ट इन्जेक्शन (20 एम. एल.)	4,000'00

राज्य के बाहर स्वेच्छा से हृदय की बाई पास सर्जरी कराने, पेसमेकर लगवाने, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय या मस्तिष्क की वृहद शल्य क्रिया, आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निर्देश

संख्या : 4102-औद्य-17/राविप/98-11(4)एम/86 — दिनांक : जून 1, 1998

स्वेच्छा से राज्य के बाहर हृदय या मस्तिष्क की वृहद शल्य क्रिया आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अब तक निर्गत सभी परिषदादेशों का अतिक्रमण करते हुए परिषद ने निम्नवत निर्णय लिया है :—

1. संजय गाँधी पी. जी. आई. में उपर्युक्त बीमारियों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति शत प्रतिशत की जायेगी।

2. स्वेच्छा से प्रदेश के बाहर उपर्युक्त बीमारियों का इलाज परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराने पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत ही प्रतिपूर्ति योग्य होगा।

स्वेच्छा से अभिप्राय यह है कि इसमें कर्मचारी बगैर किसी संदर्भ के प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में इलाज करा सकता है।

उपर्युक्त बीमारियों में कर्मचारी को प्रदेश से बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में टी. ए. (यात्रा) एक बार और वह भी मात्र आपरेशन कराने वाली स्थिति पर ही देय होगा। भविष्य में या पूर्व में चेकअप कराने जाने पर कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उपर्युक्त प्रस्तर (2) के परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में पैकेज डील पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति मान्य होगी। अतः परिषदाज्ञा संख्या 46-जन्रू औ./राविप/औद्य-उन्नीस/92-11 (4) एम/86 दिनांक 8 जनवरी, 1992 द्वारा पैकेज डील पर लगी रोक समाप्त समझी जायेगी।

6. एस. जी. पी. जी. आई. और प्रदेश के बाहर के अस्पतालों के बिल से कमरे के किराये में से 20 प्रतिशत या रु० 200/- प्रतिदिन, जो भी कम होगा, डाइट चार्ज के मद में काट लिया जायेगा।

प्रतिपूर्ति हेतु परिषदाज्ञा संख्या 2088-एम बी-2/एसईबी(चार)-29 एम बी-2/78 दिनांक 24-5-78 में निहित अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

यह आदेश दिनांक 21-5-1998 से प्रभावी होंगे।

वाराणसी स्थित काशी मेडिकल सेन्टर को सी० टी० स्कैन जाँच के लिए मान्यता प्रदत्त

संख्या : 4217-औद्य-17/राविप/98-50 ए एम/97 — दिनांक : जून 11, 1998

परिषदीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 11215-औद्य-17/राविप/97-11(4) ए एम/86 (टी सी) दिनांक 18-12-97 के अनुक्रम में वाराणसी स्थित काशी मेडिकल सेन्टर को उक्त परिषदाज्ञा में दर्शायी गयी शर्तों एवं दरों पर, सी. टी. स्कैन जाँच के लिए मान्यता प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सी० टी० स्कैन हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी परिषदीय आदेश संख्या 11215-औद्य-17/राविप/97 दिनांक 18-12-1997 का संशोधन

संख्या : 5873-औद्य-17/राविप/98-11 (4) एम/86 — दिनांक : अगस्त 31, 1998

शुद्धि-पत्र

एतद्द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 11215-औद्य-17/राविप/97 दिनांक 18-12-97 को निम्नवत संशोधित/परिवर्तित समझा जाए :—

(1) सी. टी. स्कैन में प्रयुक्त दवाओं का मूल्य संलग्नक में दर्शाई गई सी. टी. स्कैन हेतु अनुमन्य दरों में ही सम्मिलित है। अलग से कोई चार्ज सेन्टर को देय नहीं होगा।

(2) परिषदादेश के संलग्नक सूची के क्रमांक 6 पर सी. टी. स्कैन होल एब्डामेन की अनुमोदित दर रु० 3,600/- ही पढ़ी जाय।

(3) परिषदादेश द्वारा प्रदत्त सुविधा परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा उन पर पूर्ण रूपेण आश्रित परिजनों हेतु समान रूप से उपलब्ध होगी।

हल्द्वानी स्थित श्रीमती सुशीला तिवारी स्मृति वन चिकित्सालय को परिषदीय मान्यता प्रदान तथा वहाँ प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं हेतु दरों का निर्धारण

संख्या : 8471-औद्-17/पाविप/98-11-1 एच/86 दिनांक : दिसम्बर 18, 1998

हल्द्वानी स्थित श्रीमती सुशीला तिवारी स्मृति वन चिकित्सालय को परिषदीय सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के भर्ती के दौरान उपचार कराये जाने पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. उक्त अस्पताल में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिपत्रांक संख्या 2088 एनजी/एस ई बी(चार) 29 एनजी-2/78 दिनांक 24-3-78 में निहित कार्यवाही एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।
2. उक्त अस्पताल संलग्न सूची में दर्शायी गयी दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगा।
3. उक्त अस्पताल को संलग्न सूची में दर्शायी गयी दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय नहीं होगा। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क (कन्सल्टेशन फीस) देय नहीं होगा।
4. उक्त अस्पताल को अपने परिसर में एक साईन बोर्ड लगवाना होगा, जो यह दर्शायेगा "राज्य विद्युत परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन पर आश्रित सदस्यों के लिए अधिकृत चिकित्सालय"।
5. अस्पताल को राज्य विद्युत परिषद का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना परिषद के मुख्य चिकित्साधिकारी (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित करनी होगी :—
   - (क) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग।
   - (ख) रोगी का परिषदीय कर्मचारी से सम्बन्ध (पूर्णतः आश्रित होने की दशा में)
   - (ग) अस्पताल में भर्ती तथा डिस्चार्ज की तिथि
   - (घ) कर्मचारी का वेतनमान
   - (ङ) मर्ज का नाम (डायग्नोसिस)
   - (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

संलग्नक

PREVALENT RATES OF DIFFERENT TREATMENT SERVICES AT Dr. SUSHILA TIWARI MEMORIAL FOREST HOSPITAL, HALDWANI

Sl. No.	Description	Rates (In Rs.)	Remarks
1.	**General**		
	O.P.D. Registration	50.00	Valid up to one month
	General Ward	100.00	Per day
	Private Ward	400.00	Per day
	Ambulance Charges	10.00	Per Km. (one way only)
	Day care (Observation Charges)	50.00	
2.	**Cardiology Department**		
	T.M.T.	700.00	Including consumables.
	Holter	700.00	—do—
	E.C.G. (Three Channel)	50.00	—do—
	Cardio Monitoring Charges	100.00	—do—
	ECHO Cardiography (Colour Doppler)	450.00	—do—
	Pericardial fluid aspiration	200.00	

104

Sl. No.	Description	Rates (In Rs.)
3.	**General Surgery Department**	
	Soft-Tissue mass removal under General Anaesthesia	2000.00
	Tubo Ovarian Mass removal	2500.00
	I & D of an Abscess under Anaesthesia	500.00
	Appendix (Appendicectomy)	1500.00
	Inguinal Hernia (one side) Operation	1500.00
	Inguinal Hernia (both sides) Operation	2000.00
	Hydrocele Operation	750.00
	Cholecystectomy	3000.00
	Fistula-in-Ano Operation	1000.00
	Tracheostomy Operation	1200.00
	Excisional Biopsy	500.00
	Minor debridment	50.00
	Plaster charges	150.00
	Chemotherapy charges (per day)	50.00
	Dressing charges (Small)	10.00
	—do— (Moderate)	30.00
	Hernia repair	2000.00
	Mastectomy	2000.00
	Exploratory Laprotomy–Gastrojejunostoy	4500.00
	Thyroid Surgery (Thyroidectomy)	4000.00
	Hysterectomy	3500.00
	Child Hernia	1000.00
	Haemorhoid Solerotherapy	500.00
	Anal-Stretching for Anal fissure	500.00
	Ingrowing toe nail	500.00
	Excisional Biopsy (C A check)	500.00
	Biopsy charges (according to site)	50.00-150.00
	Phimosis adhesion sepration without Anaesthesia	100.00
	Phimosis adhesion sepration under Keramine	200.00

Sl. No.	Description	Rates (In Rs.)
	Tongue tie under Keramine (Anaes)	250.00
	Tongue tie without Keramine	150.00
	Fibroadenoma Breast (under L.A.)	300.00
	Biopsy depending upon site	150.00
	Haemoridectomy	150.00
	Polypectomy	500.00
	Anal stretching/sclerotherapy for Hemorids/Major Wound debridment/Circumcision/Fibroadenoma breast/incision & drainage of an Abscess	500.00 per case
	Flexible sigmiodoscopy	100.00
	Resuturing of wound under local Anaesthesia	100.00
	Cysto lithotomy	2000.00
	Minor debridments	50.00
	Modified Radical Mastectomy	3000.00
	Incision & drainage of an Abscess under L.A.	300.00
	Incisional Hernia (Hernioplasty)	4000.00
	Epigastric Hernia	2000.00
	Submendibular gland under G.A.	1500.00
	Finger/Toe disarticulation with debridment	750.00
	Surgery for Undiscended testis	1500.00
	Hypospadias (single stage)	3000.00
	Dressing	20.00
	Rectal Polyp	1000.00
	Repair of Ulcerated skin over unblical Hernia	1000.00
	Resturing of abdominal wound at hernia site	250.00
	Surgery for Exomphalos	4000.00
	Surgery for Periurethral Abscess under S.A.	1000.00

242

Sl. No.	Description	Rates (in Rs.)
	Surgery for Excisional Biopsy	1000.00
	Breast lump under G A.	
	Surgery for Amputation of toe	1000.00
	under spinal Anaesthesia	
	Surgery for covered anus with Anocutaneous fistula (Low Anorectal Malformation) procedure—V—Y plasty	2000.00
4.	**Paediatrics Department**	
	Lumber puncture (C.S.F.)	100.00
	Bone Marrow aspiration	100.00
	peritoneal fluid aspiration	100.00
	Intercostal drainage	200.00
	24 hour Nebuliser	100.00
	Pleural fluid aspiration	100.00
	Liver Biopsy	200.00
	Kidney Biopsy	200.00
	Pleural Biopsy	200.00
5.	**General Medicine Department**	
	Lumber puncture (C.S.F.)	100.00
	Bone Marrow Biopsy	200.00
	(if needle is purchased by pt. only Rs. 50/–, if hospital supplies needle Rs. 200/-)	200.00
	Bone marrow aspiration	200.00
	Volume Infusion pump-cost of bubing + Rs. 30/- per day	
	Peritoneal fluid aspiration	100.00
	Intercostal drainage	200.00
	24 hour Nebuliser	100.00
	Pleural fluid aspiration	200.00
	Liver Biopsy	200.00
	Kidney Biopsy	200.00
	Pleural Biopsy	200.00
	Peritoneal Biopsy	200.00
	Dialysis (with new disposables)	1500.00
	Dialysis with reused disposables) (a regular patient after completing 10 time dialysis will be charged Rs. 400/-per dialysis instead of Rs. 500/–)	500.00

Sl. No.	Description	Rates (in Rs.)
	Endoscopy Charges	
	Endoscopy—Upper G. I.	300.00
	Biopsy charge	100.00
	Colonoscopy	500.00
	Short colonoscopy	250.00
6	**Department of Pathology**	
	Hb	15.00
	TLC	15.00
	DLC	15.00
	ESR	15.00
	Platelet count	15.00
	CBP	15.00
	Blood grouping	25.00
	Blood Urea	20.00
	Serum Creatinine	20.00
	Blood Sugar	20.00
	Serum Uric Acid	30.00
	Lipid profile complete	160.00
	Serum Cholesterol	40.00
	ADL ,,	40.00
	LDL ,,	40.00
	Triglyceride	60.00
	VLDL	40.00
	SGOT	30.00
	SGPT	30.00
	Serum Bilirubin	30.00
	Direct/Indirect Bilirubin	30.00
	Alkaline Phosphatase	30.00
	Serum Acid Phosphatase	30.00
	Serum Amylase	80.00
	Serum Calcium	40.00
	Inorganic Phosphorus	40.00
	Total Protein & A/G Ratio	60.00
	Pregnancy Test	50.00
	CSV/Pleurall Ascitic fluid	60.00
	PT	80.00
	BT	20.00
	CT	20.00
	Mantoux Test	40.00

105

Sl. No.	Description	Rates (in Rs.)
	Complete LFT includes Serum Bill D/I, Total proteins, Alk. Pho, SGOT SGPT,	180.00
	CK-MB	150.00
	CK-NAC	150.00
	Na+ (Sodium)	50.00
	K+ (Potassium)	50.00
7.	**Radiology Department**	
	X-Ray Chest PA/AP	60.00
	X-Ray Abdomen	60.00
	X-Ray Cervical Spine	60.00
	X-Ray Skull	60.00
	X-Ray Long bones	60.00
	X-Ray Thoraco Lumber Spine-AP	60.00
	X-Ray Thoraco Lumber Spine-Lat	60.00
	Ultrasound Charges	
	Upper Abdomen	300.00
	Lower Abdomen	300.00
	Whole Abdomen	550.00
	Brain	300.00

Sl. No.	Description	Rates (In Rs.)
	C.T. Scan Charges	
	Head (Brain)	850.00
	Head (Contrast)	1150.00
	Thorax	2000.00
	Abdomen (1/2)	2000.00
	Spine (any 3 levels)	1900.00
	Whole Abdomen	3600.00
	(Above rates include cost of medicines)	
8.	**Microbiology Department**	
	Widal	50.00
	Urine R/M	20.00
	Stool R/M	20.00
	Gram's stain	20.00
	HBs Ag (Australia Antigen)	100.00
	RA Factor	50.00
	VDRL	40.00
	AFB stain (any sample)	25.00
	Leishman's stain for MP	15.00
	Mantoux test	40.00
	CRP	100.00
	ASO	100.00
	Albert stain	25.00

मेयो मेडिकल सेन्टर (प्राइवेट) लिमिटेड, गोमती नगर, लखनऊ, निशात हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लि०, लखनऊ, शेखर हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड चर्च रोड इंदिरा नगर, लखनऊ यशोदा हास्पिटल, गाजियाबाद, मेट्रो हास्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, नोएडा, जसवन्त राय स्पेशलिटी हास्पिटल, मेरठ को परिषदीय सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के मर्ज के दौरान उपचार कराये जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता

संख्या : 1217-ओव-17/राविप/99-11(11)एम/86 दिनांक : मार्च 11, 1999

परिषदीय सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के मर्ज के दौरान उपचार कराये जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित अस्पतालों को मान्यता प्रदान की जाती है :—

(1) मेयो मेडिकल सेन्टर, लखनऊ।

(2) निशात हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, लखनऊ।

(3) शेखर हास्पिटल, लखनऊ।

(4) यशोदा हास्पिटल, गाजियाबाद।

243

(5) मेट्रो हास्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, नोएडा।

(6) जसवन्त राय स्पेशियालिटी हास्पिटल, मेरठ।

उक्त मान्यता निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन प्रदान की जाती है :—

(1) उक्त अस्पताल में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की क्षतिपूर्ति परिपत्रांक सं० 2048-एफ०ओ०/एस०ई०बी०(आर०)-298एफ०ओ०-2/78, दि० 24-5-78 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

(2) उक्त अस्पताल संलग्न सूची में दर्शायी गयी दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।

(3) दवाओं, परीक्षणों पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(4) उक्त अस्पताल को संलग्न सूची में दर्शायी गये मदों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय नहीं होगा। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क (कन्सल्टेशन फीस) देय नहीं होगा।

(5) उक्त अस्पताल को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा, जो यह दर्शायेगा "राज्य विद्युत परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन पर आश्रित सदस्यों के लिए अधिकृत चिकित्सालय"।

(6) अस्पताल को राज्य विद्युत परिषद का एक रजिस्टर अलग रखना होगा और हर पन्द्रह दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना परिषद के मुख्य चिकित्साधिकारी (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित करनी होगी :—

(क) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग।

(ख) रोगी का परिषदीय कर्मचारी से सम्बन्ध (पूर्णतः आश्रित होने की दशा में)

(ग) अस्पताल में भर्ती तथा डिस्चार्ज की तिथि।

(घ) कर्मचारी का वेतनमान।

(ङ) मर्ज का नाम (डाइग्नोसिस)

(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

(7) अस्पताल को यह वचन-पत्र (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उसके संलग्न सूची में दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

(8) शेखर अस्पताल, लखनऊ सहित जिन अस्पतालों द्वारा अन्तवासी रूप से भोजन प्रदान किया जाता है, उन समस्त अस्पतालों के बीजक से भोजन मद हेतु रु० 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाए।

ANNEXURE—A

Approved Rates of U.P. State Electricity Board for Mayo Medical Centre, Lucknow, Nishat Hospital and Research Centre, Lucknow, Shekhar Hospital, Lucknow.

I. Accomodation :	
General Ward	Rs. 100/- day
Private Ward	Rs. 400/- day
I.C.U.	Rs. 500/- day
II. Operation Charges :	
Minor Surgery	Rs. 1200/-
Major Surgery (Gen-ward)	Rs. 3500/-
(Private ward)	Rs. 5000/-
Super Speciality	Rs. 6000/-
Lithotripsy (E.S.W.L.)	Rs. 8000/-

III. Anaesthesia Charges	15% of Operation Charge
IV. Non Surgical Professional Charge	Rs. 150/- day
V. Investigations (Except C.T. Scan & M.R.I. which are at Board's rates)	As per Actuals
VI. Medicines & Consumables	As per Actuals

N.B. The following are not to be charged :—

viz. Nursing Charges, Injection Charges, Dressing Charges, Gases, O.T. Charge, Equipment Charge, Asstt. Charge, Consultation Fees in Surgical Cases, etc.

ANNEXURE—B

Rates approved by U.P. State Electricity Board for Ganesh Hospital (Ghaziabad) and Metro Hospital & Heart Centre (Noida)

I. Accomodation Charge :	
General Bed	Rs. 100/- day
Private Room	Rs. 300/- day
I.C.U.	Rs. 600/- day
II. Operation Charges :	
Minor	Rs. 1200/-
Major	Rs. 5,000/-
Super Speciality	Rs. 6,500/-
III. Anaesthesia Charges	15% of Operation Charge.
IV. Non-Surgical Professional Charge	Rs. 150/- day
V. Investigations (Except C.T. Scan & M.R.I. which are at Board's Rates)	As per Actuals
VI. Medicines & Consumables	As per Actuals

N.B. The following are not to be charged :—

Viz. Nursing Charges, Injection Charges, Dressing Charges, Gases, O.T. Charges, Equipment Charge, Asstt. Charge, Consultation Fees in Surgical Cases, etc.

ANNEXURE—B-I

Rates for Heart Investigations & Surgery at Metro Hospital, Noida.

I. Package Deal for Coronary Angiography	Rs. 11,000/-
II. Package Deal for Angioplasty :—	Rs. 70,000/-
Valvuloplasty	Rs. 35,000/-
Stenting	Rs. 1,10,000/-
III. Package Deal for Open Heart Surgery/Bye Pass Surgery :	
Special Ward	Rs. 1,10,000/-

N.B. Discount of Rs. 5,000/- for those undertaking Angioplasty/Stenting after Angiography will be given by Hospital.

ANNEXURE—C

Rates approved by U.P. State Electricity Board for Jaswant Rai Speciality Hospital, Meerut

I.	**Accomodation :**	
	General Ward	Rs. 25/- day
	Private Room	Rs. 225/- day
	I.C.U.	Rs. 300/- day
II.	**Operation Charges :**	
	Minor Surgery	Rs. 1000/-
	Major Surgery (Gen. Ward)	Rs. 2,500/-
	(Pvt. Ward)	Rs. 3,500/-
	Super Speciality	Rs. 5,000/-
III.	**Anaesthesia Charges**	15% of Operation Charge
IV.	**Non Surgical Professional Charge**	Rs. 400/- day
V.	Investigations (Except C.T. Scan & M.R.I. which are at Board's rates)	As per Actuals
VI.	**Medicines & Consumables**	As per Actuals

N.B. The following are not to be charged :—

Viz. Nursing Charges, Injection Charges, Dressing Charges, Gases, O.T. Charge, Equipment Charge, Asst. Charge, Consultation Fees in Surgical Cases, etc.

इन्दिरा डाइग्नोस्टिक सेन्टर एवम् ब्लड बैंक प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ में सी० टी० स्कैन कराये जाने पर परिषद द्वारा अनुमोदित दरों एवम् शर्तों पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य

संख्या : 1334-औस-17/राविप/99-11 (11)एफ/86 (टीसी) दिनांक : मार्च 19, 1999

परिपत्रांक संख्या 11215-औस-17/राविप/97-11 (ए) एफ/86(टीसी) दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 के तारतम्य में इन्दिरा डाइग्नोस्टिक सेन्टर एवं ब्लड बैंक प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ में, संदर्भित परिपत्रांक में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर, सी. टी. स्कैन कराये की सुविधा प्रदान की जाती है ।

सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों व उन पर पूर्णतया आश्रित परिवार जनों पर बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार/टेस्ट आदि पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य

संख्या : 1378-औस-17/राविप/99-11(4) एफ/86 दिनांक : मार्च 23, 1999

परिषदीय आदेश क्र० 605-स्थानु० सी०/राविप-औस-19/89-11 (8) एफ/88 दिनांक 10-5-89 द्वारा परिषदीय सेवारत व उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी की स्थिति में चलने वाली बीमारियों के उपचारार्थ अनुमन्य चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों को भी निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी :

(1) चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति समान रूप से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों को अनुमन्य होगी, किन्तु अग्रिम की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

(2) केवल उपचार पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, किन्तु बाह्य रोगी के रूप में परीक्षण पर होने वाले व्यय परिषद वहन नहीं करेगी ।

107

(3) प्रदेश से बाहर उपचार कराने हेतु प्राधिकृत चिकित्सक का संदर्भ कराने पर वास्तविक प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, परन्तु बिना संदर्भ के स्वेच्छा से उपचार कराने पर परिपत्रादेश सं० 3145-औस/राविप-17/97-11 (4) एफ/86 दिनांक 4-6-97 के प्रतिबन्ध लागू होंगे ।

परिपत्रांक संख्या 503-स्थानु./राविप (औस-उद्योग) 89-11 (3) एफ/88 दिनांक 10-5-89 एवं 4596-औस-17/राविप/97-11 (3) एफ/88 दिनांक 28-7-97 के अन्य प्राविधान यथावत लागू होंगे ।

सूरी मेडिकल फाउन्डेशन ट्रस्ट, अवध हास्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, के. के. अस्पताल तथा सेवा अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ की चिकित्सा दरों में संशोधन

संख्या : 1188-औस-17/राविप/99-11 (11) एफ/86 दिनांक : अप्रैल 3, 1999

परिपत्रांक संख्या 2159-औस/राविप-17/97-11 (11) एफ/86 दिनांक 15 अप्रैल, 1997 के द्वारा सूरी मेडिकल फाउन्डेशन ट्रस्ट, लखनऊ तथा अवध हास्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, लखनऊ के लिए निर्धारित चिकित्सा दरों, तथा परिपत्रांक संख्या 2567-औस/राविप-17/97-11 (11) एफ/86 दिनांक 13 मई, 1997 द्वारा सेवा अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र तथा के. के. अस्पताल, लखनऊ के लिए निर्धारित दरों को संलग्नानुसार संशोधित किया जाता है ।

संलग्नक

REVISED MEDICAL RATES FOR SURI MEDICAL FOUNDATION TRUST, AWADH HOSPITAL & HEART CENTRE, SEWA HOSPITAL & RESEARCH CENTRE AND K.K. HOSPITAL, LUCKNOW.

I.	**Accomodation :**	
	General Ward	Rs. 100/- day
	Private Ward	Rs. 400/- day
	I. C. U.	Rs. 500/- day
II.	**Operation Charges :**	
	Minor Surgery	Rs. 1,200/-
	Major Surgery (Gen. Ward)	Rs. 3,500/-
	Major Surgery (Private Ward)	Rs. 5,000/-
	Super Speciality	Rs. 6,000/-
	Lithotripsy (E.S.W.L.)	Rs. 8,000/-
III-	**Anaesthesia Charges :**	15% of Operation Charges.
IV.	Non Surgical Professional charges.	Rs. 150/- day
V.	Investigations (Except C. T. Scan & M.R.I. which are at Board's rates.)	As per Actuals
VI.	**Medicines & Consumables :**	As per Actuals

N. B.—The following are not to be charged.

Viz. Nursing Charges, Injection Charges, Dressing Charges, Gases, O. T. Charge, Equipment Charge, Asst. Charge, Consultation Fees in Surgical Cases, etc.

मैसर्स 3-डी सी० टी० स्कैन एण्ड इमेजिंग सेन्टर, देहरादून की परिषद द्वारा अनुमोदित दरों पर सी० टी० स्कैन टेस्ट कराये जाने हेतु मान्यता प्रदत्त

संख्या : 1634-औस-17/राविप/99-11 (11) एफ/86 दिनांक : अप्रैल 22, 1999

परिपत्रांक संख्या 11215-औस 17/राविप/97-11 (4)एफ/86 (टी सी) दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 के तारतम्य में 3-डी सी. टी. स्कैन एण्ड इमेजिंग सेन्टर देहरादून में संदर्भित परिपत्रांक में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर सी. टी. स्कैन कराये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है ।

245

SCHEDULE–I

List of Hospitals recognised by State Electricity Board for the purpose of treatment of their Employees, Pensioners and their fully dependent Family Members

ALIGARH :
Mohan Lal Eye Hospital
Gandhi Eye Hospital

ALLAHABAD :
Nazareth Hospital.
B. S. Mehta Eye Hospital

ALMORA :
Sitapur Eye Hospital

AZAMGARH :
Sitapur Eye Hospital

BAHRAICH :
Sitapur Eye Hospital

BALLIA :
Sitapur Eye Hospital

BANDA :
Gandhi Eye Hospital

BAREILLY :
Clara Swain Hospital
Sitapur Eye Hospital

BASTI :
Eye Hospital (Sitapur Branch),

BIJNOR :
Sitapur Eye Hospital, Dhampur

BULANDSHAHRA :
Gandhi Eye Hospital

BUDAUN :
Gandhi Eye Hospital

CHAMOLI :
Sitapur Eye Hospital, Gopeshwar

DEHRADUN :
Christian Hospital, Harbertpur, (Near Dakpather)
Gandhi Eye Hospital

DEORIA :
Sitapur Eye Hospital

ETAH :
Gandhi Eye Hospital

ETAWAH :
Gandhi Eye Hospital

FAIZABAD :
Sitapur Eye Hospital

GHAZIABAD :
Narendra Mohan Hospital, Mohan Nagar
Yashoda Hospital, Nehru Nagar,
Ganesh Hospital

GHAZIPUR :
Sitapur Eye Hospital

GONDA :
Eye Hospital (Sitapur Branch)
Mission Hospital, Katra

GAUTAM BUDHA NAGAR
Kailash Hospital & Research Centre Ltd. Sector 27, Noida
Noida Medicare Centre Ltd., Noida
Metro Hospital & Heart Centre, Noida

HAMIRPUR :
Gandhi Eye Hospital

HARDOI :
Cane Eye Hospital

HARDWAR :
Bharat Heavy Electricals Ltd. Central Hospital, Ranipur.
Ram Krishna Mission Hospital, Kankhal

JAUNPUR :
Sitapur Eye Hospital

JHANSI :
Christian Hospital, Jhokan Basa
Gandhi Eye Hospital

KANPUR :
Mariumpur Hospital,
Dr. Jawahar Lal Rastogi Memorial Eye Hospital
Brij X-Ray Centre (For X-Ray & Pathalogical Tests),
Lakhanpur Hospital, Lakhanpur,
Laxmi Devi Krishan Chand Memorial Hospital, 150-Ratan Lal Nagar.
Brij Medical Centre
Raja Ram Hospital
Usha Pathology & X-Ray (For Pathalogical Tests).
Sulaxmi Nursing Hospital, Azad Nagar
Chandini Hospital, Arya Nagar

KHERI LAKHIMPUR :
Sitapur Eye Hospital, Gola Gokaran Nath

LUCKNOW :
Fatima Hospital,
Noor Manzil Psychiatric Centre,
Vivekanand Polyclinic,
Sanjay Gandhi P.G.I.
Seva Hospital & Research Centre, Sitapur Road
K.K. Hospital, River Bank Colony
Indira Gandhi Eye Hospital
Suri Medical Foundation Trust
Avadh Hospital & Heart Centre
Mayo Medical Centre, Private Ltd., Gomti Nagar
Nishat Hospital & Research Centre P. Ltd.,
Shekhar Hospital Private Ltd., Church Road, Indira Nagar

MATHURA :
Gandhi Eye Hospital

MEERUT :
Jaswant Rai Speciality Hospital
Saint Lukes Hospital, Saket
Lokpriye Hospital, Samrat Palace

MIRZAPUR :
Gandhi Centinnial Mahabir Prasad Eye Hospital

MORADABAD :
District Eye Hospital, Civil Lines
Gandhi Eye Hospital

MUZAFFAR NAGAR :
Gandhi Eye Hospital

NAINITAL :
Smt. Sushila Tiwari Memorial Forest Hospital, Haldwani
Sitapur Eye Hospital
Sitapur Eye Hospital, Haldwani

ORAI :
Gandhi Eye Hospital, Jalaun

PAURI GARHWAL :
Sitpur Eye Hospital, Pauri
Sitapur Eye Hospital, Sri Nagar
Sitapur Eye Hospital, Kotdwar

PILIBHIT :
Poliganj Mission Hospital, Majhola.
Sitapur Eye Hospital

PITHORAGARH :
Sitapur Eye Hospital

PRATAPGARH :
Sitapur Eye Hospital

RAE BARELI :
Mohan Singh Memorial Eye Hospital

RAMPUR :
Gandhi Eye Hospital

RANIKHET :
Sitapur Eye Hospital

SHAHJAHANPUR :
Sitapur Eye Hospital

SITAPUR :
Eye Hospital

SONE BHADRA :
NTPC Hospital, Shakti Nagar/Vindhyachal,
NCL Hospital, Singrauli,
Renusagar Power Co. Hospital, Renusagar,
Hindalco Hospital, Ranukoot.

SULTANPUR :
Sundari Devi Eye Hospital

UDHAM SINGH NAGAR :
Sitapur Eye Hospital, Kashipur

VARANASI :
Rama Krishna Mission Hospital, Luxa,
Sir Sundar Lal Hospital, B.H.U.

DELHI :
(For Board's Employees posted and Pensioners residing at Delhi & Ghaziabad)
Holly Family Hospital,
Mool Chand Khairaty Ram Hospital,
Sir Ganga Ram Hospital,
Saint Stephen's Hospital,
Escorts Heart Institute and Research Centre (For Heart Operations).
Apollo Hospital (For Cancerous & Heart Diseases only)

MUMBAI :
Tata Memorial Hospital, Mumbai (For Cancerous Diseases only)

CHENNAI :
Apollo Hospital (For Cancerous and Heart Diseases only)

108

SCHEDULE-IA

List of Test Laboratories recognised by State Electricity Board for C.T. Scan Tests required in connection with treatment of their Employees, Pensioners and their fully dependent Family Members

ALLAHABAD :
Kirti Scanning Centre (P) Ltd, Lowther Road

DEHRA DUN :
Trimil Medicare Centre, Rajpur Road
3-D C.T. Scan & Imaging Centre

FAIZABAD :
Bhowan Diagnostic Centre, Rakabganj

GORAKHPUR :
Gomti Medical & Diagnostic Centre

KANPUR :
Prayag Medical Diagnostic Services Ltd., Tilak Nagar

LUCKNOW :
Indira Diagnostic Centre & Blood Bank Private Ltd.
Kunali C. T. Scan Centre, Chowk
Uttar Pradesh Medical Centre, Rana Pratap Marg
Sarkar Dignostics, Mahanagar
Gomti Medical & Diagnostic Centre, Sapru Marg
Raj Scanning Ltd., Manas Nagar, Jiamau
Shiela Memorial Hospital & Diagnostic Centre Limited, Kursi Road (For M.R.I. Tests only)

MORADABAD :
Vivekanand Hospital & Research Centre

VARANASI :
Kashi Medical Centre
Arihant Diagnostic Centre, Mahmoorganj
Dr. Anita's Diagnostic Centre, Chandrika Colony

Note : In places where no private C. T. Scan Centre is recognised by the Board and the facility is not available in the Govt. Hospitals the reimbursement shall be admissible of the expenses incurred on such tests in any test centre subject to the condition that actual expenses shall not exceed the rates approved by the Board from time to time.

109

SCHEDULE-II

ALLOPATHIC

LIST OF INADMISSIBLE FOODS, TONICS, TOILETS AND ALLOPATHIC MEDICINES!

PREPARATIONS CLASSIFIED AS FOODS

The following preparations are classified as foods, whether they are used as Baby Foods, Milk Foods, Beverages, Drinks, etc.

1. INVALID FOODS
Bournvita,
Casilan,
Casilan-B 12,
Complan Banana Flavour,
Horlicks,
Maltodex,
Maltodex-S,
Milpro,
Miltone, Multipurpose Foods,
Nutro Protein,
Nutri-Nugget,
Ovaltine,
Proteena,
Provimin,
Provita,
Provitex,
Protinex,
Protinules,
Protogen,
Protein Granules (Syrup)
Protein-Plus Breakfast Food,
Protein Hydrolysate (P.H.L.)
Ragotine,
Robinson's Patent Barley,
Sanatogen Vitaminised,
Trophox,
Uni-Protein,
Viva and Similar preparation

2. BABY FOODS
Amul Milk Food,
Amul Spray,
Glaxo Baby Food,
Lactogen,
Lactodex,
Lever's Baby Food,
Nespray,
Oster Milk
Parag/Vita Milk Powder,
and similar preparations

3. WEANING FOODS
Bal Amul,
Bal Ahar,
Farex,
Nestum,
and similar preparations

4. GLUCOSE PREPARATIONS
Glucose D,
Glucose with Vitamins,
and similar preparations

5. LIQUID FOODS AND WINES
Apple Juices and other Juices
All Alcoholic Beverages,
Wines and Spirits,
Orange Squash and other Squashes,
and similar preparations

6. MEAT EXTRACT AND JUICES
Chicken Essence,
and similar preparations

7. CARBONATED/FLAVOURED/SWEETENED/BEVERAGES
Soda Water,
Co Co Cola,
Fanta,
Limca,
Gold Spot,
Vimto,
Ginger Ale,
and similar preparations

8. PROTEIN RICH BISCUIT
Nutro Biscuits,
Pro Brisk,
Pro Pack Salties,
Proteena Biscuits,
Threptin Biscuits/Pieces,
Uni-Protein-Briskees,
and similar preparations

9. MISCELLANEOUS PREPARATIONS
Arrowroot,
Cocoa,
Corn Flakes,
Iodized Salts,
Lactose,
Malt Extracts/Malted
Wheaten Foods,
Saccharine Tablets,
Salt Substitutes,
Vitaminised Chocolates,
Oats,
and similar preparations

Note :- Milk powders of all kinds whether it is full cream or half cream or humanised or fortified with vitamins and minerals, skimmed milk powder, either in powder, liquid, condensed or tablet from.

Though some products mentioned above may be manufactured under drug licence the same are considered food/dietary supplements taking into consideration the composition of the items concerned.

237

TONICS AND TONIC PREPARATIONS

Glycerophosphate with Vitamin B Complex Malt, etc., etc. (*Proprietary Products*)
B.G. Phos. (*MSD*).
B.G. Phos. 12 (*MSD*).
Biomin (*Milnex*).
Bivit Phos (*Cajjars*).
B-Neuro Phos. (S.P. Ltd).
Branervine (*Modern Drug*)
Calron (*East India*).
Chem-Digeston (*Chemo Pharma*).
Deltaplex (Deltakem).
Deyplex (Dey's).
Dia-Papain (UDH).
Embelix (M & B).
Energon (BCPW).
Eugadine (UDH).
Evofos (Evans)
Ferlivone (SIRIS).
G-Phospho. - Lecethi (Cal. Chem).
Glycimin (Sunways).
Hemo-Drakso-Malt(Alembic).
Hemiphos(Geoffrey Manners).
Hepatine Ferrous(Cal. Chem).
Hepatina (Cal. Chem).
Heprona (Evans).
Heptamin (Comteck).
Hevimin with B-12(NAPHA)
Ipcamalt (IPCA).
Iphatone (National).
Ivi Malt (Bengal Immunity).
LA-B Phos. (La Medica)
Leciphos Ferri (Sigma).
Limovita (Sunways).
Manadol (Geoffery Manners).
M & H-Elixir (M & H).
Metatone Parke Davis).
Metavin (Anakem).
Microfer (NAPHA).
Miradex (Glaxo).
Minavitol (Modern Drug).
Minolad (TCFF).
Nephamalt (NAPHA).
Neucalcin (Modern Drug).
Neurobin (ADCCO).
Neurtone (CSI).
Opimalt (Opil).
Orheptal (E. MERCK).
Pabaplex (Pasteur).
Pemexin (Sehering).
Phosfomin (Squibb).
Phosphokemp (Kemp).
Phosphoton (Cipla).
Piciplex Elixir P.C. Labs).
Prolex-B (Bengal Immunity).
Rakto Fhospho Malt (Zandu).
Renovan (Pasteur).
Siotone (Albert Devid).
Siovina (Albent David).
Sunplex (Sunways).
Tonavit (Fairdeal).
Tonocarnine Forte (Bengal Immunity).
Univine (UDH).
Univine with Protein (UDH).
Vebegan (Cal. Chem.)
Vrbitone (BCPW).
Vinkola (S.P. Ltd.).
Vinkola 12 (S.P. Ltd.).
Vinkola with Vitamins(S.P.Ltd.
Vino-Lecithin (ADCCO).
Vino-Malt(Bengal Immunity).
Vintone with Asoka (S.P.Ltd).
Vitale-Cithin (East India).
Vitaminised Sanatogen (Wulfing).
Waterbury's Vitamin Compound (Warner).
Adcoss Compound (ADCCO).
Bevite Compound (UDR)
Cadimalt (Cadila))
Chemo Malt(Chemo Pharma).
Ferilex (TCF).
Ferilex Malt (TCF).
Ferradol (Parke Devis).
Gajjartone (Gajjar's).
Livoglopil (Opil).
M & H Elixir (M & H)
Malt-& Vit. A Comp. (M&H).
Maltomin (Cipla).
Maltivitol (Fairdeal)
Navitol Malt Compound (Squibb).
Sharkoferrol (Alembic).
Sharkomalt (Fisheries).
Sirismalt (Siris).
Sunmalt (Sunways).
Universal's Compound(UDH)
Vitamol Compound (MSD)
Zuvimalt Liquid (Zandu).

TOILET PREPARATIONS

Prepetations Normally Used for Toilet Purposes
Astringent Lotions.
Bath Salts.
Cold Creams.
Face Powders.
Hair Tonics.
Hand Creams.
Lanoline Toilet.
Shampoos.
Shaving Creams.
Shaving Soaps.
Shaving Styptics.
Skin Lotions.
Soaps.
Tooth Pasets.
Tooth Powders.
Vani Hing Creams.
J.B. Powders.
and all preparations in the above groups

DISINFECTANTS

1. PHENOL & PHENOL SUBSTITUTES
Phenol (Carbolic Acid).
Phenol Gargle (B.P.C.).
Phenol Lotion (B.P.C.).
Clearsol.
Creosote, Lysol.
Chlorosol, Chlorocresol (B.P.C.).
Alkaline Phenol Mouth Wash
Sodium Phenate Solution.
Phenyl.
Zylol.
Thymol.
Thymol Glycerine Compound. (B.P.C.)
Thymol Mouth Wash.
Resorcinol.
Dettol Solution/Cream.
Hibitane Powder/Cream (I.C.I.).

2. ALCOHOLS
Ethyl Alcohol.
Isopropyl Alcohol.
Rectified Spirit.

3. GLYCOL
Rophylene Glycol.
Tricthyl Glycol

4. ALDEHYDES
Formaldehyde Solution.
Formalin.

5. ACIDS
Acetic Acid.
Picric Acid.

6. IODINE COMPOUNDS
Tr. Iodine.
Iodoform (Powder).
Weak Solution of Iodine.

7. CHLORINE CONTAINING COMPOUNDS
Hypochlorite Solution.
Sodium Hypochlorite Solution (B.P.C.)
Liquid Chloramine Solution (B.P.C.).
Chorinated Lime (Bleachine Powder).
Eusol-Solution.
Halazone Tablets

8. OXIDISING AGENTS
H_2O_2 (Hydrogen Peroxide).
Potassium Permanganate.
Zinc Sulphate.
Zinc Chloride.

9. DYES
Evans Blue.
Brilliant Green
Crystal Violet.
Methyl Violet.
Methyline Blue.
Melachite Green.
Scarlet Red.

10. CATIONIC SURFACTANTS
Cetrimide Cream/Solution.
Cetavlon Conc./Tinc. (I.C.I.)
Cetaviek Cream.
Sevlon Antiseptic Solution/Cream (I.C.I.)

11. MISCELANEOUS
Listarine Antiseptic Solution.
Klofen Liquid.
K. Liquid.
Liso Liquid.
Tetmosol Solution.
Feirgenol Antiseptic.
Fluid Cream.

and the products (disinfectants / antiseptics) marketed by different manufacturers containing above chemicals / drugs or preparations made out of them unless specifically exempted, i.e., made admissible.

241

110

SCHEDULE—III

LIST OF EXPENSIVE DRUGS, TONICS, LAXATIVES OR OTHER ELEGANT AND PROPRIETARY PREPARATIONS

A

Abdevit/Drops,
Aci-Enzyme/Capsules,
Aqua Ptychotis Conc./Liquid,
Afrosyllia/Syrup,
Adoon's Compound (Red)/Liquid,
Adex/Ointment,
Adivite/Capsules,
Adrenl/Tablets,
Agar-Co./Tablets,
Agis Atomizer,
Agis Mixture,
Ab in Ointment,
Acidol Pepsin/Tablets,
Acidol Pepsin/Tablets,
Altrix Elixir,
Alvite/Forte/Capsules,
Amadrop,
Amino B Zyme/Liquid,
Aminoplex/Liquid,
Aminoxyl Elixir,
Amman,
Azakem Drops,
Angur Sala/Liquid,
Aknepak/Lotion/Cream,
Albo-Sang/Tablets and Powder,
Alka Oil,
Allomalt Liquid,
Almarvit/Drops/Liquid
Alopex/Drops/Liquid
Alopex/Lotion/Ointment,
Anti Bactrin,
Abdec Kapseals,
Abdevit with Lysine/Drops,
Aciminos/Elixir,
Acromalt/Liquid,
Adocoles with Methyl Salicylate Ointment,
Addyson/Tablets,
Adical-12/Liquid,
Admalt/Liquid,
Advit Drops Forte/Liquid,
Agarol/Emulsion,
Agre Antacid/Tablets/Granules,
Abtari/Liquid,
Alsera/Tablets,
Alozyme/Tablets,
Al-vi-tone/Drops,
Amagol/Liquid,
Aminoon,
Amino-Protein/Liquid,
Aminozyme/Liquid,
Amygla Tablets,
Andre-Vit. Drops,
Anise Water Conc./Liquid,
Aknepas Cleanser,
Alephos Elixir,
Aletris Cordial/Liquid,
Allerin Tablets,
Allozyme Liquid,
Aloes Compund Tablets,
Al-Prom/Compound/Liquid,
Antifug Liquid,
Abdec Drops,
Abecod Drops,
Acivules/Capsules,
Acrovitagen Capsules/Drops/Liquid
Adsoo's Compound, (Yellow)/Liquid
Adiplon-12/Drops,
Adminol/Syrup,
Advitamin Massage Oil,
Agarol M Liquid,
Agre Tonicum/Liquid,
Abedin with Lysine/Drops,
Acidin with Belladonna/Powder/Tablets,
Alvite/Tablets/Drops,
Alvizyme/Tablets,
Amar-Dant-Manjan Powder,
Aminodex/Liquid,
Aminovin Tonic/Liquid,
Amiron/Liquid,
Anacin Tablets,
Angers Emulsion,
Anodex Ointment,
Alkasu Oil,
Aletri-Ashoka Liquid,
Aletrol Uterine Tonic/Liquid,
Almaron Syrup,
Alok Gripe Syrup,
Anol Ointment,
Antiflu/Tablets,
Anthical Lotion,
Apsolin Elixir,
Arjin Tablets,
Ascamid Liquid,
Ashoka Compound Liquid,
Ashokarin Tablets,
Asmaco Liquid,
Asmocide/Liquid,
Ashokachem Elixir,
Ashokavin/Liquid/Tablets,
Asthmovil/Liquid,
Asthma Reliever/Liquid,
Ataovin/Syrup/Drops/Capsules,
Ayapon/Tablets,
Anmol/Liquid,
Antipyretic Liquid,
Agrotone Nasal Drops,
Arjunin Tablets,
Astar Tablets,
Ashoka Cordial Liquid,
Asnaveria/Liquid,
Asmapion/Tablets,
Asmolone/Syrup/Tablets,
Asokvin/with Hormones/Liquid/Tablets,
Asvan/Elixir,
Auratinum/Tablets,
Ayasol/Oral Ampules,
Azmonal/Liquid,
Asrol Antiseptic/Liquid,
Arguzal Syrup,
Arshonyt Mild/Forte Tablets/Ointment,
Ashok Cordial with Harmones & Vits./Liquid,
Asmin/Tablets/Liquid,
Asmorol/Elixir,
Asoka Cordial/Liquid,
Asok-ovarian/Liquid,
Asthama Relief/Powder,
Ataolysin/Drops,
Aurisol/Drops,
Auszyme/Liquid,
Azmalone/Liquid,

B

Baby Tone Liquid
Banalosa Powder,
Ban's Cough Syrup
Basilon Forte Tabs./Caps./Liquid, (Squibb),
B.C.F. Ideena/Ointment,
Becadex/Forte Syrup/Drops/Tabs/Capsules,
B. Complex with Lysine/Elixir,
Benylin/Cough Lozenges,
Benzynol/Alcoholic Liquid,
Becolysine 12/Capsules,
Belvizyme/Liquid,
Belcordial/Liquid,
Bealcozyme/Tablets/Syrup,
Beacozin (Vit.B-Complex) Elixir
Bi. H Pills,
Bi-Alkazyne Powder,
B.I. Cholelaphage Solution,
Balvotrin Liquid,
Balamrit Liquid,
Becodin Syrup,
Banglhil Tablets,
Bardase/Liquid/Tablets,
Barymalt/Liquid,
B-C.F. Compound/Liquid,
B.C.F. Stomach Cure/Liquid,
Becadexamin/Capsules/Liquid,
Becap C Tab/Caps./Liquid (Kemp)
Bepanthen Lozenges,
Benzocin Lozenge,
Bestol Liquid,
Becasules/Capsules/Syrup,
Belmozyme/Liquid,
Benedict's/Solution,
Bestrenol Syrup,
Bevitaco Forte Elixir,
B.G. Phos/Elixir,
B.G. Plex Liquid,
Bi-Aluminil/Suspension,
Bico (Infant Syrup)
Biengadine Elixir,
Babynol Liquid,
Balshaolerka Liquid,
Banovit Tablets,
B. Ascorvic Tablets,
Bayer's Tonic/Liquid,
B.C.F. Gripe Water,
B-Colax/Tablets,
Becamin/Tablets,
Becolysine 12 C/Capsules,
Beniplex/Forte/Capsules/Syrup,
Benzomones/Injection,
Becofral/Elixir,
Bekovite/Caps,
Belviplex/Liquid,
Benelix Drops,
Betaplexin Forte Tablets,
B.G. Min/Elixir,
B.H. Elixir,
Bi-Agar Oil/Liquid,
B.I. Chol/Tablets,
Bico. Cordial Liquid,
Bi-Colaxs Tablets,
Bicoliphos Compound/Liquid,
Bicomin Drops,
Bidical 12/Syrup,
Bidiseal with Iron Tablets,
B.I. Diazase/Liquid,
B.I. Dysenteryphage Solution,
B.I. Elixir,
B-Complex/Elixir,
B.I. Glyceropepsin Liquid,
B. Interstiophage Solution,
Biligen Liquid,
Bilolax Tablets,
Bi-Mag Paste/Paste,
Bi-Milk of Magnesia/Suspension,
Biodex M.S. Ointment,
Biodyne Liquid,
Biofol Iron Syrup,
Biofol-12/Elixir,
Biogum Paint Liquid,
Biogripe Liquid,
Biomin Syrup,
Biomin with Vitamin B-12 Syrup,
Biosal Gripe Mixture,
Biovitone Compound Liquid/Drops,
Bipad Bandho Liquid,
Bipivite Forte Drops,
Bipivalex Capsules,
Biron Tablets,
Biron-D-Cal/Tablets,
Biron-D-with Liver Liquid,
Bisacyl Liquid,
Bishahari Liquid,
Bis-O-Pep Liquid,
Bis-Papin Liquid,
Bisrepsa Syrup,
Bm Pastilles Tablets,
Bi-Transfusion and Infusion Set,
Bitter-Pills/Tablets,
Bi-Typhoidphage Solution,
Bivinal Tablets Elixir Caps
Bi-Vita-B Syrup,
Bivir-Phos Liquid,
Blood-Vigour Liquid,
Blood-Vins Liquid
B & M Pills/Pills,
B-Neurophos Elixir,
Boldine Tablets,
Bonnisan Liquid,
Boot Urine Test,
Borofax Ointment,
Boroline Cream,
Bowlax Tablets,
B.P. Vit. Liquid,
Braboridine Tablets,
Brahmi Triphala Tail/Oil,
Branervine Liquid,
Brancmalt Liquid,
Brenosan Liquid,
Bromalin Elixir,
Bromeral Liquid,
Bromorone Liquid,
Bromotone Mixture,
Bronchosol Elixir,
Browako Elixir,
Brevalarian Liquid,
Bromoin Compound/Liquid,
B-Tex Pain Balm,
Burn Cure Ointment,
Burn-O-Rub,
Burn Rub Ointment,
Bursol Ointment,
B. Vitol Elixir,
Beldrops Drops,
Brewen Bronchial Mixture/Liquid,

249

C

Cadilagripe Liquid
Cadimalt Liquid.
Caladol Ointment
Caladryl Cream/Lotion
Calamine Lotion
Calamine with Silicon Lotion.
Calamix Syrup.
Calci K Tablets.
Calci Lysine Elixir.
Calcimol/Syrup/Tablets.
Calcimol with Iron and B-12 Syrup.
Calcibbos-12 Liquid.
Calci-Rorm-K Tablets.
Calcipen-Ad-17 Syrup.
Calcitone Liquid.
Calcium CD Ings Tablets/Syrup.
Calcium-D Redoxon Tablets.
Calcium Sandoz Syrup.
Calcium Vit. C & D with
B-12 Tablets
Calcium Sandoz with Vit.
C & D Tablets.
Calculex-O Pills.
Calcury Tablets.
Calcurosin/Capsules/Syrup.
Caldic Calcium with Vit.
C & D Tablets.
Caldicin Lozenges.
Caldvir Liquid.
Caldvine Liquid.
Cal-D-Rubra Liquid.
Calferrum Liquid.
Calima Balsamic Syrup.
Calron Liquid.
Calvimag Syrup.
Calviria/Liquid/Tablets.
Calviron Libuic.
Calvision
Comperferron/Capsules/Syrup.
Cantilyn Liquid.
Capsovit Capsules.
Capync Plain Compound/Tablets
Carbiadon Mild Tablets.
Carbindon Strong Tablets.
Carbo Citra Powder
Carbopeamin Tablets.

Cardasol Liquid.
Cardonsol Liquid.
Cardiosed Tablets/Mild/Strong
Cardiotone
Cadmon-Co. Liquid.
Carica Diazl Liquid.
Carisoma Compound Tablets.
Carmicide Strong Syrup/Liquid.
Carminex Liquid.
Carmino Liquid.
Carminar Liquid.
Carmish Tablets.
Carmozyme Liquid.
Cartitone Tablets.
Casilan Powder.
Casilon B-12 Powder.
Castroline Laxative Tablets.
Catalin Tablets.
Caynal Liquid
C.B. Tina Tablet/Caps./Liquid.
(Cal. Chem.).
Certina Tablets.
Ceravion Concentrate(Liquid)/
Tincture.
Chaulmoogra Ointment.
Chava Prash with Ashtavarg
Chemagar Liquid.
Chem-Digestion Syrup.
Chem-Digestion Forte.
Chem Jeger Syrup.
Chem-B Phos Elixir.
Chemtone-B 12 Elixir.
Chemo-Malt/Liquid.
Cherana Cough Drops.
Chesol Liquid.
Chestone Syrup.
Chewces Tablets.
Chicken Essence Oral/Liquid.
Chinium-Co. Tablets.
Cholinaples Syrup.
Cibex Forte with Diastase Tab/
Liquid (Lupin Laboratories).
Cinpa Tablets.
Cipulex Capsules.
Clearsil Cream.
Clemenzol Liquid.
Cobadex Forte Tab/Caps/Liquid
(Glaxo).

Cocolax Tablets.
Codinga Tablets.
Codylex Lozenges.
Colax Tablets.
Colibil-S/Liquid.
Collignol Liquid.
Col-Cal-D-B 12 Liquid
Colysin Liquid
Combiex/Plain/Forte/Liquid.
Combitone Elixir.
Combitone SF/Elixir.
Combizyme Dragee.
Complan Powder.
Complan Banana Flavour Powder
Compliey... Liquid.
Compound Effervescent Powder.
Compound Essence of Peppermint
Liquid.
Complex/Pills.
Coopper's B-Complex Syrup.
Cooper's Cough Tablets.
Cooper's Cough Syrup.
Cord Powder.
Cardial-Alertro Ashoka Liquid.
Corel Syrup/Lozenges.
Cornac Liquid.
Corn and Wart Remover Liquid
Cosplan Syrup.
Cremaffin Pink Liquid.
Croyfer Syrup.
Croyvit Drops.
Crulivex Liquid.
Crunivill, Syrup.
Curill Tablets.
Cutfar Ointment.
Cuticura Ointment
Cuticura Talcum Powder
Cyclovarin Syrup.
Cyphonids Lozenges.
Cystex.
Cystolysine Liquid.
Cystone Tablets.

D

Dab Dama Liquid.
Dabur Aqua Ptychotis Liquid.
Dabur Balm Ointment.

112

Dabur Chlorodyne Liquid.
Dabur Fluohydric Solution
Dabur Gripe Mixture.
Dabur Influenza Tablets.
Dabur Indsed Sarsa Liquid
Dabur Malaria Tablets.
Dabur Mercuricolase Paint.
Dabur Mritsanjivani Liquid.
Dabur Sarigus Oil.
Dabur Pyorrhoea Remedy Liquid.
Dacenol Liquid
Dadrugajnas Ointment.
Damagal Dragees.
Dangiar Tablets.
Danfant Liquid.
Dardina Liquid
Darkap Liquid.
Darurin Liquid.
D.Caron Tablets.
Decab/Syrup/Drops.
Decab Sanforte Syrup.
Decaferon Liquid.
Decaplex Forte/Capsules/Liquid.
Decil Tablets.
Degpan Tablets.
Deleron Liquid.
Delfen Contraceptive Cream.
Deltahemin Liquid.
Deltavite-H Liquid.
Demazyme Liquid.
Demulin Tablets.
Dentamem.
Dentex Drops.
Dentin Paint.
Dent Kure Liquid.
Dentol Paint.
Dentol Drops.
Deanone Liquid.
Denyl Liquid.
Dequadin Lozenges.
Deschiens Syrup.
Desentrall Tablets.
Desmal Tablets.
Dettol Antiseptic Liquid/Cream.
Devtal Drops.
Dextropil-D-Powder.
Dextrose Powder.
Detralin Mouth Wash.

Deschiens's Syrup of Haemoglobin/
Syrup.
Diadyn Liquid.
Dia-Pepco Liquid.
Diapepsin Liquid.
Diaphores/Plain/Forte/Liquid.
Diapsol Liquid.
Diarex Tablets.
Diastase Liquid.
Diastin Liquid.
Diasson/Liquid
Diasyn Tablets.
Diazor Syrup.
Diayzym Powder.
Dicaloplex Elixir.
Diagrenzymes Elixir.
Digeplex Liquid.
Digiend Tablets.
Digest Elixer
Digestive Syrup.
Digestone Liquid.
Digestopan Tablets/Syrup.
Digevit Elixir.
Digex/Tablets/Powder.
Diocol Liquid.
Dipavite Capsules.
Dipep Tablets.
Diplozyme Tablets.
Dispepsal Dragees.
Dispeptase Liquid.
Ditaquin Super Liquid.
Dizytone Syrup.
Drakshasava Liquid.
Dropovit Drops
Drycoryl Liquid.
Durol Liquid.
Dysentery Capsules.
Dysentrolin Liquid.

E

Eastern Cough Cure/Liquid.
Eastern Stomach Cure Liquid.
Eastobispepsol Liquid.
Eastogadin Liquid.
Eastovit Liquid.
Edarin Syrup.
Edinal Capsules.

Eglovite Tablets.
Elacoal Tablets.
Elbizyme/Capsules/Liquid.
Ele.B/Cap./Syrup.
Eldec Kaperals.
Electrolytic Chlorine Liquid.
Elixir Digevit Liquid.
Elixir Neozyme.
Elixir Neurobin
Elliman's Embrocation Liquid.
Elovit/Drops/Syrup.
Elpha Tablets.
Elphin/Pain Balm.
Eltroxil-18/Liquid/Capsules.
Emerplex/Elixir.
Emo Cordial Liquid.
Emoform Medicated/Tooth Past
Energon Liquid
Enervit/Tablets/Drops.
Engran Tablets.
Eno's Fruit Salt.
Enterodarin/Tablets.
Entrops/Oil.
Enzro/Vitazyme Tablets.
Entrozyvit Tablets.
Enzovit Tablets.
Enzymex/Tablets/Syrup.
Enzytab Tablets.
Enzyvit Liquid.
Ephomag/Elixir/Tablets/Syrup.
Ergadol Capsules.
Ergamin Capsules.
Ergopex Capsules.
Ergoquin Capsules.
Eromalt Liquid.
Eruprotein Powder.
Erythrotone/Capsules/Liquid/Syr
Essence of Chicken/Oral/Liquid.
Estenzyme Tablets.
Estypan/Syrup/Drops.
Estyzyme Liquid.
Eucalyptus Oil.
Eutonal Tablets.
Eu-enzyme Tablets.
Eugadine/Elixir.
Eugadine with Lysine Elixir.
Eumalt Liquid.
Eunova Tonic Liquid.

250

Evofos/Forte/Syrup/Liquid,
Ever Cord ial/Liquid,
Eye Sola/Eye Lotion,

F

Fairgenol Antiseptic Fluid,
Fair Genol Hospital Strength,
Farex Powder,
F. C. Tone/Liquid,
Feh ling's Soln-A,
Feh ling's Soln-B,
Feleamal Liquid,
Femaline Liquid
F ... Capsules,
Femina/Asboka Cordial/Liquid,
Femiplan/Pills,
Femocordial/Liquid,
Fenolas/Tablets,
Ferakem/Liquid,
Ferna Tablets,
Ferical Syrup
Ferilex Liquid,
Ferilex Malt/Liquid,
Ferilivine Liquid,
Ferindomin Tablets,
Ferlivone Liquid,
Ferletron-T/Tablets,
Fermine Liquid,
Fero-B-Liver/Syrup,
Fero-B-Cal/Tablets/Syrup,
Ferodex/Liquid,
Ferolectron Liquid,
Ferradol Liquid,
Ferratone/Forte/Liquid,
Ferreton Liquid,
Ferroson Liquid,
Ferro-Vitol Liquid,
Ferro-Wisonines Syrup,
Fetex Paste,
Fever Capsules,
Filbun Capsules,
Flamn Tablets,
Folifer-12/Tablets,
Foliplex/Liquid/Capsules,
Bifiplon-12 Liquid,
Formode,
Fortage/Tablets,

Fructogen Liquid,
Fruitlax/Mild/Forte/Jelly,
Furvitone Tablets,

G

Gagorlone/Liquid/Plain Compound,
Galakol/Tablets,
Gamophone Soap,
Garga Phos Liquid,
Garg Asmodin/Liquid,
Garg Ashoka Cordial Liquid,
Garg Calciton Liquid,
Garg/Ferol Liquid,
Garg Gripe Water,
Garg Kalolin Liquid,
Garg-Liverin Liquid,
Garg Multimin Capsules,
Garlill Pills,
Gasex Tablets,
Gaskil Tablets,
G ... lix Pills
Gastral Liquid,
Gastrex Tablets,
Gastrol Powder,
Gastrozime Tablets,
Gastrozime Liquid,
Gelco Sponge/Sponge,
Gerivit Capsules,
Geriatone/Capsules/Tablets,
Geriadrine Tablets,
Geriatric Jadon/Tablets,
Germex/Ointment,
Germakuller Ointment,
Gerobion/Tablets,
Gronyl Tablets,
Getsit Liquid,
Gevral Capsules,
Gharin Ointment,
Gipizyme Tablets,
Girko Asokarin Cordial Liquid,
Girko Balamrita Liquid,
Girko Bromvel Liquid,
Griko Dantsudha Drops,
Griko Ferripent Liquid,
Girko Kanthol Liquid,
Girko Karnol Drops,
Girko Reddol Liquid,
Givit/Syrup/Tablets/Capsules

Glamour Shampoo,
Glaxo-Dried Milk,
Glaxose-D/Powder,
Glucoferrol Liquid,
Gluconate Syrup,
Glucose-D/Powder/Tablets,
Glucozyme Liquid,
Glusymin Liquid,
Glutaplex Elixir,
Glytaphos Tablets/Capsules,
Gluzim/Liquid,
Glycoro-Thymo/Mouth Wash,
Glyceo-Thymol Compound/Liquid
Glycinin/Syrup
Glycodin Lozenges,
Gypeep/Liquid,
Glysivit/Liquid,
Goitre Cure/Liquid
Golden Ear Drops,
Golden Terp Vaska/Syrup,
Grand-Co-Tablets,
Green Punarnawa/Liquid,
Gripease/Liquid,
Gripal/Liquid,
Gripena/Gripe Mixture all Companies)
Gripe Water (all Companies)
Gripina/Liquid
Gripo/Liquid
Gripa Gripe Water/Liquid,
Griptone/Elixir,
Grymis/Liquid,
Grypenil/Liquid,
Gudhal/Tablets,
Gul Vasak/Liquid
Gumtone/Powder,
Gynaecolin/Liquid,
Gynedol, Syrup,
Gynosedan/Liquid,
Gyniol, Syrup
Gynipen/Syrup,
Gynocol/Liquid,
Gynotone Liquid

H

Haematica Palatol Liquid,
Haematinic Liver/Capsules,
Haemivita/Tablets,

Haemogen/Syrup
Haemolin Liquid
Haemoplon/Capsules
Haemotil/Tablets
Haemotone/Syrup
Haemo-Quinone/Liquid
Haliborange/Syrup
Halibut Orange/Syrup
Halical/Liquid
Hazeline Beauty Talc
Hazeline 2 Way Cold Cream
Hazeline Snow
Healex/Powder
Healex/Tablets
Healex/Ointment
Healo-Brom/Tablets
Healo-Cordial/Liquid
Healogenic/Tablets
Healopectin/Plain/Forte/Suspension
He alophos/Elixir
Healozyme Super Forte/Elixir
Heart Soothie/Liquid
Henna/Powder
Hemasio Hepaine Liquid
Hematone Capsules
Hematrine Capsules/Liquid
Hemiphos Elixir
Hema Asoka Liquid
Hemo-B-Phos Liquid
Hemobin with Liver Ext. Liquid
Hemochromin/Capsules
Hemo-Drakes/Malt/Liquid
Hemoferin/Liquid
Hemoferin with Liver Ext./Liquid
Hemotolhia Liquid
Hemogenic Compound/Liquid
Hemolivit/Tablets/Elixir
Hemoparol Liquid
Hemoplex Tablets
Hemo-Quinone/Liquid
Hemoran/Liquid
Hemovine Liquid
Hemsudha KDH Liquid
Henry's Omum Carpoor
Hepa-70 Tablets/Drops/Syrup
Hepabin Liquid
Hepachol Liquid
Hepafoline Liquid
Hepanate Liquid

Hepargen with Methionine & Choline Liquid
Heparinee Liquid
Hepason Liquid
Hepasules Capsules
Hepatina Syrup/Ferrous/Syrup
Hepatex Liquid
Hepatone Liquid
Hepnuna Capsules
Hepatoglobin Syrup
Hepaviron Liquid
Hepavitron Liquid
Hepazol Cordial Liquid
Hepoferrum Capsules/Liquid
Hepovite Granules
Heprosa Syrup
Heptamin Elixir
Hepamil Oral Liquid
Herbal Bitters Tablets
Herboles Mild/Strong Tablets
Hero-Sulpha Tablets
Herbotone Liquid
Hartzolen/Liquid
Heviamlin with B-12 Liquid
Hevimin Co. with Folic Acid Liquid
Hexabrom Elixir
Hexaplex Tablets
Hexaron Syrup
Hexavit Tablets
HI-B-Phos Liquid
Hill's Cough Syrup
Hill's Glycerine Liquid
Hill's Gripe Water
Hill's Liniment
Hill's Pain Balm
Hill's Throat Paint
Hemcolin Ointment
Himrod's Powder
H-Nutron Oral/Liquid
Horlicks/Powder
Hormo/Gerobion/Tablets
Hormopirin/Tablets
Hornby's Tablets
Hormotone-Mild/Forte/Tablets/Liquid
Hovite/Syrup/Tablets/Drops
Hydary Skin Cure/Liquid,
Hydrogen Peroxide/Solution
Hydropron/Liquid.

Hydroprotein Liquid
Hypocal Syrup
Hypotone Liquid

I

I.C.C. Elixir
Incremin/Drops/Syrup,
Incremin with Iron/Syrup,
Incretone Elixir,
Ind-Compound/Liquid
Indocolates/Capsules
Indo Beer/Liquid
Indocordial/Liquid,
Indo Malt/Liquid,
Indoplex/Liquid,
Indozyme/Liquid
Infant Carminal Tablets
Infladin/Liquid,
Jogazyme Tablets/Syrup
Innozyme Tablets
Iodex Ointment
Iodex with Methylsalicylate Ointment
Iodized Sarsaparilla/Liquid
Iodized Sarsaparilla with Mercury and Arsenic/Liquid,
Iodized Sarsa Liquid
Iodogel Compound Powder
Ioquin Tablets
IPCA Malt/Liquid,
Ipamin Tablets
Ipcatone Syrup
Ipcavite Syrup Forte Capsules
Irio Glycerophosphate Elixir
Irivine/Liquid
Irievita Compound/Liquid
Iris-Vitaphos/Liquid
Irodex/Liquid
Iroplex/Liquid
Irophos/Liquid
Isobed Granules
I-SO-GEL (Gel.)
Isovin/Liquid,
Isol-3 Liquid,
Ivi-Malt/Liquid

J

Jagplan Tablets
Jagson Pain Balm.

113

251

Jaimar Jelly
Jakhmena Pink Ointment,
Jaylysin Syrup/Drops,
J.K. 22 Tablets
Jasmine/Liquid,
Jodol,
Julabin Tablets,
Julas Tablets,
Jurisap/Liquid,
Jyoti Bindu/Liquid
Jwarantika/Liquid

K

K. 3 Medicinal Hair Tonic,
Kafbin Syrup,
Kafonul/Liquid
Kafsol/Liquid
Kafu/Liquid
Kalmegh Compound/Liquid,
Kalmegh/Liquid, Comp.
Kalsana Tablets,
Kalsana Syrup,
Kampip/Liquid,
Karan Bindu/Liquid,
Karmitol/Liquid,
Karmative/Liquid,
Karpin lotion,
Karvol Inhaler Capsules
Kayzyme/Liquid,
Kemivit Capsules,
Kemplivite Capsules,
Kesi-Kalpin Oil,
Kepler Malt Extract with Shark Liver Oil,
Kepler Multi Vit. Capsules
Kesadrops Drops,
Kesa Malt/Liquid,
Kenazyme Syrup
Khandelilab Gripe Water,
Khajlina Pills/Oil,
Kilik/Liquid,
Kinetone Elixir,
K. Liquid,
Klofen Liquid,
K.M.P. Suspension
Kofloora Lozenges,
Kollyn Tablets
Kofol Pills,
Kof-Tone/Liquid,
Kolaria/Liquid,
Kolig Powder,
Kolrub Ointment,
Kosmobroad Syrup,
Kotephrol KDH Syrup,
Koterp-Vash KDH Syrup,
Koti Sebinol, Liquid,
Kota Jeevandhara Elixir,
Kozymidin, Liquid,
Kremina KDH Elixir,
Krimeehum Tablets,
Kriminash Tablets,
Krisal Tooth Paste,
Kruhen Salt Powder
Kufex KDH Syrup,
Kufhool Syrup,
Kuf Kuf/Liquid,
Kynoomine Tablets.

L

Lacteena/Liquid,
Lactigyn Oral Ampules,
Lacto Calamine Lotion,
Lactodex Powder,
Lactoferment/Tablets,
Lacto-Lysin/Syrup,
Lady's Cordial/Liquid,
Lal Shar/Balsamic,
La-Multivitamin/Tablets,
Lamgol (with Phenolphthalein) Suspension,
Lamia/Tablets,
Lanfish/Tablets
Laxative/Tablets,
Laxil/Tablets,
Laxin Don/Tablets,
Laxolax/Mild Forte/Tablets,
Laxolein/Tablets,
Laxomil/Tablets
Laxaphen/Tablets,
Lecipbose/Elixir,
Lee-Plex/Syrup
Lepaden/Tablets,
Leucocide/Tablets,
Leucogen/Pills,
Leucorrhin Nos. 1 & 2/Liquid,
Leuhora/Liquid,
Levina/Tablets,
Libetone Ferri/Liquid,
Libform/Liquid,
Libinal/Liquid,
Librophos/Liquid,
Lifalm/Liquid,
Li-mic Forte Liquid,
Limilal/Powder/Biscuits,
Limovita/Syrup,
Lipider/Caps,
Lipotrop/Syrup,
Liq. Mesorin
Liquitone/Liquid,
Liso/Liquid,
Listerine Antiseptic/Liquid,
Listerine Antiseptic Throat, Lozenges,
Little's Gripe Water,
Little's Inhaler,
Little's Oriental Balm,
Little's Tiger Brand Eucalyptus Oil
Liyalbrom/Syrup,
Livamin-6/Liquid,
Liver-Bel/Liquid,
Liverbin/Liquid,
Livergen/Tablets/Liquid/Syrup,
Livernut 12/Liquid,
Livernut Iron/Liquid,
Livernut/Capsules,
Liverone/Pills/Liquid,
Livex/Tablets/Syrup/Drops,
Livex Tablets,
Li-Vidrops-B/Drops,
Li-Vidrops-M/Drops,
Liviferrol/Liquid,
Li-Vicalt/Liquid,
Livirubra with Folic & B12/Liquid
Livitaron/Liquid,
Livitone/Liquid,
Liviton Forte/Liquid,
Livo-B Complex,
Livo-B Complex,
Livo-B Complex with B-12/Syrup
Livitaton/Liquid,
Livobin/Liquid,
Livo-B-Phos/Liquid
Livodex/Liquid,
Livoder/Capsules,
Livogen/Capsules/Liquid,

Livoglopil/Syrup,
Livomagen/Capsules,
Livomer with Ext. Folic Acid 12 Liquid
Livonines/Elixir,
Livomyn/Tablets/Drops/Syrup,
Livopep/Liquid,
Livopepsin/Liquid,
Livosin/Liquid,
Livosol/Liquid,
Livogrin/Liquid,
Livotone Liquid
Livotrit/Tablets, Liquid,
Livo stan/Liquid,
Livozyme 12 with Ext. Folic Acid/ Liquid,
Livrol/Elixir,
Livuin/Capsules,
Livalex, with Folic Acid and Vit. B-12/Capsules,
Loresone Antiseptic/Dusting Powder/Head Lotion,
Lucogy/Capsules,
Lukol/Tablets,
Lu nres/Mild/Forte/Tablets,
Lupifolin 12/Liquid,
Lupimalt/Liquid,
Lupivita/Drops/Liquid,
Lupizyme/Liquid,
Lycal-12/Syrup,
Lytonic/Liquid,
Lycotonic/Liquid,
Lycozyme/Liquid,
Lykamalt/Liquid,
Lypolex/Syrup,
Lysical/Liquid,
Lysidex/Syrup,
Lysimin/Drops/Elixir/Tablets/Syrup,
Lysin D-12/Drops,
Lysin 12/Drops,
Lysindon/B/Liquid,
Lysinex/Elixir,
Lysivit/Drops,
Lysovit/Syrup,
Lysol Special/Liquid,
Lysol/Liquid,
Lysovin/Liquid,
Lysovit/Tablets

M

Macnivit/Syrup,
Madica Brand Indigestion Powder
Madhu Prash,
Madhuran/Tablets/Drops,
Madhu Tab./Tablets,
Magaflie/Liquid,
Mag-mag,
Magnolax/Liquid,
Magnesolax/Liquid,
Magnine/Tablets,
Magnom Int. Liquid/Tablets,
Malaria Mixture,
Malodin/Liquid,
Malzeen/Liquid,
Maltinex/Liquid,
Maltodex/Powder,
Maltofer/Liquid,
Maltomin Liquid,
Maltoria/Liquid,
Malt and Vit. A Compound/Liquid
Malt Viron/Liquid,
Maltvisol/Liquid,
Manadol/Liquid/Tablets,
Manovit Tablets,
Mangal Balm,
Mangal Malam,
Manhar Gripe Water,
Manner's Gripe Mixture,
Manner's Health Salt/Liquid,
Manol/Jelly, Tablets,
Marlin Liquid,
Martin's Antiseptic Cream,
Martin's Balm,
Martin's Iodine Ointment,
Martin's Malt with Vit. A,
Martin's Prickly Heat Powder,
Martin's Liniment,
Marvita Liquid,
Maryo/Sulf Sulphonated Hair Shampoo,
Master Balm,
Maxamin/Forte/Capsules,
M.B. Des/Ointment,
Mecholin Liquid,
Mechositol/Liquid,
Mecolin Plain/Liquid,
Medicreme/Cream,
Medidrops/Drops,
Medilysin/Liquid,
Medimalt Liquid,
Mediphos/Liquid,
Medilab Tablets,
Medivit/Capsules,
Medizyme/Capsules,
Medicated Tooth Powder,
Medimalt/Liquid,
Mendaco,
Mendine/Ointment,
Mendo Asthe/Elixir,
Mendo/Diazine Liquid,
Mendo-Gastrin/Liquid,
Mendo Liver Liquid,
Mendo-Serine-Liquid,
Mendo-Valerian/Liquid
Mendo Vine/Liquid,
Menofol/Tablets,
Menogen/Liquid,
Mento-Rub/Balm,
Meroplex Forte/Tablets/Capsules
Merovita/Forte/Tabs./Syrup/Caps.
Meridol/Elixir,
Merilax/Tablets,
Meramalt/Tablets,
Meriphosmin/Elixir,
Mersina/Tablets,
Merizyme/Tablets,
Metadrop/Drops,
Metalin/Oral/Liquid,
Metatone/Liquid,
Metevine Compound/Liquid,
Methicol/Syrup,
Methicol Liquid,
Methidex/Ointment,
Methilod/Powder,
Methischol/Capsules/Syrup,
Methonine with Choline/Syrup,
Methiosol/Liquid,
Methiosol/Pediatric/Syrup,
Methylsalicylate/Ointment/Liniment
Metalin/Capsules,
Microfer/Liquid,
Milk Digest Tablets,
Milkan F.H./Ointment
Milkan Paste
Milkan Shark Liver Oil/Ointment
Milkan Sulphur Lotion,
Milkan Undecyl Cream,
Milk of Magnesia (manufactured by various companies) Liquid/ Suspension/Tablets.

114

252

Milkomag/Tablets/Liquid.
Milton Antibacterial Solution
Minadex/Syrup.
Minadin/Syrup
Minaferrol/with Vit 'E/Liquid.
Minaphos/Syrup.
Minavil/Capsules.
Minavilol Syrup.
Miniplex Drops.
Minolad/Syrup
Minotone Syrup/Liquid.
Mintab/Tablets.
Mint Cold & Pain Relief/Liquid
Mintex Mouth Wash
Minzass/Powder.
Miltavic/Capsules.
Miveta Tablets.
Miveta-G/Tabs.
Modex/Ointment.
Molivet Plain/Compound/Liquid
Monobevine/Syrup.
Morris Stomach Cure/Liquid.
Moricone/Liquid.
Mozan Liquid
Muol Toni/Liquid.
Muci Bari Granules.
Mukta Cordial Liquid.
Multibion/Drops/Syrup/Tablets
Multidec Liquid.
Multi Drops/Drops.
Multi Fol. 12-Forte/Liquid/Capsules
Multilysine Syrup.
Multimalt Liquid.
Multimin Drops.
Multondomin Tablets.
Multiplex Capsules
Multiplex-M Capsules
Multiseal Capsules
Multitonic Liquid.
Multiviler Drops.
Multivin Drops/Capsules
Multivit Drops
Multivitamin Tablets/Drops/Liquid/
Capsules/Syrup (of all companies)
Multivitamin with Lysine/Drops
Multivitamin Plex Forte Capsules
Multivitamin H/Tablets
Multivitaplex Forte Elixir/Tablets/
Drops/Capsules
Multivite Pellets Drops/Tablets
Multivitonic Syrup
Multizyme Liquid
Mum Deodorant Cream
Myadec Capsules.
Myrol Tablets.
Myoberrys Compound Liquid.
Myron Tablets.
Myvit Syrup

N

Nanika Amoti Ointment/Oil
Naphamalt Syrup.
Nashabil Drops
Nardyl Tablets
Nasesol Nasal Drops.
Narvinol Liquid
Natlex Elixir/Tablets
Nasi-B-Fol. Syrup
Navicad Tablets/Syrup.
Naviglobin Syrup
Navisminol Drops/Syrup
Navinoles Capsules
Navinol Malt Compound
Navazol Tablets.
Necophos Liquid.
Nectaine Tablets
Nectarine Oil
Nectarine Pearls
Nectarine Pearls with Vitamins &
Harmons Tablets
Ned Tablets.
Neeo Soap.
Nembolin Tablets.
Neo/Tablets.
Neo-Calcin Elixir.
Neo-Cardial Liquid/Injection.
Neo-Fevilex Capsules/Liquid
Neofortindon Tablets
Negastrozyme Liquid
Neogadine Elixir
Neogadine Sulphoguiacolated Liquid
Neo-Gynergen Tablets
Neo-Hematina Syrup
Neo-Kim Syrup.
Neo-Protein (Powder/Liquid).
Neovitacaps Forte /Capsules
Neovinas Capsules
Neozyme Tablets
Nervo-Plex Injection.
Netra Gulab Liquid
Neurolecithin Syrup
Neuro-Phosphate Liquid.
Neuronon-12 Liquid
Neurolene Liquid
Nevon Tablets.
Nevrostamine-4 'A'—'C' Tablets/
Granules.
Newcordial Liquid
New Endavite Tablets
Nips Cough Drops.
Nikitone Powder
Nixoderm Ointment.
Nokuff Codeine & Ephedrine Syrup/
Liquid.
Nopain Liquid
Nopain Balm.
Normovit Syrup.
Nourman Capsules.
Novozyme Tablets/Liquid
Nussoka Liquid.
Nucitron Liquid
Nunol Liquid.
Nucompound Liquid.
Nuferon Liquid
Nuhem Liquid.
Numoovits Drops/Capsules.
Numin Liquid.
Numin Forte Liquid
Nutrifil Liquid.
Nutrimal Tablets/Syrup
Nutri Malt
Nutriplex Elixir
Nutriplex Forte Syrup/Capsules
Nutriplan Liquid.
Nutrisan Capsules
Nutrolin B Capsules.
Nutrolin 'B' Tablets-Caps.
(Cipla Chemo Pharma)
Nutrolysate Liquid
Nutrosone Oral Liquid.
Nutrozyme Capsules.
Nycil Powder

O

Obesyl,
Ojas Tablets, Liquid

Okasa Tablets (Silver-Gold)
Okey Pills No. XXX.
O.K. Malt Liquid.
Olivine Massage Oil
Oloqyn Oil.
Omifical F Suspension
Omni Liquid.
Omca Dey (Capsules).
Opical XII-Syrup.
Opical D Tablets.
Opidex Ointment.
Opilax Tablets.
Opil Gripe Mixture.
Opil Pain Balm.
Opimalt Liquid.
Opivitol Tablets.
Opizyme Syrup.
Opilets Filmtab.
Orheptal Liquid.
Orivite Forte/Drops/Syrup/Capsules
Orzyme Liquid.
Orliver/Capsules/Liquid
Ortho Appetizer.
Oraclyn Tablets.
Osiervit Liquid.
Osmopan Tablets.
Ostermilk Dried Milk.
Ostomalt Liquid.
Ovims Liquid.
Ovonerin Liquid.
Ovolutolin Liquid.

P

Pabaplex Liquid.
Pachan Sudha Powder
Painaprin Tablets.
Pain Balm Ointment.
Pain Destroyer Liquid.
Painex /Tablets.
Paincure Ointment.
Painnex Liquid.
Paladac Liquid.
Palamin Pain Drops.
Palamin Compound Liquid.
Pallrywyn Forte Tablets.
Polyenin Liquid/Drops.
Pamaotal Ointment.
Panacordim Elixir
Panacod Liquid.
Panacordial Liquid.
Panaferon Liquid.
Panamin Liquid.
Panazyme Liquid.
Panamines Liquid.
Panadex Ointment.
Panaplex Forte Liquid.
Panavine Liquid.
Panoplex B.12 Elixir.
Panovin Compound Pain/with
Guaicol & Creosote/Liquid/Elixir.
Pantene Vitamin Hair Tonic.
Panvit Drops/Tablets.
Panzymoin Dragees.
Papu Cough and Throat Capsules/
Tablets.
Papu Gripe Water.
Papu Inhaler.
Paplax Tablets.
Papu Ointment.
Papu Pain Balm/Balm.
Papyia Forte/Liquid/Tablets.
Paragol/Emulsion.
Paralytol Liquid.
Pasuma Strong/Tablets Inj.
Pavitin Elixir.
Pacivit Tablets.
Pediatrin/Elixir/Drops.
Pedilax/Mild/Liquid.
Pediplon Drops.
Pedivit Drops.
Ped ivit M.Capsules.
Pedris Syrup.
Pekavit Forte Capsules.
Pencillin Lozenges.
Penorub with M.S. Ointment.
Penotrane Dusting Powder.
Penotrane Pessaries/Tablet.
Penotrane Tincture/Liquid.
Penovan Liquid.
Penzime Tablets.
Peomalt Liquid.
Pepadiastase Liquid.
Pepco Elixir.
Pepco with Morphine Elixir.
Pep Diastase Liquid.
Pepliver Liquid.
Pepol Tablets
Pepol Digestive Compound.
Pepsinozyme Liquid
Pepsiplex Tablets.
Pepsamirin Tablets.
Pepsomirin Liquid
Pepsol Liquid.
Pericalvit Suspension.
Pericordial Syrup.
Peritex Syrup.
Perilex with Enzymes/Syrup/
Capsules.
Periwite Drops.
Perlivite Capsules.
Perferon Syrup.
Pernavit/Dragees/Syrup.
Pesulin/Suspension.
Pesulin-O Suspension.
Petrolagar Forte Plain Suspension
Phenocalcine Tablets.
Philips Milk of Magnesia/Tablets
Liquid.
PHL/Powder.
Phospho B-1/Tablets.
Phosphokem Liquid.
Phospholecithin Liquid.
Phosfomin Liquid.
Phosfomin Cumron Liquid.
Phosphoton/Oral Liquid
Phosphovitamin Liquid
Picipiex Elixir.
Picovit/Drops/Elixir.
Piles Ointment Tablets.
Pinaso/Pills.
Pinotab/Tablets.
Piparid/Tablets.
Pipex/Tablets.
Piya Mult.Vit./Tablets.
Plamtab/Ovules.
Plasmin Tablets.
Plasules/Liv/Cap.Folic/Capsules
B-12/ Capsules/Elixir.
Plebex Elixir.
Plex Liquid.
Polasta Poultice.
Polivole Liquid.
Poly-B Complex B-12 Syrup.
Poly-B Complex/Liquid/Tablets
Syrup.

115

253

Poly-B Complex with Vit. C/Liquid
Syrup/Tablets.
Polybia/Drops/Syrup.
Polyvitamin Tablets.
Polyvite/Tablets.
Polyvit-B/Drops.
Polyvit/Drops/Syrup/Tablets,
Poly-H/Capsules.
Polyvitamin/Drops/Tablets/Syrup
(all Companies).
Polyvitamin Prophylactic Tablets.
Polyvitamin Therapeutic Tablets
Polyvit-Calcium Syrup/Tablets.
Polyvit Hepar Liquid,
Polyvit-Hepar with Folic Acid
and B-12 Liquid,
Polyvitin-M Tablets.
Posex/Forte/Pills.
Potenza/Pills
Power Pill, Pills
Pramilent Tablets.
Preception/Contraceptive, Gel.
Pregnilon/Tablets
Prenatal/Capsules
Presma Capsules
Prickly Heat Powder
Primobrom Liquid,
Primsod/Liquid
Prinlapect Forte/Liquid,
P.rosphos/Liquid.
Primoplex/Liquid.
Primovit/Drops,
Primazyme/Liquid.
Procasenol/Granules.
Prolifex/Syrup/Tablets.
Prolypo/Liquid.
Promolan/Powder.
Protein Hydrolysate/Liquid.
Prozen-12/Powder
Proteins Powder.
Provimino/Liquid
Protenex/Powder
Protinex Powder,
Protoncyan Liquid.
Protinules/Powder
Protoxantin/Liquid,
Protodel/Liquid
Prosogan/Powder,
Protolysate Forte/Liquid,
Protone/Liquid,
Protovit/Drops/Tablets.
Protovine/Liquid,
Prosozyme/Liquid.

Provisa/Powder.
Provitex/Powder.
Pichoda/Tablets.
Pechosoda/Tablets.
Ptycho Soda Co./Tablets.
Ptychozyme/Elixir.
Pudin Hara/Liquid,
Pulmocod Plain with Creosote &
Guaiacol/Liquid.
Pulmox/Liquid,
Pulmotone Plain/Liquid.
Pulmotone with Codeine/Liquid
Pulmovit/Liquid,
Puly Boskolo/Powder.
Pumler Tablets.
Purilia Liquid
Purity Indian Barley.
Pushcal-12/Syrup.
Pushgynol/Liquid.
Pushron/Syrup/Drops,
Pustin/Powder.
Pushtina Tablets,
Pushvit Syrup.
Pushvit with Lysine/Drops.
Pushyme Syrup.
Pyorin Liquid,
Pyorina Powder.
Pyorin Special Liquid.
Pyrex Liquid.
Pyrohaemin Liquid.

Q

Qinodex Liquid.
Qian Tablets.
Queen's Balm.
Queen's Balamrit-Liquid.
Queen's Cough Syrup.
Queen's Gripe Water.
Quino-Haemogen Syrup.
Quinolivon Liquid.
Quino Plasmoc Strong/Liquid.
Quinocol Liquid.
Quinotone Liquid.
Quino Cream.

R

R. Compound Tablets.

Rakto Phosphate Malt Liquid.
Ralgerone Dragees,
Ralvitamin Dragees.
Ramdev Iodine Methyl-Ointment
Ramban Ague Mixture
Ramban Amrit Mixture
Ramban Balamrit Liquid
Ramban Liniment.
Ramban Milk of Magnesia/Liquid
Ramban Pain Balm
Ramban Peppermint Co./Liquid,
Ramban Ringworm-Lotion
Ramban Sk in Ointment.
Ramban Toothache Drops,
Ramban Pain Killer/Liquid/Drops,
Ointment/Lotion.
Ramban Gripe Mixture Liquid.
Ramban's Gynomin Liquid
Ranbitron-12/Elixir.
Ranvit/Elixir/Capsules.
Ranvitol Syrup/Capsules
Raptakos Powder.
Rarical Suspension Tablets.
Raygent Powder.
R. B. Glue/Capsules.
R. S. Tone/Syrup/Elixir.
R.C.K. Tablets.
Recolvin Liquid
Recolvin with Aconite Liquid.
Recosen Tablets.
Regulax Mild Tablets.
Regulax Pills Strong Pills.
Rejuvinison Liquid.
Renorin Injection.
Rennie Tablets.
Renzo Pepsin Liquid,
Renovan Liquid.
Ricketin Drops.
Ring Cutter Liquid.
Ring Ring Ointment,
Ringworm Lotion.
Ringworm Ointment.
Ripanic Ointment.
Ripason Tablets.
Rivlein/Tablets.
Robinson's Patent Barley
Robinson's Pearl Barley
Roctury Capsules,
Rocler Elixir.
Rocler M. P. Tablets.

Rocvite/Forte/Elixir/Drops/Capsules
Rogoferol Liquid
Rololex Tablets.
Roloplex Syrup.
Roloplex-S-Forte/Tablets/Syrup
Rolovit/Drops/Syrup/Tablets.
Rolovit Forte/Tablets/Liquid/Drops
Rolozyme Liquid
Roloine-B 12/Liquid.
Rosalin Liniment.
Royal Elpha Tablets.
Royal Oculo Eye Drops.
Rosapilla/Pills.
R. Pabya Tablets.
Rubex/Ointment
Rubical-D/Tablets
Rubical-D with Lysine Syrup
Rubimalt Ointment.
Rubiolin Liquid
Rubipepsin Liquid,
Rubrosal D/Syrup/Tablets.
Rubrascalde Syrup
Rubraplex/Elixir, Tablets
Rubraton Elixir
Rubrovit Capsules,
Ruby-12/Drops/Liquid/Tablets.
Rubylysine/Drops,
Rubonex Ointment.
Ruma-Heal/Tablets.
Rumalaya/Tablets/Cream.
Romasone/Pills.
Rumofen/Tablets/Cream.
R. Vit D-8 Granules
Rymianyl Tablets.

S

Saccharose Tablets (all companies)
Saccharine Sodium/Tablets.
Sahna Oil Comp.
Saldigestin Powder.
Salpoos/Tablets.
Salt Tablets
Salvitol Lozenges.
Sangurgein Syrup.
Sanilline Liquid.
Sanimalt Liquid,
Sanivitol Liquid,
Sanavital Liquid.
Sapera Mild Tablets,
Sapera Forte Tablets.

Sarbyna Tablets.
Saribadina Liquid,
Sarphorex Liquid,
Savlon Antiseptic/Liquid/Cream/
Lozenges.
Sovouryn/Granules.
Sedat in Liquid.
Sclochomalt Liquid.
Selective Mixed Cholecystitis
Vaccine
Selsun/Suspension Shampoo.
Secil's Milk of Magnesia/Tablets.
Senalax Tablets.
Senilax Granules/Tablets
Senzine Tablets.
Sepax Dusting Powder.
Sepilin Tablets.
Sero Biozyme Liquid.
Sero Bromide Liquid
Sero Citrate-Pulv Powder.
Sero-Compound Liquid
Sero Gripe Water.
Sero Salt Pulv/Powder.
Sero Sulphazyme Powder.
Serone/Liquid.
Sepin Tablets.
Serpinol Compound Tablets,
Sioplex Enzymes Liquid.
Sioplex-Lysine Elixir.
Sionar Liquid.
Siovina Oral Liquid.
Siozyme Tablets.
Shakti Rasayana Tablets.
Sharbobreat Liquid.
Sharko Maltone Liquid
Sharkomalt Liquid.
Sharkovit Liquid.
Sheri Carnis Liquid.
Silerin Tablets.
Silver Pain Balm.
Sindol Pain Balm Ointment.
Sinol Liquid.
Serifolin Liquid.
Siriprotin-V Granules.
Siris Asmasedin Liquid/Tablets
Siris Cardial Tablets.
Siris Inhaler.
Sirimen Syrup.
Sirivita Syrup/Tablets.
Sirvital Capsules
Sirolex Liquid.

Sishnda Tablets.
Six "C" Ointment
Skellonin Elixir.
Skinment Ointment.
Slimnus Powder.
Solan's/Balm/Liniment.
Soda Gingo Mint Tabs/Tablets.
Sodamint (all Companies) Tablets
Spolsen Syrup.
Solo-Resorcinol Hair Tonic
Somogen Liquid.
Somizyme Liquid.
Soonyn Tablets.
Sorbalka Liquid.
Sorbilex Liquid.
Sperma Liquid.
Spasmolin Liquid.
Special Cholera Tablets.
Spentan/Forte/Tablets.
Spergen Tablets.
Spermatone Liquid
Spogel-Co./Powder.
Spolex Granules.
SPR Compound/Liquid
S-Pyrin Tablets.
Stamavit/Tablets/Drops.
Standzyme Elixir.
Standatone Liquid.
Stonievit Liquid.
Stanzyme/Liquid.
STK's Gripe Water
STK' Thio-D-Calcium/Tablets.
STK's Think-of with Vit A&D/Syr
STK's Toothache Drops
Sharko Maltone Liquid.
Stomach Care/Liquid (all
Companies).
Stomax-Liquid.
Stopache Tablets.
Stress Caps Tabs/Caps/Liquid
(Lederle)
Strepsils Lozenges.
Styplon Tablets
Sucaryl Tablets
Sucinos/Chewable Tablets.
Sucrets Lozenges.
Sucramint Lozenges
Sulfaseo Injection
Sulphalodabael Powder.
Suphona Pills.
Su-Mag/Granules/Powder.

116

254

Sanmalt Syrup.
Samplex Syrup.
Sunway's Gripe Water.
Sunpari Pak Powder.
Super Papin Tablets.
Super Nan Cod Elixir.
Superplex Liquid.
Supradyn Capsules/Tablets.
Suprazyme Tablets.
Surenjani Tablets
Surbex-T Tab/Caps/Liquid (Abbot)
Swapnaheri Tablets.
Sweetaril Tablets/Liquid.
Sweetax Liquid/Pellets.
Sweetin Liquid/Tablets.
Synevit Tablets.
Synofig Liquid.
Syrup Hypophosphite of Lime.
Syrup of Orange.
Syrup of Figs.
Syrup of Tulsi-Calci.
Syrup Tulsi Vasaka.
Syrup Vasaka with Hypo and Tolu.
Sytal Liquid.
SYU/Powder/Protein/Granules.

T

Taka Complex Elixir.
Taka Complex Kapsnal/Kapseals
Taka Diastase/Liquid/Tablets.
Taka Diastase & Pepsin Co./Tablets
Takazyme Powder.
Tasine/Tablets.
Teething Syrup.
Temagain Tablets.
Tentex Forte Tablets.
Tenethos Liquid.
Tenaphos Dragees.
Tetmosol Solution soap.
Theragran/Tablets/Cap./Syp./Drops.
Theragran-M/Tablets/Cap.
Thia-Galeinet Syrup.
Thio-Feral/Liquid.
Theofix/Syrup.
Thelax Tablets.
Thiofin Syrup.
Thiophosmin Liquid.
Thiovita Tablets/Capsules
Thiozyme Liquid.
Threptin/Biscuits/Pieces
Threptin-Hi-Cal-Pieces
T Ilcon Paint Liquid
Thymocin Liquid.
Thyro-Gum Paint.
Thyrol Liquid.
Tila Saltani Liniment.
Tonavit Lotion
Tonozyme Syrup/Tablets.
Tonisant Liquid.
Tonirin Capsules
Tonicinoton Liquid
Tono Blood with Mercury and Arsenic Liquid.
Tonocarnine Forte/Syrup
Tonoferon/Syrup/Drops
Tono Liver Liquid.
Tono Malt Liquid.
Tono Phos.
Tono Phospen.
Ton - Phospotone.
Tonos-7/Elixir
Tonozyme Liquid.
Tonup Liquid.
Toothache Drops.
Toothache Remedy Liquid.
Tooth Drops.
Totalin-B/Syrup/Tablets
Tox Tablets.
Track Powder.
Tranquinyl Tablets.
Trical-D-Tablets/Syrup.
Trifaico Powder.
Trilne Tablets.
Trikonol Ovoles.
Triphosen Liquid.
Triphos Powder.
Troplatax Tablets.
Trophamin Powder.
Trox Lozenges.
Tuzyme Tablets.
T-Tone Tablets.
Tuberex Forte/Tablets.
Tulsi Compound/Oil.
Tulsi Cough Syrup.
Turpentine Ointment.
Tural Co/Tablets
Twinall/Liquid
Tyrozets Lozenges.
Tyriol Syrup/Lozenges.
Tyrnia Tablets
Teysabin Elixir.

U

Udider Ointment
Udidex with M.S./Ointment.
Udimolt Liquid.
Uni-Enzyme-Tablets/Elixir.
Uniptron Forte Liquid.
Uniprotin Salty Powder/Biskits.
Universal's Compound Liquid.
Univine Liquid.
Univine with Protein Liquid.
Univit Tablets/Drops/Syrup.
Univite with Choline Syrup.
Unizyme Syrup.
Urenyuol Tablets.
Uri Protein Powder.
Urodonal Granules.
Uriplex Tablets.
Uratone Liquid.
Uterol Liquid.
Uteron Liquid.
Uteronal Liquid
Utnyme Liquid/Tablets
Utreton Famina Liquid
Utrex Liquid.
Utrotone Liquid
Utrosedine Syrup.

V

Vaculax Tablets.
Valerian Bromide Liquid.
Vapodex Ointment.
Vapodex Iodine with M.S./Ointment
Vapoline Ointment.
Vaps. Balamrit Liquid.
Vaps Gripe Water.
Vaps Pain Balm.
Vapi Ringworm Ointment.
Vasaka Liquid.
Vasaka Throat Tablets

117

Vasaksar Liquid.
Vegecort Tablets/Ointment.
Veemin Tablets.
Vegetable Laxative Tablets.
Veritol Liquid.
Vermicide Tablets.
Viscal Liquid/Drops.
Vi-Andro Capsules.
Vibegan with lecithin and Glycerophosphates Liquid.
Vibegan with Diatse Liquid.
Vibinol Liquid (Unique Chemicals)
Vibiton Liquid.
Vicaris Liquid.
Vicks Formula 44 Cough Drops
Vicks Inhaler.
Vicks Medicated Cough Drops.
Vicks Vaporub.
Vidaylin Syrup
Vidaylin-M Drops.
Vidaylin-M-Syrup.
Vidrops Liquid.
Vi-Estandro Capsules
Vi-Estrin Capsules
Vigorini Ointment.
Vigoroll Special/Fill/Jelly.
Vigorab Tablets, Viliron Liquid.
Vi-Magna/Capsules/Drop/Syrup.
Vima-Tone Liquid.
Vimgram Tablets.
Vimmulsin Capsules.
Vimix/Drops/Tablets/Syrup.
Vimola's Eczmol/Skin Ointment.
Vinkola-12/Liquid.
Vinkola with Vitamins Liquid.
Vino Asoka Liquid.
Vinoberry's Compound/Red with Vitamin Liquid
Vino Cod with Creosote & Guiacol Liquid.
Vinodex Liquid.
Vinola Liquid.
Vinol Lecithin Liquid.
Vino-Malt Syrup.
Vintone Liquid.
Vintone with Asoka Liquid
Viper Balm
Vir phollin Syrup.
Vi-Syneral Adult Capsules/Syrup
Vi-Syneral Vitamin Drops.
Vitabiol Elixir.
Vitalo Tablets.
Vitamon Plain Forte Liquid.
Vitadex Liquid.
Vitadilin with Lysine Drops.
Vitadis Tablets.
Vitabent Liquid.
Vital Essence Tablets.
Vitalysine Syrup.
Vitalysine Elixir/Drops.
Vitalyzine Liquid.
Vitamalt Liquid.
Vitamino Liquid.
Vitamindon/A & E/Syrup.
Vitaminets Forte/Tablets.
Vitamiron Drops.
Vitaminsed Sanatogen/Powder.
Vitamulsion Syrup.
Vita Orange Syrup.
Vitapen Tablets.
Vitaped Pediatric Drops.
Vitapepsin Liquid.
Vitaphosmin Liquid.
Vitaphor Liquid.
Vitaplus Capsules.
Vitazyme Liquid.
Vitera Capsules.
Vitmol Compound Elixir.
Vitoferin Lotion.
Vitol Drops Syrup.
Vitomalt Liquid.
Viton '99' Syrup.
Vitup Syrup.
Vitronal Liquid.
Vomsetil Tablets.
Vomilak Tablets.
Vomitted Tablets/Syrup.
Vysen Drops.

W

Waterbury's Compound/Liquid.
Waterbury's Vit. Compound/Liquid
Waxolve/Ear Drops.
Wellcome Lanoline Toilet Tubes
Wellcome Seltzer Tablets.
Whipex Liquid.
Wilrax Ringworm Ointment.
Winbeper B-12/Plain/Liquid.
Wino Broon Liquid.
Winocarab Liquid.
Winodi Elixir.
Winomines Liquid.
Worms Tabs
Wyamin Capsules.

X

XXX Tablets.
Xymex Liquid.

Y

Yeastmin Liquid.
Yura Liquid.

Z

Zambak Herbal Ointment.
Zandu Balm.
Zefe Tablets.
Zentoline Oil.
Zestol Liquid.
Zoplex Syrup.
Zorvimalt Liquid.
Zovitab Tablets.
Zyme-Bio Liquid.
Zymo Malt Syrup.
Zymotone Liquid/Tablets.

NOTE—Cost of Dressing Materials like Bandages, Cotton Gauges and such other items may be allowed for reimbursement, when the patient receives treatment as an indoor patient and these are not supplied by the hospital free of cost.

IMPORTANT

The list of items of allopathic medicines specified in Schedule II & III of the Rules may be treated as illustrative only indicating in eligible medicines/preparations or expensive drugs. The authorised medical attendant may take a decision whether a particular new medicine or preparation falls under any of the brand categorically specified in Schedule II or Schedule III and shall so certify where upon the cost of such medicine may be reimbursed.

255

शेष अवशेष/Addendum

चिकित्सा भत्ता/Medical Allowance

परिषदीय पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

सं० 1249-पेंशन-31/राविप/97-121 सी/97 दिनांक : सितम्बर 3, 1997

परिषद के अपने आदेश सं० 1651-डब्लू०सी०/राविप/ई एम /भ०ग्रा०/85-21/14/भत्ता/82, दिनांक 31-1-1985 द्वारा अपने समस्त सेवानिवृत्त सेवकों, जो परिषद से पेंशन [अधिवर्षता, सेवानिवृत्ति अथवा विकलांगता पेंशन आदि] आहरित कर रहे हैं, को दिनांक 1-10-1985 से उसी दर पर चिकित्सा भत्ता प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये थे जिस दर पर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अथवा उनके समकक्ष सेवारत कार्मिकों को चिकित्सा भत्ता देय था। तत्पश्चात परिषदादेश सं० 2065-डब्लू०सी०/राविप[एल०एन०-पंजीज/86-14)एक/86, दिनांक 9-12-1986 द्वारा उपर्युक्त शर्तों के साथ चिकित्सा भत्ता उन सभी सेवानिवृत्त सेवकों को भी दिनांक 1-10-1985 से ही प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे जो दिनांक 1-4-1977 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे।

परिषदीय पेंशनरों के चिकित्सा भत्ते की दरों के पुनरीक्षण सम्बन्धी परिषदादेश सं० 3632-डब्लू सी/राविप (सी०ई०-उन्नीस) 89-14(14) एफ/86, दिनांक 28-2-1989 के प्रस्तर-एक से यह भ्रान्ति उत्पन्न हो गयी है कि सम्भवतः चिकित्सा भत्ता उन सेवानिवृत्त सेवकों को देय नहीं है जो सेवानिवृत्ति के दिनांक को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित थे अथवा किसी ऐसे स्थान या परियोजना पर कार्यरत थे जहाँ परिषद अपने अस्पताल/डिस्पेन्सरी चला रहा है।

अतः मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि परियोजनाओं के सेवानिवृत्त एवं अन्यथा निकाल कर पेंशनभोगी सहित परिषद के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को दिनांक 1-10-1985 से बिना किसी भेदभाव के उसी दर पर चिकित्सा भत्ता देय होगा जिस दर पर उन्हें अथवा उनके समकक्ष कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि को देय था, चाहे वह अपनी सेवानिवृत्ति तिथि को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित थे अथवा किसी परियोजना/ऐसे स्थान पर कार्यरत रहे हों जहाँ परिषद अपने अस्पताल/डिस्पेन्सरी चला रहा है।

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति/Reimbursement of Medical Expenses

हिमालयन इन्स्टीट्यूट हास्पिटल ट्रस्ट, जौलीग्रान्ट, देहरादून को परिषदीय सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के भर्ती के दौरान उपचार कराये जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता प्रदत्त

संख्या 4683-औस-17/राविप/98-11(11) एफ/86 दिनांक : जुलाई 6, 1998

हिमालयन इन्स्टीट्यूट हास्पिटल ट्रस्ट, जौलीग्रान्ट, देहरादून को परिषदीय सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के भर्ती के दौरान उपचार कराये जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. उक्त अस्पताल में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषदादेश सं० 2088-एम० सी०/ए०ई०सी० (कार)-29 एमसी-2/78 दिनांक 24-5-78 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

118

2. उक्त अस्पताल संलग्न सूची* में दर्शायी गयी दरों पर 20 प्रतिशत छूट परिषद को प्रदान करेगा,
3. दवाओं, परीक्षणों पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
4. उक्त अस्पताल को संलग्न सूची* में दर्शाये गये चार्जों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय नहीं होगा। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क (कन्सल्टेशन फीस) देय नहीं होगा।
5. उक्त अस्पताल को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा—"राज्य विद्युत परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन पर आश्रित सदस्यों के लिये अधिकृत चिकित्सालय"।
6. अस्पताल को राज्य विद्युत परिषद का एक रजिस्टर भी रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना परिषद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित करनी होगी :—
   - क) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग।
   - ख) रोगी का परिषदीय कर्मचारी से सम्बन्ध (पूर्णतः आश्रित होने की दशा में)।
   - ग) अस्पताल में भर्ती तथा डिस्चार्ज की तिथि।
   - घ) कर्मचारी का वेतनमान।
   - ङ) मर्ज का नाम (डाइग्नोसिस)।
   - च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।
7. अस्पताल को यह वचन-पत्र (अण्डर-टेकिंग) देना होगा कि वे संलग्न सूची* में दर्शायी गयी दरों पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान कर उपचार करने हेतु सहमत है। यह आदेश दिनांक 25-6-1998 से प्रभावी होंगे।

प्रदेश के बाहर स्वेच्छा से दिनांक 21-5-1998 से पूर्व चिकित्सा पैकेज डील के माध्यम से कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य

संख्या : 6438-औ. स.-17/राविप/98-11(4)एफ/86 दिनांक : सितम्बर 19, 1998

दिनांक 21-5-98 से पूर्व स्वेच्छा से राज्य के बाहर पैकेज डील के माध्यम से कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रकरणों को परिषदादेश संख्या 4102-औस-17/राविप/98-11(4) एफ/86 दिनांक 11-6-98 के प्राविधानों के अनुसार निस्तारित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लोकप्रिय अस्पताल, मेरठ, कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, नोएडा एवं नोएडा मेडीकेयर सेन्टर, नोएडा को परिषद द्वारा एक वर्ष के लिए मान्यता बढ़ायी गयी

संख्या : 2473-औस-17/राविप/99-11(11)एफ/86 दिनांक : जून 16, 1999

परिषदादेश संख्या 2410-औस-17/राविप-98-11(11)एफ/86 दिनांक 30-3-98 जिसके अन्तर्गत परिषद द्वारा लोक प्रिय अस्पताल, मेरठ, कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, नोएडा एवं नोएडा मेडीकेयर सेन्टर, नोएडा को परिषद के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु केवल एक वर्ष की मान्यता प्रदान की गयी थी, के अनुक्रम में उक्त अस्पतालों की मान्यता अवधि समाप्त होने की तिथि से एतद्द्वारा पुनः एक वर्ष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

*दरों की सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है। इसे अस्पताल से प्राप्त कर सकते हैं।

256

उपर्युक्त अस्पतालों में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववत परिपत्राज्ञा सं० 2088-एन डी-2/एनईबी(चार)-2 एनबी-2/78 दिनांक 24-5-78 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन निर्धारित दरों पर अनुमन्य होगी।

परिपत्राज्ञा संख्या 2410-औष-17/राविप/98-11(11)एफ/86 दिनांक 28-3-98 द्वारा उक्त अस्पतालों को जिन प्रतिबन्धों/शर्तों के तहत मान्यता प्रदान की गयी थी वह यथावत लागू रहेंगे।

दीक्षा मेमोरियल हास्पिटल, कुर्सी रोड, लखनऊ को परिषद द्वारा एक वर्ष के लिए मान्यता बढ़ायी गयी

संख्या 2474-औष-17/राविप/99-11(11)एफ/86 [टी.सी.] दिनांक : जून 16, 1999

~~परिपत्रादेश सं० 2821-औष-17/राविप/98-11-[11]-एफ/86, दिनांक 23-4-98 जिसके अन्तर्गत~~ परिषद द्वारा दीक्षा मेमोरियल हास्पिटल, लखनऊ को परिषद के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों के एम. आर. आई. टेस्ट पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक वर्ष की मान्यता प्रदान की गयी थी, के अनुक्रम में उक्त अस्पताल को उसकी मान्यता अवधि समाप्त होने की तिथि से एतद्द्वारा पुनः एक वर्ष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त अस्पताल में एम. आर. आई. टेस्ट पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववत् लागू प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन निर्धारित दरों पर अनुमन्य होगी।

परिपत्राज्ञा संख्या 2821-औष-17/राविप-98 दिनांक 23-4-98 द्वारा उक्त अस्पताल को [एम.आर.आई. हेतु] जिन प्रतिबन्धों/शर्तों के तहत मान्यता प्रदान की गयी थी वह यथावत लागू रहेंगे।

ज्योत्सना मेडिकल सेन्टर, अलीगंज, लखनऊ, विवेकानन्द हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद, आर्यन हास्पिटल, मोदीनगर एवं भार्गव हास्पिटल, सिविल लाइन्स, कानपुर को परिषदीय सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनपर पूर्णतया आश्रित परिजनों के भर्ती के दौरान उपचार कराये जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु परिषद की मान्यता प्रदत्त

संख्या : 2826-औष-17/राविप/99-11 (11) एफ/86 दिनांक : जुलाई 8, 1999

परिषदीय सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के भर्ती के दौरान उपचार कराए जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित अस्पतालों को एक वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जाती है :—

1. ज्योत्सना मेडिकल सेन्टर, अलीगंज, लखनऊ।
2. विवेकानन्द हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।
3. आर्यन हास्पिटल, मोदीनगर।
4. भार्गव हास्पिटल, सिविल लाइन्स, कानपुर।

उक्त मान्यता निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन प्रदान की जाती है :—

(1) उक्त अस्पताल में उपचारार्थ भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिपत्राज्ञा सं. 2088-एन डी.एनईबी(चार)-29 एनबी-2/78 दि० 24-5-78 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

(2) उक्त अस्पताल संलग्न सूची में दर्शायी गयी दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।

(3) दवाओं, परीक्षणों पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(4) उक्त अस्पताल को संलग्न सूची में दर्शाये गये चार्ज के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय नहीं होगा। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क (कन्सल्टेशन फीस) देय नहीं होगी।

(5) उक्त अस्पताल को अपने परिसर में एक साईन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा—"राज्य विद्युत परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन पर आश्रित सदस्यों के लिए अधिकृत चिकित्सालय"।

(6) अस्पताल को राज्य विद्युत परिषद का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर पन्द्रह दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचनाएं परिषद के मुख्य चिकित्साधिकारी (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित करनी होगी :

(क) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग।

~~(ख) रोगी का परिषदीय कर्मचारी से (सम्बन्ध पूर्णतः आश्रित होने की दशा में)~~

(ग) अस्पताल में भर्ती तथा डिस्चार्ज की तिथि।

(घ) कर्मचारी का वेतनमान।

(ङ) मर्ज का नाम (डाइग्नोसिस)

(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

(7) अस्पताल को यह वचन-पत्र (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि वे संलग्न सूची में दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत हैं।

(8) जिन अस्पतालों द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन प्रदान किया जाता है, उन समस्त अस्पतालों के बीजकों से भोजन मद हेतु रु० 40/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाए।

संलग्नक-1

Approved Rates of U. P. State Electricity Board for ARYAN HOSPITAL. Modinagar

1. **Accomodation**
   Bed Charges—General — Rs. 100/– per day
   Private (Non A. C.) — Rs. 225/– per day
   I.C.U. — Rs. 500/– per day
2. **Operation Charges**
   Minor — Rs. 1000/–
   Major—General ward — Rs. 3000/–
   Private Ward — Rs. 4000/–
   Super Speciality Operation — Rs. 5000/–
3. **Anesthesia Charges** 15% of Operation Charge
4. **Non Surgical Professional Charge** Rs. 75/– per day
5. **Medicines & Consumables** — As per Actuals

N.B. The following are not to be charged :—
viz. Nursing Charges, Injection Charges, Dressing Charges, Gases, O. T. Charge, Equipment Charge, Asstt. Charge, Consultation Fees in Surgical Cases, etc.

संलग्नक-2

Approved Rates of U. P. State Electricity Board for BHARGAVA HOSPITAL Kanpur.

1. **Accomodation**
   Bed Charges—General — Rs. 80/– per day
   Private (Non A.C) — Rs. 250/– per day

राजकिशन । ली०-169 प्र176 दि० 11-8-1978
(92)

2. Operation Charges

Minor Operation	Rs. 800/-
Major Operation (Gen./Private)	Rs. 4000/-

3. Anaesthesia Charges 15% of Operation Charge
4. Non Surgical Professional Charge Rs. 75/- per visit
5. Medicines & Consumables — As per Actuals

N. B. The following are not to be charged :—
Viz. Nursing Charges, Injection Charges, Dressing Charges, Gases, O. T. Charge, Equipment Charge, Asst. Charge, Consultation Fees in Surgical Cases, etc.

संलग्नक-3

Approved Rates of U. P. State Electricity Board for JYOTSNA MEDICAL CENTRE, Lucknow

1. **Accomodation**

Bed Charge—General	Rs. 100.00 per day
Private (Non. A.C.)	Rs. 300.00 per day

2. **Operation Charges**

Minor Operation	Rs. 800.00 per day
Major Operation (General Ward)	Rs. 3000.00 per day
Major Operation (Private Ward)	Rs. 4000.00 per day

3. **Anaesthesia Charges**-15% of operation charge
4. **Non Surgical Professional Charge**-Rs. 150.00 per day
5. Medicines and Consumables — As per Actuals

N. B. The following are not to be charged :—
Viz. Nursing Charges, Injection Charges, Dressing Charges, Gases, O. T. Charge, Equipment Charge, Asst. Charge, Consultation Fees in Surgical cases, etc.

संलग्नक-4

Approved Rates of U. P. State Electricity Board for Viveka Nand Hospital & Research Centre, Moradabad

1- **Accomodation**

Bed Charge—General	Rs. 75.00 per day
Private (Non A.C)	Rs. 225.00 per day
I.C.U./I.C.C.U.	Rs. 500.00 per day

2- **Operation Charges**

Minor Operation	Rs. 1000/-
Major Operation—General	Rs. 3000/-
Private Ward	Rs. 4000/-
Super Speciality	Rs. 5000/-

3- **Anaesthesia Charges** 15% of Operation Charge
4- **Non Surgical Professional Charge** Rs. 100/- per day
5- **Medicines & Consumables** — As. per Actuals

N. B. The following are not to be charged :—
Viz. Nursing Charges, Injection Charges, Dressing charges, Gases, O.T. Charge, Equipment Charge, Asst. Charge, Consultation Fees in Surgical Cases, etc.

120

258 (5)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन"
14-अशोक मार्ग, लखनऊ

2161-सी/रा०वि०प०-पत्र-103-ए/1978 दिनांक: मई 16, 1980

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त महाप्रबन्धक,
समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता,
समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।

विषय:- परिषदीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें दिया जाना ।

महोदय,

उक्त विषयक परिषद के ज्ञापन संख्या 2086-ए०आई०/रा०वि०प०-धार- दिनांक 24 मई, 1978 से स्थापित पत्र व्यवहार के संदर्भ में मुझे यह निवेदन करने का निदेश है कि उपरोक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त परिषद ने उक्त परिषदादेश के प्रस्तर 2 के पद (2) एवं (5) के आंशिक संशोधन में अधोलिखित निर्णय सहर्ष लिये हैं :-

(1) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कर्मचारी व उस पर पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्यों में स्त्री/पति, बेटा बच्चे तथा सौतेले बच्चों के साथ साथ कर्मचारी पर आश्रित माता, पिता भी सम्मिलित समझे जायेंगे ।

(2) प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने की अनुमन्यता उन परिषदीय कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी जिनका प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने के दिनांक को कुल वेतन रु० 600/- अथवा अधिक है । इस विषय में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली असंगति के निवारणार्थ उपरोक्त 600/-रु० की न्यूनतम सीमा आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जायेगी ।

2- सम्प्रति परिषद में केवल सेवारत परिषदीय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधायें [illegible] अनुमन्य है । किन्तु यह सुविधायें उनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त समाप्त हो जाती है । इस प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परिषद ने सहर्ष यह भी निर्णय लिया है कि समस्त सेवा निवृत्त परिषदीय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मात्र परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु भर्ती के बाद अंतरंग आधार पर वहन किये गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति उसी स्तर तथा सीमा तक कर दी जाया करे, जो उन्हें सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्य थी । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को निवृत्त उपरान्त सेवा-रत कर्मचारियों के अनुरूप कोई मासिक चिकित्सा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

3- सेवा निवृत्त अधिकारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्तावों पर स्वीकृति परिषद मुख्यालय से प्रदान की जायेगी तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रस्तावों पर स्वीकृति वही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता या मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता या अतिरिक्त/मुख्य अभियन्ता प्रदान करेंगे जिनके अधीन सम्बन्धित कर्मचारी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व कार्यरत थे, यद्यपि इस चिकित्सा व्यय के प्रस्तावों का भुगतान [illegible] कार्यालय

(निरन्तर-2/-)

260

-2-

कार्यालय द्वारा किया जायगा जहाँ से सम्बन्धित सेवा विद्युत अंशदाता कर्मचारी वेतन आहरित कर रहे हैं ।

भवदीय,

(बद्री राय) 16.5.80
सचिव ।

संख्या 2161-डी(1)/रा०वि०प०-एक-103-ए/1978

प्रतिलिपि सूचनार्थ मुख्य लेखाधिकारी, राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के सहित प्रेषित कि उपरोक्त कर्मचारियों पर जो व्यय होगा उसके लिए कोई अतिरिक्त प्राविधान नहीं किया जायगा अपितु इसे वर्तमान आय व्यय से ही पूर्ण किया जायगा ।

सं० 2161-डी/2/रा०वि०प०-एक-103-ए/78

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नांकित को भी प्रेषित :-

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद ।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद ।
3. मुख्यालय के समस्त अनुभाग/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव
4. क्षेत्रीय/परियोजना लेखाधिकारी, राज्य विद्युत परिषद ।
5. पृथक पत्रावली प्रस्ताव सं० 07131/80।

आज्ञा से,

(रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय)
उप सचिव ।

प्रदेश से बाहर चिकित्सा कराने हेतु संदर्भ केवल उन्हीं बीमारियों हेतु जिनका उपचार प्रदेश में उपलब्ध नहीं

संख्या 2489 डब्लू.सी./रा.वि.प./(कौस.सं.-19)91/11(4)/एफ-86 दिनांक : 29-8-1991

चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित बहुत सी अनियमिततायें परिषद के संज्ञान में आई हैं। जिन बीमारियों का उपचार प्रदेश के चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में उपलब्ध है, उन बीमारियों के उपचार हेतु भी कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत सुविधा एवं इच्छा अनुरूप देश के अन्य प्रदेशों, जैसे दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, मद्रास, आदि स्थानों पर चिकित्सा कराने का संदर्भ क्षेत्र के शासकीय अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अथवा मेडिकल कालेजों के प्रोफेसर से करा लेते हैं, और इस प्रकार परिषद पर भारी वित्तीय भार पड़ता है।

2. प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। परन्तु फिर भी परिषदीय कर्मचारियों की जानकारी हेतु यह अवगत कराया जाता है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (S. G. P. G. I.), लखनऊ में अन्य उपचारों के अतिरिक्त निम्नलिखित बीमारियों का उपचार भी उपलब्ध है :—

1. हृदय की बाइपास सर्जरी
2. हृदय वाल्व का पुनर्स्थापन
3. पेसमेकर लगाना
4. किडनी की पुनर्स्थापना/बदलना
5. वृहद मस्तिष्क शल्य क्रिया (Major Brain Surgery)
6. वृहद कैंसर शल्य क्रिया (Major Cancer Surgery)

3. उक्त परिस्थिति में प्रदेश से बाहर चिकित्सा हेतु संदर्भ किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतएव परिषद तत्काल प्रभाव से यह आदेश निर्गत करता है कि भविष्य में चिकित्सा कराने हेतु कोई भी संदर्भ प्रदेश के बाहर नहीं किया जायेगा और यदि कोई ऐसी बीमारी है, जिसका उपचार प्रदेश में उपलब्ध नहीं है तो उसकी चिकित्सा प्रदेश से बाहर कराने हेतु परिषद की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। परिषद की पूर्व अनुमति के बिना प्रदेश के बाहर की गई किसी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा नहीं की जायेगी।

4. यदि कोई अधिकारी अपने स्तर से बाहर चिकित्सा कराने की आज्ञा किसी कर्मचारी को देता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त चिकित्सा पर हुए आर्थिक क्षतिपूर्ति का भी जिम्मेदार होगा।

261

स्वेच्छा से उत्तर प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त तथा गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में भर्ती [illegible] चिकित्सा कराये जाने पर कतिपय प्रतिबंधों के साथ व्ययों की [illegible] प्रतिपूर्ति अनुमन्य

सं० 1241-औस-17 / पाकालि / 2001-11(4) एफ / 86 (टी०सी०)

दिनांक : 20 अप्रैल 2001

पूर्ववर्ती परिषद ने अपने कार्यालय ज्ञाप सं० 4102-औस-17 / सचिप / 98 / एफ / 86 दिनांक 11 जून, 1998 तथा [illegible] कार्यालय ज्ञाप सं० 2340-औस-17 / पाकालि 2000-11(11)एफ / 86 दिनांक 11 अगस्त, 2000 द्वारा स्वेच्छा से [illegible] बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में हृदय की बाईपास सर्जरी, पेसमेकर लगवाना, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय या मस्तिष्क की वृहद शल्य क्रिया, कैंसर पर हुए व्यय की 75% प्रतिपूर्ति उक्त कार्यालय ज्ञापों में इंगित शर्तों के प्रतिबन्धाधीन अनुमन्य की थी।

2. उपर्युक्त आदेशों के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त पावर कारपोरेशन ने यह निर्णय लिया है कि यदि प्रदेश से बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में चिकित्सा कराई जाती है, तो उन बीमारियों की चिकित्सा हेतु भी, जिनके लिए [illegible] चिकित्सालयों को प्राधिकृत नहीं किया गया है, चिकित्सा व्यय की 75% प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3. साथ ही, प्रदेश से बाहर स्वेच्छा से गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा कराए जाने पर, [illegible] चिकित्सा पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली / संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में [illegible] चिकित्सा कराने पर जो व्यय आता उसके समतुल्य अथवा वास्तविक चिकित्सा व्यय का 70% (सत्तर प्रतिशत) धनराशि जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

4. आदेश सं० 4102-औस-17 / सचिप / 98-11(4) एफ / 86 दिनांक 11 जून, 1998 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

5. यह आदेश दिनांक 17-2-2001 से प्रभावी होंगे।

इन्ट्रा आक्युलर लेंस लगवाये जाने पर व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू० 1,000 की सीमा के प्रतिबंध के साथ अनुमन्य

संख्या : 2750-औस-17 / पाकालि / 2001-11 (3) एफ एस० / 2001

दिनांक : [illegible] 2001

[illegible] पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती परिषद / कारपोरेशन के सेवारत [illegible] [illegible] पूर्णतः आश्रितों द्वारा इन्ट्रा आक्युलर लेंस लगवाने पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति [illegible] लिया है। इन्ट्रा आक्युलर लैंस की वास्तविक धनराशि अथवा अधिकतम रू० 1,000/- रुपये एक हजार [illegible] जो कम हो, अनुमन्य होगी।

जगत हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मेरठ एवम् तुलसी हास्पिटल, मेरठ को कारपोरेशन के [illegible] कर्मचारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार कराये जाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कारपोरेशन की मान्यता प्रदत्त

संख्या : [illegible]-औस-17 / पाकालि / 2001-11 (11) एफ 86

दिनांक : [illegible]

[illegible] कारपोरेशन ने अपने सेवारत एवम् सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों [illegible] के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित निर्धारित [illegible] निम्न चिकित्सालयों को [illegible] स्वीकृति प्रदान की है—

जगत हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, [illegible] रोड, मेरठ

तुलसी हास्पिटल, [illegible], [illegible] रोड, मेरठ

[illegible] चिकित्सालयों में [illegible] भर्ती के दौरान हुए [illegible] व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती [illegible] [illegible] (चार) - [illegible]-2/78 दिनांक 24-5-1978 में [illegible] अनुमन्य होगा।

1. [illegible] में दर्शाये गये मदों के अतिरिक्त अन्य कोई [illegible] शुल्क [illegible] फीस, देय नहीं होगा।

2. [illegible] प्राप्त चिकित्सालयों को अपने [illegible] में [illegible] बोर्ड [illegible] लिमिटेड के कर्मचारियों एवम् अधिकारियों एवम् उन पर आश्रित [illegible]

3. मान्यता प्राप्त अस्पताल [illegible] पावर कारपोरेशन [illegible] के [illegible] अनिवार्य होगी —

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

PTCUL

पत्रांक :/633 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–5 दिनांक :/0 .09.2021

कार्यालय आदेश

एतदद्वारा कारपोरेशन आदेश सं0 981 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–5 दिनांक 18.05.2021 के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत पिटकुल के कार्मिकों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों द्वारा कोरोना संक्रमण का उपचार उक्त आदेश के निर्गमन की तिथि अर्थात दिनांक 18.05.2021 से पूर्व एवं पश्चात, प्रदेश में अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी चिकित्सालय में करवाया गया है अथवा करवाया जाता है तो उसकी शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

उपर्युक्त व्यवस्था मात्र कोविड–19 से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु ही मान्य होगी।

उपर्युक्त आदेश मात्र इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :1633 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–5 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून के संज्ञानार्थ।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक : 1633 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ईओ–13 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल............ ।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल...................... ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून को उनके पत्रांक 725 / अधि0एवंपें0(वि0) / पिटकुल / लेखास्कन्ध दिनांक 21.08.2021 के द्वारा मांगे गये दिशा–निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

10/9/2021
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 645 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक :13.05.2022

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 2052/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–29 दिनांक 26.12.2020 के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के क्रम संख्या 04 में निम्नवत व्यवस्था है कि:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि
4	सम्बन्धित निदेशक की संस्तुति के उपरान्त निदेशक (मा0सं0) द्वारा (वित्त) की सहमति से	रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख) से अधिक के प्रकरण

उपरोक्त आदेश पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त बिन्दु में निम्नवत व्यवस्था को जोड़ा जाता है:–

"जिन अधिकारियों के नियंत्रक अधिकारी प्रबन्ध निदेशक स्वयं हैं, उनके अथवा उनके आश्रित परिजनों से सम्बन्धित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के वित्तीय अधिकारों (रू0 एक लाख से अधिक) के लिये एतद्द्वारा निदेशक (वित्त) को संस्तुति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है एवं निदेशक (वित्त) की सहमति के उपरान्त निदेशक (मा0सं0) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।"

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2052/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–29 दिनांक 26.12.2020 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 645 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सहायक/डा0ए0ओ0–निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल ....।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल ....।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1959 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 04 .11.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्‌द्वारा कारपोरेशन के आदेश संख्या 851/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 14.06.2019 यथा संशोधित कारपोरेशन आदेश संख्या 1194/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 24.08.2019 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 270/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 07.02.2022 के द्वारा निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन पैनल पर लिये जाने हेतु गठित समिति को निम्नवत पुर्नःगठित किया जाता है:–

1. श्री हितेन्द्र सिंह ह्यांकी, मुख्य अभियन्ता (परि0एवंअनु0), कुमायूँ क्षेत्र, पिटकुल, देहरादून – अध्यक्ष
2. श्री अशोक कुमार जुयाल, महाप्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, देहरादून – संयोजक सदस्य
3. श्री मनोज कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून – सदस्य
4. श्री ललित कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना, लाईन डिजाइन, पिटकुल, देहरादून – सदस्य

उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1959 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल................।
4. समिति के सदस्यों को नाम से.................................।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0–2), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,...............।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(विवेकानन्द)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी